वार्षिक रिपोर्ट

2011-12

पवन हंस लिमिटेड

(पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड से परिवर्तित नाम दिनांक 14.01.2013 से प्रभावी)

हमारा ध्येय

कम खर्च

और

अधिक उड़ान

पूर्ण

सतर्कता का

एलान

तालिका

• निदेशक मंडल	4
• प्रबंध समूह	5
• सूचना	6
• सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश	7
• निदेशकों की रिपोर्ट	10
• प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	26
• मुख्य वित्तीय अंश	31
• संक्षिप्त लेखे	33
• वर्ष के खाते	35
• कैश फ्लो विवरण	72
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	73
• भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	86
• स्पष्टीकरण विवरण	87

निदेशक मण्डल

अनिल श्रीवास्तव
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

एस. मछेन्द्रनाथन
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
नागर विमानन मंत्रालय

अरूण मिश्र
महानिदेशक
नागर विमानन

जी. असोक कुमार
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय

पी. के. बरठाकुर
निदेशक (ऑफ-शोर)
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

पी.एन. प्रधान
एसीएएस (परिचालन व टी. एवं एच.)
वायु सेना मुख्यालय

प्रबंध समूह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री अनिल श्रीवास्तव, आई.ए.एस
मुख्य सतर्कता अधिकारी	श्री समीर सहाय, आई.एफ.एस.
कार्यपालक निदेशक	श्री संजीव बहल
महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी)	श्री दीपक कपूर
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	श्री धीरेन्द्र सहाय
महाप्रबंधक (परिचालन)	एअर कमोडेर (सेवानिवृत)अलोक कुमार
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)	श्री संजीव अग्रवाल
महाप्रबंधक (विपणन)	श्री संजय कुमार
महाप्रबंधक (अयोजना एवं मासंवि)	श्री आर.बी.कुशवाहा
महाप्रबंधक (इन्फोकॉम सर्विसेज, कार्मिक व प्रशासन)	श्री सी.पी. सिंह
उप महाप्रबंधक (सामग्री)	श्री एस.के. शर्मा
महाप्रबंधक (पश्चिम क्षेत्र)	श्री सुबीर के. दास
महाप्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र)	श्री एम.पी. सिंह

पंजीकृत कार्यालय

सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली – 110 003

प्रधान कार्यालय

सी–14, सेक्टर–1
नोएडा–201301

क्षेत्रीय कार्यालय

पश्चिम क्षेत्र

जुहू ऐरोड्रोम
एस.वी. रोड
विले पार्ले (पश्चिम)
मुम्बई – 400 056

उत्तरी क्षेत्र

सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली – 110 003

लेखापरीक्षक

मैसर्स एस. चतुर्वेदी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स लखानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
मुम्बई

बैंकर्स

विजया बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक

27वें वार्षिक सामान्य बैठक के लिए सूचना

समस्त अंशधारक
पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड

सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरूवार दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को 4.30 बजे सफदरजंग एअरपोर्ट, नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निम्नांकित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी :-

सामान्य कार्य

1. लेखों का अंगीकरण

यथास्थिति 31.03.2012, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षाकृत तुलन-पत्र व लाभ-हानि खाता तथा उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी तथा निदेशकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना तथा उसे अंगीकार करना।

विशेष व्यापार

2. कंपनी के नाम में पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड से पवन हंस लिमिटेड में परिवर्तन

कंपनी के नाम परिवर्तन के निम्नलिखित संकल्प यदि सही समझा जाए, बिना आशोधन के या सहित पारित किया जाए :-

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 21 के अनुसरण में कंपनी का नाम "पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड" से परिवर्तित कर "पवन हंस लिमिटेड" किया गया।

आगे संकल्प किया जाता है कि समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 1 तथा कंपनी के व्याख्या खंड जैसा कि संगम अनुच्छेद में है "पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड" शब्दों को "पवन हंस लिमिटेड" शब्दों में प्रतिस्थापित किया गया तथा कंपनी सचिव कंपनी के नाम में परिवर्तन करने से संबंधित समस्त अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु प्राधिकृत हैं"

पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

नई दिल्ली
26 नवम्बर, 2012

(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

टिप्पणी :

क) ऐसे सदस्य जो इस बैठक में भाग लेने व मत देने के पात्र हैं, अन्य परोक्षी व्यक्ति को भी नियुक्त करने के पात्र हैं, जिन्हें कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी व्यक्ति के नामांकन बैठक से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ख) विशेष व्यापार हेतु शेयर पूंजी और उधार सीमा में वृद्धि संबंधित स्पष्टीकरण विवरण संलग्न है।

पंजीकृत कार्यालय:
सफदरजंग एअरपोर्ट,
नई दिल्ली-110003
कारपोरेट आईडेन्टिटी नम्बर (सीआईएन): यू 62200डीएल1985जीओआई022233

सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश

प्रिय सदस्यों,

मैं आपकी कंपनी के 27वें वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2011-12 का वार्षिक रिपोर्ट वितरित किया जा चुका है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा हुआ मानता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2011-12 चुनौतियों का वर्ष रहा क्योंकि अरूणाचल प्रदेश में दिनांक 19.04.2011 को एक एम आई-172 और दिनांक 30.04.2011 को एक ए एस 350 बी 3 की घातक दुर्घटना के पश्चात उ पू क्षेत्र में दिनांक 01.05.2011 से 06.06.2011 तक डीजीसीए द्वारा सेवाओं के स्थगन के कारण पिछले वर्ष के 33,670 उड़ान घंटों की तुलना में कुल उड़ान घंटे 31,240 रहे। मेघालय और अरूणाचल प्रदेश की सरकारों ने दुर्घटनाओं के पश्चात अनुबंध रद्द कर दिए थे और सिक्किम, त्रिपुरा और एम एच ए (उ पू) की सेवाएं दो से तीन महीनों के लिए स्थगित रहीं। दिनांक 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हेलीकॉप्टरों की औसत मासिक तैनाती 42 हेलीकॉप्टरों के बेड़े के आकार में से 31 हेलीकॉप्टरों की रही। वर्ष 2011-12 के दौरान कर पश्चात शुद्ध हानि गत वर्ष के ₹ 18.50 करोड़ के कर पश्चात शुद्ध लाभ की तुलना में ₹ 10.35 करोड़ रहा। इसके मुख्य कारण थे, उत्तर पूर्व में सेवाओं का स्थगन, वेतन समझौते के पश्चात कर्मचारियों के पुनरीक्षित पेंशन और बकाए के प्रावधान के कारण उच्च कर्मचारी लागत, दो बड़ी दुर्घटनाओं के कारण बढ़ा हुआ इंश्यूरेंस प्रीमियम रेट और नए अर्जन तथा नए बेड़े पर ऋण के कारण ह्रास व ब्याज में वृद्धि। कर पश्चात शुद्ध हानि के कारण कंपनी की आरक्षितियाँ और अधिशेष वर्ष 2011-12 में ₹ 220.95 करोड़ (पू.व. ₹ 239.76 करोड़) रहे। कंपनी द्वारा लिया गया रक्षित ऋण गत वर्ष के ₹ 64.10 करोड़ से बढ़कर ₹ 232.83 करोड़ 5 नए डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों के अर्जन के लिए ऋण के कारण हुआ।

दुर्घटनाओं के पश्चात कंपनी ने आईसीएओ/डीजीसीए दिशा निर्देशों के अनुसार अपने परिचालन और अनुरक्षण गतिविधियों के लिए संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को अमल में लाते हुए संरक्षा पहल प्रारंभ किए है और एसएमएस के चार चरणों में से दो चरणों को पूर्णतया कार्यान्वित किया है। एक नया संरक्षा चूक विभाग सृजित किया गया है और स्वैच्छिक रिपोर्ट प्रणाली और जोखिम रिपोर्ट प्रणाली का कंपनी में शुभारंभ किया गया है। कंपनी ने हेलीकॉप्टरों के परिचालन का विश्लेषण और निगरानी करने के लिए अपने परिचालनों में एफओकयूए (फलाइट ऑपरेशंस क्वालिटी एस्यूरेंस) प्रणाली का सूत्रपात किया है। कंपनी की संरक्षा नीति परीशोधित की गई है ताकि संरक्षा एक स्थाई गतिविधि के रूप में शामिल हो।

कंपनी के कुल परिचालन राजस्व का लगभग 85% प्रतिस्पर्धी निविदाओं के माध्यम से अनुबंधों द्वारा आता है। हेलीकॉप्टरों की अपेक्षा के लिए ओएनजीसी के द्वारा अधिरोपित 5 वर्षों के विंटेज की दशा का प्रसार अन्य तेल कंपनियों व साथ ही राज्य सरकारों विशेषकर उ.पू. के राज्यों में हो रहा है। इस मुद्दे पर आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने ध्यान किया कि आरंभ से ही ओएनजीसी पुराने और नए हेलीकॉप्टरों के बेड़े का उपयोग करता रहा है और अब हेलीकॉप्टरों के 5 वर्ष तक की विंटेज का खंड शर्त मुख्यत: उद्योग के नवागतों के अनुकूल है। विद्यमान डॉफिन एन हेलीकॉप्टरों को वर्ष 2007 में ओएनजीसी के लिए पर्याप्त पूंजीगत लागत से संरक्षा उपस्करों के संस्थापन द्वारा पूर्णतया विमानन मानक-4 सक्षम बनाया गया है और परिचालनगत रूप से साथ ही साथ संरक्षा बनाया गया है और परिचालन रूप से साथ ही साथ संरक्षा आधार पर ओएनजीसी की सभी अपेक्षाओं को पूरा करते है और उनकी एयरवर्दीनेस डीजीसीए से अनुमोदित है। तदनुसार इस मामले को नगर विमानन मंत्रालय के माध्यम से ओएनजीसी/तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के समक्ष रखा

गया है। 5 वर्ष विंटेज की दशा मूल्यों पर प्रमुखता ये विवक्षित होगी क्योंकि चार्टर हायर के लिए प्रभार नए हेलीकॉप्टरों पर ब्याज और ह्रास के प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण ढ़ंग से बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त पुराने हेलीकॉप्टरों के अधिक ग्राहक नहीं होंगे। भारत मे तेल की खोज एवं उत्पादन क्षेत्र में प्रचलित हेलीकॉप्टरों की निम्न चार्टर दरों के कारण यह अनुभव किया जाता है कि अपतटीय निविदाओं के लिए विदेशी परिचालक भी बोली नहीं लगाते हैं। बाजार में डॉफिन (ए एस-4 योग्य) और एम आई - 172 हेलीकॉप्टर बेड़ा पर योग्य पाइलटों मुख्यतया पाइलट इन कमांड की कमी है और पाइलटों के प्रशिक्षण के लिए प्रयास किए जा रहा हैं और अपेक्षित उड़ान अनुभवों को प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा रही है।

कंपनी बाजार में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कर रही है और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत 5 वर्ष के विटेंज के साथ अदर 7 डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों को उत्पादत कार्य अनुबंध के लिए उपलब्ध कराने के लिए निविदा हासिल की है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने क्रमश: ब्रिटिश गैस, मेघालय सरकार, मिजोरम सरकार और जीएआईएल से 16.06.2012, 26.07.2012, 14.08.2012 और 21.02.2012 से 4 हेलीकॉप्टरों की तैनाती प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावी अगले तीन वर्षों के लिए माता वैष्ण ोदेवीजी श्राइन बोर्ड से अनुबंध प्राप्त करना सुनिश्चित किया है साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 2012 और 2013 के लिए पहलगाम पंजतरणी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए भी। कंपनी ने दिल्ली से वृंदावन तक यात्री हेलीकॉप्टर सेवा दिनांक 28 नवंबर, 2012 को एक बेल 206 एल 4 हेलीकॉप्टर की तैनाती के साथ आरंभ की है।

कंपनी ने उड़ीसा सरकार के साथ एक एमआई-172 हेलीकॉप्टर को पहले ही नक्सल विरोधी अपरेशन चलाने के लिए दीर्घावधि के लिए तैनात किया है। कंपनी को हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार को एक नए एम आई-172 हेलीकॉप्टर को 5 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध हासिल हुआ है और पहली जनवरी, 2013 से तैनात किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी ने अरूणाचल प्रदेश राज्य सरकार एक एम आई-172 हेलीकॉप्टर का अनुबंध प्राप्त किया है जिसकी तैनाती जनवरी, 2013 के पहले सप्ताह से प्रत्याशित है।

कंपनी पश्चिम बंगाल, लक्ष्यद्वीप और केरल में सी प्लेन परिचालित करने वाली है। कंपनी छोटे फिक्सड विंग एयरक्राफ्टों के लिए भी उद्यम करने वाली है और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट सेवाओं की शुरूआत करने के लिए एलओआई जारी किए हैं। कंपनी लक्ष्यद्वीप में कोचीन-अगाती के लिए छोटे फिक्सड विंग सेवाओं की योजना बना रही है। हेलीकॉप्टर सेवाओं के उत्तर पूर्व और पूर्वी क्षेत्र में विस्तार को देखते हुए कंपनी ने गुवाहाटी में मुख्यालय के साथ पूर्वी क्षेत्र के सृजन का निर्णय लिया है।

कंपनी ने रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट की निर्माण योजना को अंतिम रूप दे दिया है और रोहिणी में मूलभूत हेलीपैड सुविध ााओं का सर्जन कर दिया है। कंपनी को हडस्पर, पुणे में एक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी व हेलीपोर्ट का विकास कार्य सौंपा गया है। परियोजना नागर विमानन मंत्रालय से अनुमोदित है। हैलिपैड और हेंगर का निर्माण कार्य उन्नत चरण में है और जनवरी, 2013 तक पूर्ण होना प्रत्याशित है।

कंपनी के भौतिक व वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए लागत कटौती उपायों की पहल की गई जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹ 4.54 करोड़ की वित्तीय बचत ओवर टाइम पर विकसित नियंत्रण, विज्ञापत पर व्यय की सख्त निगरानी, कारोबारी संवर्धन, किराए की टैक्सी, बेस की यात्राओं, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और ओएनजीसी के लिए हेलीकॉप्टरों की तैनाती पर सख्त नियंत्रण जिससे हेलीकॉप्टरों की उपलब्धता में देरी से बचे जाने जैसे उपायों से अप्रैल-सितंबर, 2012 की अवधि के दौरान हूई है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के छः माह की अवधि (अप्रैल-सितंबर) के दौरान कुल उड़ान घंटे बढ़कर 16,253 घंटे विगत वर्ष की संगत अवधि के 16,022 घंटों की तुलना में हो गए। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2012-13 के पहले छः माह की अवधि के लिए परिचालन राजस्व विगत वर्ष की संगत अवधि के ₹ 213.48 करोड़ की तुलना में बढ़कर 223.86 करोड़ हो गए। वित्तीय वर्ष 2012-13 के पहले छः माह की अवधि (अप्रैल-सितंबर) के लिए मिश्रित बेड़े का परिचालन लाभ विगत वर्ष की संगत अवधि के ₹ 7.69 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 16.33 करोड़ हो गया।

कंपनी ने डीपीई द्वारा जारी कार्पोरेट गवर्नेंश दिशा निर्देशों को अधिकतम संभव सीमा तक अंगीकार किया है। अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रूप से जारी रहे और कर्मचारी प्रतिनिधि निकायों से नियमित बैठकें हुईं।

प्रबंधन में अपना विश्वास जताने के लिए मैं इस अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। कंपनी के प्रभावी प्रबंधन में मैं भारत सरकार और इसके विभिन्न अभिकरणों के समर्थन और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं गंभीरता पूर्वक ओएनजीसी, जीएआईएल, ब्रिटिश गैस, गृह मंत्रालय, मेघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों और अन्य ग्राहकों को कंपनी के परिचालन में विश्वास जताने की सराहना करता हूँ और कंपनी की प्रगति में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई समर्पित सेवाओं की भी।

(अनिल श्रीवास्तव)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 27.12.2012

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस द्वारा समझौता ज्ञापन (2012-13) दस्तावेज पर हस्ताक्षर

निदेशकों की रिपोर्ट

अंशधारक,

सज्जनों,

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की, कम्पनी की 27वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

1. परिचालन

क) परिचालनात्मक परिणाम

कम्पनी सांस्थानिक ग्राहकों मुख्यत: तेल उद्योग तथा सरकारी क्षेत्र के साथ अच्छे दीर्घावधि अनुबन्ध सुदृढ़ रखने में सफल रही है।

हेलीकॉप्टरों का राजस्व घन्टे तथा औसत मासिक डिप्लॉयमेन्ट निम्नवत है:-

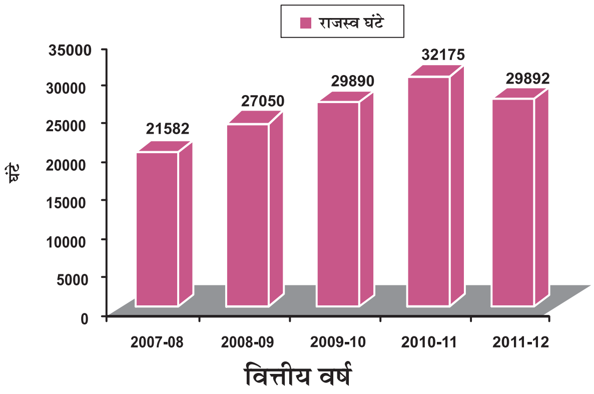

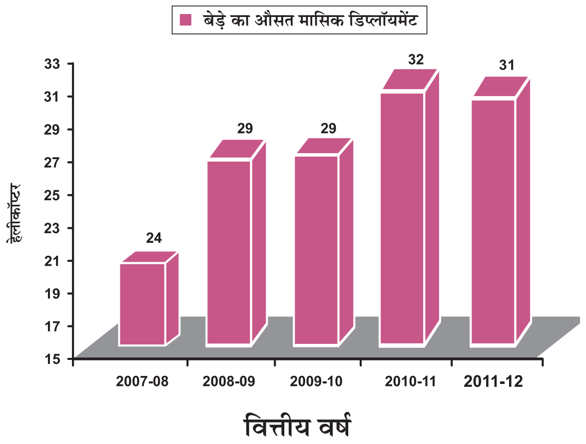

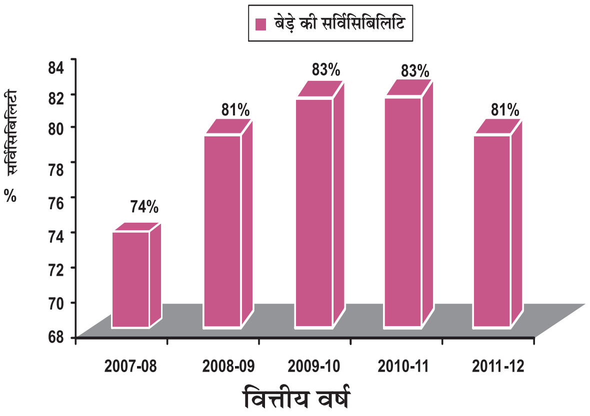

42 हेलीकॉप्टरों के बेड़े में से 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान हेलीकॉप्टरों का औसतन मासिक डिप्लॉयमेंट 31 हेलीकॉप्टर था, (मार्च 2012 के अंत में पंजीकृत 3 डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों को छोड़कर)। गतवर्ष की बेड़े की सर्विसिबिलिटी औसत 83% की तुलना में इस वर्ष 81% था। विगत वर्ष के कुल उड़ान घंटों 33,670 की तुलना में कुल उड़ान घंटे 31, 240 थे। गत वर्ष की उड़ान घंटे में कमी का मुख्य कारण अरूणाचल प्रदेश में दिनांक 19.04.2011 को एक एम आई 172 और दिनांक 30.04.2011 को एक ए एस 350 बी 3 हेलीकॉप्टरों की घातक दुर्घटनाओं के पश्चात दिनांक 01.05.2011 को डीजीसीए द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचालन निलम्बन करना है। संरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन की शर्त पर डीजीसीए द्वारा दिनांक 06.06.2011 से सेवाओं को पुर्नरारम्भ करने की अनुमति प्रदान की। सिक्किम में सेवाएँ 22.06.2011 को, त्रिपुरा में सेवाएं 25.07.2011 को और गृह मंत्रालय (पूर्वोत्तर) में 27.09.2011 से आरंभ की गई।

जुहू, एयरोड्रम मुंबई में अपतटीय परिचालनों के लिए तैयार डॉफिन हेलीकॉप्टरों का बेड़ा

दुर्घटना के पश्चात मेघालय और अरूणाचल प्रदेश सरकारों द्वारा संविदाओं को रद्द किया गया।

ख) बेड़े का विवरण

31.03.2012 को कंपनी के प्रचालन बेड़े का विवरण निम्नवत है:-

हेलीकॉप्टर का प्रकार	**हेलीकॉप्टरों की संख्या**
डॉफिन एस ए 365 एन	18
डॉफिन ए एस 365 एन 3	17
बेल-407	4
बेल 206 एल 4	3
एएस 350 बी 3	2
एमआई -172	1
कुल	**45**

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने सीमा सुरक्षा बल के स्वामित्व के 05 ध्रुव हेलीकॉप्टरों के लिए मेसर्स एच ए एल के साथ प्रचालन एवं अनुरक्षण का संविदा किया। इन हेलीकॉप्टरों को सीमा सुरक्षा बल द्वारा नक्सल विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है। कंपनी ने एच ए एल से लीज पर लिए एक ध्रुव हेलीकॉप्टर को अल्प समय के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल विरोधी गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध कराया था।

कंपनी को अगस्त 2012 के अंत में दो नए एम आई 172 हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए, जिससे कुल प्रचालन बेड़े में 47 हेलीकॉप्टर हैं।

ग) बेड़े का डिप्लॉयमेंट

पवन हंस ओएनजीसी के मुम्बई में स्थित अपतटीय प्लेटफार्मों के ड्रिलिंग रिंगों पर कर्मचारियों और आवश्यक सामग्री को पहुँचाने के लिए अहर्निश हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती आई है। पवन हंस मुम्बई से 130 नाटि. मील त्रिज्या के अन्दर ओएनजीसी के रिगों (मुख्य प्लेटफॉर्म तथा ड्रिलिंग रिगों) और उत्पादन प्लेटफॉर्मों (कुओं) में परिचालन करता है। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 14 डॉफिन एन/एन3 हेलीकॉप्टर ओएनजीसी के पास उसके अपतटीय कार्य के लिए अनुबंधित हैं। वर्तमान में 10 डॉफिन एन3 हेलीकाप्टर ओएनजीसी के पास अनुबंधित है जिसमें से 02 डॉफिन हेलीकॉप्टर हर समय आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए नाईट एम्बुलेन्स के अतिरिक्त मुख्य प्लेटफार्म पर तैनाम रहते हैं।

कंपनी अनेक राज्य सरकारों नामतः मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, उड़ीसा, गृह मंत्रालय, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्ष्यद्वीप द्वीप प्रशासन को हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करती है। कंपनी एनटीपीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जीएआईएल, जीएसपीसी, ब्रिटिश गैस आदि को भी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करती है।

पवन हंस प्रति वर्ष मई–जून एवं सितम्बर–अक्तूबर की नियातावधि के दौरान फाटा से श्री केदारनाथ के पवित्र धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रचालन करती है। श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड द्वारा पवन हंस को वर्ष 2012 व 2013 के लिए श्री अमरनाथ यात्रा के लिए भी पहलगाम पंजतरणी सेक्टर हेतु हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने का संविदा प्रदान किया गया है और पंवन हंस ने दिनांक 25 जून, 2012 से 2 बेल 407 हेलीकॉप्टर द्वारा सेवा की शुरूआत की है। कंपनी द्वारा प्रतियोगी परिस्थितियों में माता वैष्णव देवी जी के लिए अप्रैल, 2008 से कटरा से सांझीछत तक सफलतापूर्वक हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रही है। सार्थक प्रतियोगी परिस्थिति में न्यूनतम बोली लगाने वाला घोषित करने के पश्चात माता वैष्णव देवी जी श्राईन बोर्ड द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2011 से तीन वर्षों के लिए कंपनी को संविदा प्रदान किया गया है।

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हेली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पवन हंस ने भारत में पहली बार 50:50 लाभ/हानि भागीदारी के आधार पर एक एम्फिबियन सी–प्लेन को वेट लीज पर प्रारम्भ में जनवरी 2011 से अप्रैल 2011 तक एक पाइलट परियोजना आरम्भ किया था।

घ) बेड़े का विस्तार :

635 करोड़ ₹ की अनुमानित परियोजना लागत से कंपनी ने 10 अदद डॉफिन एन 3, 3 अदद ए एस 350 बी 3 और 2 एम आई 172 हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए विनिर्माताओं से करार पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक 31.03.2011 तक कंपनी ने 5 नए डॉफिन एन 3 और 3 ए एस 350 बी 3 हेलीकॉप्टरों का अर्जन किया है। तत्पश्चात वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान विनिर्माता ने और 5 नए डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों की सुपुर्दगी की है। 2 एम आई 172 हेलीकॉप्टर अगस्त 2012 के अंत में प्राप्त हुए और उड़न योग्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात प्रचालन में लगाया गया है।

ङ.) नए बेड़े के अर्जन हेतु निधियन :

कम्पनी ने अपने आंतरिक संसाधनों से 3 ए एस 350 बी 3 हेलीकॉप्टरों के अर्जन के लिए निधियन किया है और बाकी बचे नए हेलीकॉप्टरों के लिए 80:20 के ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर कंपनी ने 07 नए डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों की खरीद हेतु अनुमानित लागत के 80% के रूप में 275 करोड़ ₹ मियादी ऋण हेतु ओएनजीसी के साथ दिनांक 13.08.2010 को एक करार किया है। प्रत्येक हेलीकॉप्टर के लिए ऋण की वापसी 60 मासिक किस्तों में होनी है। उपर्युक्त ऋण करार के अंतर्गत ओएनजीसी ने 7 अदद डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों की लागत के 80% के रूप में 261 करोड़ ₹ का निधियन किया है। तत्पश्चात ओएनजीसी ने इस ऋण राशि के अंश को (95.85 करोड़ ₹) कंपनी में प्रदत्त पूंजी के रूप में परिवर्तित कराया है। 10 वर्षों की दीघावधि चार्टर लीज पर एक डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर हेतु एनटीपीसी ने 52 करोड़ ₹ का निधियन किया है। कंपनी ने मेसर्स एसबीआई कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड को एकजिम बैंक और विजया बैंक से ऋण समूहन के लिए एड्वाइजर और अरेंजर नियुक्त किया है तथा कंपनी ने फरवरी, 2012 में 2 डॉफिन एन 3 के 80% लागत का वित्तीय 90.82 करोड़ ₹ मियादी ऋण एकजिम बैंक से लिया है और 2 एम आई 172 हेलीकॉप्टरों के लिए 80% लागत 95.18 (लगभग)करोड़ ₹ का मियादी ऋण विजया बैंक से लेगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी, हेलीकॉप्टरों की सुपुर्दगी अगस्त 2012 के अंत में हो चुका है। कंपनी को फिच के मियादी ऋण पर आई एन डी ए (स्थिर) श्रेणी मिला है।

च) दिल्ली तथा निकटवर्ती क्षेत्र में हेलीपोर्ट/हैलीपैड:

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जून 2009 को हेलीपोर्ट का निर्माण करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय को रोहिणी के निकट 25 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया है। 64 करोड़ ₹ परियोजना लागत पर रोहिणी हेलीपोर्ट का विकास कार्य पवन हंस को सौंपा गया है, जिसमें सरकार भूमि लागत और विकास कार्य की लागत का 80% निधियन करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने 31.03.2010 को रोहिणी हेलीपोर्ट की परियोजना लागत 64 करोड़ ₹ में से 36 करोड़ ₹ का अंशदान दिया है। कंपनी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए रोहिणी में बुनियादी हैलीपैड सुविधाओं का सर्जन किया है। इसके अतिरिक्त हेलीपोर्ट का अभिकल्पन, योजना एवं प्रचाल हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (ए पी एम सी) को नियुक्त किया गया है। तथा निर्माण एंजेसी की नियुक्ति हेतु निविदा जारी किया जा चुका है।

छ) हडस्पर, पुणे में प्रशिक्षण अकादमी तथा हेलीपोर्ट

पवन हंस को डीजीसीए के स्वामित्व के हडस्पर, पुणे स्थित वर्तमान ग्लाइडिंग सेन्टर में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी सह हेलीपोर्ट विकास का कार्य सौंपा गया है। नगर विमानन मंत्रालय द्वारा परियोजना का अनुमोदन दे दिया गया है और डीजीसीए ने इस उद्देश्य हेतु जीबीएस के रूप में 10 करोड़ ₹ दिए हैं। पवन हंस ने डीजीसीए के साथ दिनांक 17 मई 2010 को एक समझोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था तथा डीजीसीए की ओर से पवन हंस ग्लाईडिंग सेन्टर की भूमि तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाओं का उपयोग करेगी। दिसम्बर 2012 तक हेलीपैड और हेंगर का निर्माण कार्य पूरा करने की सम्भावना है।

ज) इक्विटी पूंजी में वृद्धि:

दिनांक 03.12.2010 को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 120 करोड़ ₹ से बढ़ाकर 250 करोड़ ₹ की गई। कंपनी की प्रदत्त पूंजी भी बढ़कर 245.616 करोड़ ₹ हुई, जिसमें 125.266 करोड़ ₹ भारत सरकार के राष्ट्रपति के नाम है (पूर्व में 89.266 करोड़ ₹) तथा 14.02.2011 के शेयर आबंटन के बाद 120.35 करोड़ ₹ ओएनजीसी लिमिटेड के नाम है (पूर्व में 24.50 करोड़ ₹) । तदनुसार कंपनी में भारत सरकार और ओएनजीसी का शेयर क्रमशः 78.46% तथा 21.54% से परिवर्तित होकर क्रमशः 51% तथा 49% हो गया है।

झ) वित्त वर्ष 2011-12 के अंत के पश्चात निम्नांकित प्रगति हुई :

i) अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अंतर्गत ओएनजीसी द्वारा पवन हंस को उत्पादन कार्य संविदा हेतु 5 वर्ष पुराने 7 अदद डॉफिन एन 3 उपलब्ध कराने का निविदा प्रदान किया गया और अप्रैल से जुलाई 2012 के बीच सभी 7 अदद डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर ओएनजीसी को डिप्लॉय किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए एक बड़ा हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने हेतु निकाली गई निविदा के लिए पवन हंस एल 1 रहा। 14.09.2012 को एल ओ आई प्राप्त हुआ है और 1 जनवरी, 2013 से हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने हेतु संविदा पर हस्ताक्षर किया गया है। 16 जुलाई से मेघालय सरकार को एक डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया गया है और 14 अगस्त 2012 से मिजोरम सरकार को एक डॉफिन एन हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया गया है।

ii) पवन हंस ने 28 नवम्बर, 2012 से बेल 206 एल 4 हेलीकॉप्टर डिप्लॉय करके दिल्ली से वृन्दावन हेतु सेवाएं आरम्भ की है।

iii) पवन हंस ने 12 वीं पच वर्षीय योजना में 2 अदद सी–प्लेन अर्जन की योजना बनाई है (पवन हंस आई ई बी आर के माध्यम से निधियन)। पश्चिम बंगाल राज्य ने हाल ही में पवन हंस फिक्स्ड विंग विमान सेवा आरम्भ करने हेतु एल ओ आई जारी किया है।

II. वित्त

क) वित्तीय परिणाम

वित्त वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के वित्तीय निष्पादन का पूरा विवरण निम्नवत है:–

			(₹ करोड़ में)
विवरण		**2010–11**	**2011–12**
I.	**प्रचालन राजस्व**		
	- प्रचालन से राजस्व	413.03	413.54
	- आकस्मिक राजस्व	10.95	15.32
	योग (I)	**423.98**	**428.86**
II.	**प्रचालन व्यय**		
	- प्रचालन खर्चे	330.19	362.29
	- मूल्यह्रास	46.53	60.30
	योग (II)	**376.72**	**422.59**
III.	**शुद्ध प्रचालन लाभ (I-II)**	**47.26**	**6.27**
IV.	**ब्याज आय** **उधारों पर प्रभारित ब्याज घटाकर**	**6.49**	**9.29**
V.	**पूर्वावधि/असाधारण**	(6.17)	(14.46)
	समायोजन	1.85	21.34
VI.	**कर पूर्व लाभ**	**49.43**	**22.44**
VII.	**कर/आस्थगित कर देयता**	**30.93**	**32.79**
VIII.	**कर के पश्चात शुद्ध लाभ**	**18.50**	**(10.35)**

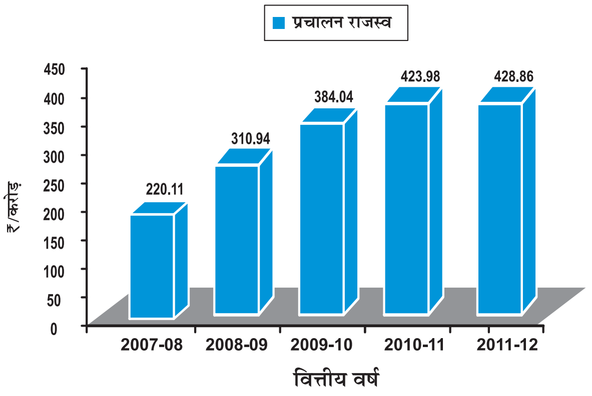

वर्ष 2010–11 का शुद्ध प्रचालन लाभ 47.26 करोड़ ₹ से घटकर वर्ष 2011–12 में 6.27 करोड़ ₹ हुआ, यह मुख्यत: पेंशन प्रावधान के कारण उच्च स्टाफ लागत और कर्मचारियों मजदूरी निर्धारण के पश्चात वेतन पुनरीक्षण का बकाया (34.30 करोड़ ₹), बढ़ती हुई प्रतियोगी परिवेश के कारण (राज्य सरकारें सहित), निम्न चार्टर दरें और लाभ मार्जिन में कमी हैं। अन्य कारण हैं– अगस्त, 2011 से बीमा किस्तों में 57% की वृद्धि और नए अर्जन (9.30 करोड़ ₹ से 18.00 करोड़ ₹ तक वृद्धि यथा गत वर्ष की तुलना में 8.70 करोड़ ₹) तथा मूल्यह्रास में वृद्धि (46.53 करोड़ ₹ से 60.30 करोड़ ₹ यथा गत वर्ष की तुलना में 13.77 करोड़ ₹)।

गत वर्ष की ब्याज आय 6.49 करोड़ ₹ के विपरीत वर्ष 2011–12 में 9.29 करोड़ ₹ की तुलना में वर्ष 2012 में 14.46 करोड़ ₹ हैं। गत वर्ष की शुद्ध हानि 10.35 करोड़ ₹ हैं। कंपनी ने गत वर्ष की 9.97 करोड़ ₹ के विपरीत एम ए टी के रूप में कर का प्रावधान 4.50 करोड़ ₹ उपलब्ध कराया है (सम्पत्ति कर सहित)। पवन हंस ने आस्थगित कर देयता के लिए गत वर्ष की 20.42 करोड़ ₹ की तुलना में नए बेड़े का अर्जन के कारण वर्ष 2011–12 में 28.90 करोड़ ₹ उपलब्ध कराया है।

ओ एन जी सी के लिए अपतटीय कार्य करते हुए डॉफिन हेलीकॉप्टर

कंपनी का लगभग 85% प्रचालन राजस्व प्रतिस्पर्धी निविदाओं के माध्यम से संविदाओं से अर्जित होता है और 5 वर्ष पुराने हेलीकॉप्टरों के मांग अन्य तेल कंपनियों के साथ-साथ राज्य सरकारें विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों से भी हो रहा है। इससे कीमतों पर बड़ा इम्पलिकेशन होगा चूँकि ब्याज और मूल्यह्रास के प्रभाव के कारण चार्टर प्रभारों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और पुराने हेलीकॉप्टरों के लिए ग्राहकों का अभाव हो सकता है। भारत में तेल की खोज व तेल क्षेत्र में वर्तमान हेलीकॉप्टरों के चार्टर दरें कम होने के कारण विदेशी प्रचालक भी अपतटीय निविदाओं के लिए बोली नहीं लगा रहे हैं। बाजार में अपतटीय ए एस-4 अर्हता

ए एस 350 बी 3 हेलीकॉप्टर

मुम्बई में डॉफिन हेलिकॉप्टर अनुरक्षणाधीन

प्राप्त पायलटों की अनुपलब्धता भी एक मुख्य मजबूरी है और अत: पायलटों को एफ डी टी एल / एफ टी एल की सीमाओं तक ही उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विदेशी लीज प्रभारों पर कर रोकने का प्रभाव के कारण विदेशों से 5 वर्ष पुराने ए एस-4 युक्त हेलीकॉप्टरों को लीज पर लेने पर चार्टर दरें अधिक होगा तथा यह निविदाओं के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी नहीं

उत्तर-पूर्व में डॉफिन एन हेलीकॉप्टर

भी हो सकता है।

ख) लाभांश

आपके निदेशकों ने संस्तुत किया है कि कंपनी की संवृद्धि तथा विविधीकरण के लिए निधि की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं हेतु चालू प्रतिबद्ध पूंजी व्यय कार्यक्रमों में आयोग तथा हेलीकॉप्टरों को अर्जन हेतु ओएनजीसी से ली गई ऋण की डेबिट सर्विसिंग के कारण वित्त वर्ष 2011-12 में लाभांश के भुगतान को स्किप किया जाए। इसलिए पूंजीगत परियोजनाओं में पूंजी के महत्वपूर्ण आउटफ्लो के कारण, मुख्यत: नए हेलीकॉप्टरों का अर्जन और वर्ष में कुल हानि के कारण लाभांश हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

ग) भारत सरकार की देयताएँ

भारत सरकार के लम्बित दावे के मुद्दे के सम्बन्ध में नागर विमानन मंत्रालय ने दिसम्बर, 2007 में वित्त मंत्रालय को एक परिशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें वित्त मंत्रालय से सरकार द्वारा कम्पनी से दावाकृत कुल राशि ₹ 470.22 करोड़ (मूल राशि ₹ 130.91 करोड़ तथा 31.03.2001 तक का ब्याज ₹ 339.31 करोड़) का अधित्याग करने पर पुनर्विचार करने हेतु कहा गया है ताकि मौजूद निधि का बेड़े के वर्धन तथा अन्य पूंजीगत आउटले प्रोग्राम हेतु उपयोग किया जा सके, जो नागर विमानन क्षेत्र में भारत में विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में कम्पनी का अस्तित्व बनाए रखने हेतु अपरिहार्य है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है तथा कम्पनी को दावाकृत राशि को सरकारी कोष में जमा करने हेतु कहा गया है। कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21.08.2008 को आयोजित 115वीं बैठक में निर्णय लिया है कि वित्त मंत्रालय के दावे का पूर्ण अधित्याग करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय की पैरवी करे और एक वित्त सलाहकार नियुक्त किया जाए, जो अन्य मुद्दों सहित इसकी जांच करें। वित्त सलाहकार ने कम्पनी के मूल्यांकन में भारत सरकार के दावे के प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री मेघालय सरकार द्वारा डॉफिन एन 3 की तैनाती का उद्घाटन समारोह

है तथा कुछ विकल्पों की संस्तुति की है। रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी के लिए वित्त मंत्रालय के दावे का भुगतान व्यवहार्य विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार कम्पनी ने नागर विमानन मंत्रालय के सचिवों की समिति को भारत सरकार द्वारा दावाकृत ₹ 470.22 करोड़ का अधित्याग करने हेतु जनवरी 2009 में ड्राफ्ट नोट प्रस्तुत किया है। मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

वित्त मंत्रालय के दावा का निपटान के संबंध में दिनांक 29.04.2012 को वित्त मंत्रालय के साथ हुई बैठक के परिणाम स्वरूप, यह निर्णय लिया गया कि विद्यमान प्रतियोगी परिस्थितियों और निविदाओं के अंतर्गत ओएनजीसी का 5 वर्ष पुराने हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता और किस प्रकार वित्त मंत्रालय के 470.22 करोड़ ₹ का दावा कंपनी के सर्वांगीण विकास में अवरोध उत्पन्न करेगी को ध्यान में रखकर बारहवीं पंच वर्षीय योजना अवधि (2012-17) के लिए कंपनी का कारोबार योजना तैयार किया जाए। बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात एस बी आई मार्केट सर्विसेज लिमिटेड की रिपोर्ट दिनांक 02.07.2012 वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय को सौंपा गया है। मामला सरकार के पास विचारधीन है। कंपनी ने संशोधित अनुसूची-*IV* के तहत भारत सरकार की देयता को गैर चालू देयता माना है।

कम्पनी द्वारा 31.03.2001 तक ₹ 339.31 करोड़ का प्रावधान बनाया गया था तथा वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2002-03 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा दावाकृत ब्याज तथा अन्य प्रभारों को अग्रेनीत किया गया है।

घ) नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

लोक उपक्रम विभाग की बैठक में कार्य दल के साथ समझौता वार्ता के उपरांत पवन हंस प्रतिवर्ष नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है।

III. अभियांत्रिकी/अनुरक्षण कार्यकलाप

कंपनी ने अपने हेलीकॉप्टर बेड़े के अनुरक्षण के लिए डीजीसीए के अनुमोदन से दिल्ली और मुम्बई में अत्याधुनिक अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना की है। हेलीकॉप्टरों की गहन अनुरक्षण जाँच की जाती है तथा आन्तरिक सुविधाओं सहित व्यापक कार्यशाला जाँच की सुविधाएँ भी उपलब्ध है। डॉफिन हेलीकॉप्टरों के मेजर 'जी' निरीक्षण के लिए बिना विदेशी सहायता के पूर्ण स्वदेशी आन्तरिक सुविधाओं से अनुरक्षण क्षमता को उन्नत किया गया है, जिससे मरम्मत/निरीक्षण लागत में कमी आई है और विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मुम्बई में अनुरक्षण सुविधाओं के अनुमोदन के अवसर पर डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों का 'जी' निरीक्षण करने हेतु विस्तार (6000 घन्टे एअरफ्रेम ओवरहॉल) किया गया है। कंपनी ने अपने संसाधनों से डॉफिन एन हेलीकॉप्टरों के 27 निरीक्षण - टी/2टी/5टी (6000 घन्टे। 1200 घन्टे/3000 घन्टे) तथा कंपनी की आंतरिक संसाधनों द्वारा डॉफिन हेलीकॉप्टर पर 3 'जी' निरीक्षण (5400 घन्टे) सम्पन्न किया गया।

वर्कशॉप सुविधाओं में संवर्धन एवं निरन्तर प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संवर्द्धन कार्य एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य है। वर्ष के दौरान एन 3 हेलीकॉप्टरों के जी निरीक्षण सुविधाओं के संवर्धन के अलावा डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों के इन्सट्रमेंटों के बैंच चेक हेतु वर्कशॉप सुविधाओं में वृद्धि की गई है। वर्ष के दौरान बेसों में भी बेल हेलीकॉप्टरों का मेजर अनुरक्षण निरीक्षण तथा मेजर पूर्जों के बदलने का कार्य चलता रहा।

IV. सामग्री प्रबंधन

अचल इन्वेट्री के बेहतर नियंत्रण हेतु सामग्री प्रबंधन निर्देश जारी कर दिए गए थे। अभियांत्रिकी तथा सामग्री विभाग द्वारा संयुक्त समीक्षा के आधार पर इन्वेट्री खरीदने की मात्रा को निर्धारित किया गया तथा स्पेयर्स को पूर्व मांग के आधार पर इन्वेट्री खरीदने की मात्रा को निर्धारित किया गया तथा स्पेयर्स को पूर्व मांग के आधार पर ऑर्डर किया गया था। वर्ष के दौरान सामग्री प्रबंधन प्रक्रिया को सुगठित कम्प्यूटरीकरण (इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटराइजेशन) के माध्यम से ऑनलाईन किया गया है। मांग तथा आपूर्ति प्रोसेसिंग को प्रभावशाली बनाया गया है। आँकड़े पारदर्शी हो गए हैं तथा सभी क्षेत्रों और बेसों में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। यथा समय सतर्कता संकेतों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि हुई है।

V. सूचना प्रणाली व प्रौद्योगिकी योजना :

परिचालन, अभियांत्रिकी, सामग्री एवं वित्त जैसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में सूचना प्रणाली व प्रोद्यौगिकी योजना के क्रियान्वयन हेतु मेसर्स टाटा कॅन्सल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा बनाए गए

इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर से कुशलता, सामर्थ्य और ग्राहक सन्तुष्टि में वृद्धि होगी। नोएडा, सफदरजंग एयरपोर्ट तथा मुम्बई के कार्यालयों के लिए एल ए एन/डब्ल्यूएएन एकीकृत संरचना को क्रियान्वित किया गया है। कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा डिटैचमेन्टों हेतु एकीकृत वॉयस कम्यूनिकेशन प्रणाली का कार्य क्रियान्वित किया गया है। कंपनी ने केदारनाथ जी और अमरनाथ जी के लिए यात्री सेवा प्रचालनों हेतु ई-टिकटिंग प्रणाली आरम्भ की है। कंपनी की नई वेबसाइट *http://pawanhans.co.in* लाँच की गई है।

VI. आईएसओ 14001 और 18001 प्रमाणीकरण

कंपनी अपने क्वालिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम आई एस ओ 9001:2008 मानकों के साथ आईएसओ 14001 तथा 18001 के अधीन प्रमाणीकृत हुआ है, जिसे एकीकृत मैनेजमेन्ट सिस्टम के रूप में जाना जाएगा, जिसमें पर्यावरण तथा संरक्षा पहलू सम्मिलित है।

VII. मानव संसाधन विकास

क) श्रमशक्ति

31 मार्च, 2012 को नियमित तथा अनुबंधित कर्मचारियों की संख्या 967 थी, जबकि 31 मार्च, 2011 को कर्मचारियों की संख्या 989 थी।

ख) औद्योगिक संबंध

अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सदभावपूर्ण रहे तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई। कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे विचार-विमर्श के माध्यम से सुलझाए गए। ए आई सी ए ई यू (गैर-तकनीकी संघ) और साथ ही तकनीकी कर्मचारी संघ के साथ दिनांक 01.01.2007 से देय नए वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

ग) प्रशिक्षण

समस्त कर्मचारियों यथा - अधिकारियों, पायलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और सहायक स्टॉफ के लिए प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रबंधकीय निपुणता के विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से व्याख्यान आयोजित किए गए। कंपनी द्वारा कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तथा इन-हाउस प्रशिक्षणों में नामित किया जाता है। नियमित आधार पर पायलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों के लिए विभिन्न पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए एविएशन ट्रेनिंग स्कूल की सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। कंपनी ने सितम्बर, 2009 में मुम्बई में डीजीसीए द्वारा अनुमोदित हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है, जहाँ ए एम ई लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से डीजीसीए द्वारा अनुमोदित बेसिक एयरक्राफ्ट अनुरक्षण इंजीनियरिंग लाइसेंस प्रिपेरटरी कोर्स करवाया जाता है। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष में मेसर्स हेलीसिम, फ्रांस में 40 पायलटों का सिमुलेटर प्रशिक्षण करवाया गया है। अधिक संख्या में पायलटों तथा इंजीनियरों की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र को ध्यान में रखकर बढ़ते हुए बेड़े की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अनुभवी और युवा पायलटों को नियुक्त किए जाने और उनके प्रशिक्षण की कार्रवाई की जा रही है।

VIII. संरक्षा उपाय

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान हुई हेलीकॉप्टर दुर्घनाएं और कंपनी द्वारा लिए गए संरक्षा उपायों का सार निम्नांकित है:-

दिनांक -19.04.2011 को अरूणाचल प्रदेश के तवांग में हेलीपैड पर लैंडिग करते समय एक एम आई 172 हेलीकॉप्टर, पंजीयन संख्या वीटी - पी एच एफ का क्रैश हो गया था, जिसमें 19 व्यक्तियों (3 क्रू सदस्य नामत: 1 पायलट, 1 इंजीनियर और 1 परिचर समेत) की मृत्यु हुई थी। डीजीसीए द्वारा नियुक्त समिति ने जाँच पूरी कर ली है, हेलीकॉप्टर, हैलीपैड से लगभग 27 मीटर अन्दर सूट कर जाने और हेलीपैड की ऊँचाई से लगभग एक मीटर धस जाने के कारण दुर्घटना हुई थी। अग्रवर्ती गति और डीसेंट की धीमी गति के कारण बायाँ अलिओ लैग टूट गया था। इससे हेलीकॉप्टर को स्लाइट लैफ्ट बैंक मिला। इस समय तक रोटर दबाव को बढ़ाने के लिए कलेक्टिव को 13.8° बढ़ाया गया। स्लाइट बैंक और रोटर का बढ़ाया हुआ दबाव से ने हेलीकॉप्टर की एंगूलर गतिमात्रा इस हद तक बढ़ गया कि एक सैकेंड में बैंक 5° से 85° हो गया। रोटर हेलीपैड के आरंभिक स्थान से टकरा गया और टूट गया। हेलीपैड के निकट ही खड़ी ढाल होने के कारण हेलीकॉप्टर ढाल में फिसल गया और दुर्घटना के बाद प्राय: पलट गया। बाद में इसमें आग लग गई और पूर्ण रूप से नष्ट हो गया।

ii) दिनांक 30.04.2011 को अरूणाचल प्रदेश में ईटानगर आ रहे एक ए एस 350 बी 3 हेलीकॉप्टर वीटी-पीएचटी क्रैश हुआ था; जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, अरूणाचल प्रदेश समेत 3 यात्री और दो क्रू सदस्य की मृत्यु हुई थी। लबोथांग, अरूणाचल प्रदेश में हुई दुर्घटना का संभावित कारण "प्रतिकूल मौसम में

श्री अमरनाथ जी सेवा हेतु बेल 407 हेलीकॉप्टर

टेरेन में लापरवाही से नियंत्रित उड़ान" था।

जाँच समिति की अनुशंसा पर पवन हंस द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट डीजीसीए को प्रस्तुत की गई है। अनुपालन स्थिति की निगरानी डीजीसीए द्वारा की जा रही है। पवन हंस ने ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति से बचने के लिए परिचालन और अनुसक्षण प्रणाली को उन्नत करने संबंधी संरक्षा पहल की है। पवन हंस ने ईकाओ/डीजीसीए के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रचालनों में संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एस एम एस) क्रियान्वित करके संरक्षा पहल आरम्भ किया है और चार में से दो चरणों में एस.एम.एस क्रियान्वित किया है। एक नया पर्यवेक्षण विभाग का सर्जन किया है और कंपनी में एक स्वैच्छिक प्रतिवेदन प्रणाली तथा जोखिम प्रतिवेदन प्रणाली प्रवर्तित किया है। हेलीकाफप्टरों प्रचालनों का विश्लेषण और अनुवीक्षण करने हेतु कंपनी ने एफओक्यूए (फ्लाइट प्रचालन गुणवत्ता आश्वासन) समाविष्ट/आरम्भ किया है। संरक्षा को केन्द्रीय/कोर क्रियाकलाप के रूप में सम्मिलित करने हेतु कंपनी ने संरक्षा नीति को भी संशोधित किया है। कंपनी ने देश में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और सुरक्षा जागरुकता के लिए जून, 2010 में दिल्ली में विमानन सुरक्षा व सेवा संस्थान स्थापित किया है। संस्थान ने विमानन संरक्षा पाठ्यक्रम चलाना शुरू कर दिया है। तथा अन्य नए ग्राहकों, नए प्रचालकों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करने तथा विभिन्न हेलीपैड/हेलीपोर्ट/ अपतटीय संस्थापनों को परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराएगी।

IX. निदेशक मंडल

वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें हुई। वर्तमान तथा वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान मंडल में निम्नांकित सदस्य है:-

वर्तमान	
श्री अनिल श्रीवास्तव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (23.03.2012 से)
श्री एस. मछेन्द्रनाथन	अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार ना. वि. मं.
श्री जी. असोक कुमार	संयुक्त सचिव, ना.वि.मं. (12.01.2012 से)
श्री पी.के. बरठाकुर	निदेशक ऑफशोर, ते. प्रा. गै. नि. (05.11.2012)
एवीएम पी. एन प्रधान	ए सी ए एस (प्रचालन, टी व एच) वायु सेना (23.06.2011 से)
श्री अरूण मिश्र	महानिदेशक, नगर विमानन (20.07.2012 से)
निवर्तमान निदेशक	
श्री आर. के. त्यागी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (18.05.2007 से 01.03.2012 तक)
श्री ई. के. भारत भूषण	अपर सचिव व वित्तीय सलहाकार, ना. वि. मं. (18.02.2009 से 16.07.2012 तक
श्री आलोक सिन्हा	संयुक्त सचिव, ना. वि. मं. (16.08.2011 से 12.01.2012 तक
श्री रोहित नंदन	संयुक्त सचिव, ना. वि. मं. (28.12.2009 से 16.08.2011 तक)
एवीएम एम. बहादुर	एसीएएस (प्रचालन, टी व एच) वायु सेना (15.01.2009 से 01.06.2011 तक
श्री सुधीर वासुदेवा	निदेशक ऑफशोर, ओएनजीसी (01.02.2009 से 05.11.2012 तक

एम-आई-172 हेलीकॉप्टर

निदेशक मंडल श्री आर. के. त्यागी, श्री ई. के. भारत भूषण, श्री आलोक सिन्हा, श्री रोहित नंदन, एवीएम एम. बहादुर और श्री सुधीर वासुदेवा द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दी गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना करता है।

वित्त वर्ष 2011-12 की बोर्ड बैठकों में तथा पिछली एजीएम में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का विवरण निम्नांकित है:-

निदेशक के नाम	वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड बैठकों की तिथि-उपस्थित निदेशक				वा.सा. बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति
	5.5.2011	29.7.2011	1.11.2011	29.12.2011	29.12.2011
श्री आर. के. त्यागी	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री ई. के. भारत भूषण	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री रोहित नन्दन	जी हाँ	अवकाश	सीज्ड	सीज्ड	सीज्ड
श्री सुधीर वासुदेवा	जी हाँ	अवकाश	अवकाश	अवकाश	जी हाँ
एवीएम एम. बहादुर	अवकाश	सीज्ड	सीज्ड	सीज्ड	सीज्ड
एवीएम पी. एन. प्रधान	-	जी हाँ	अवकाश	अवकाश	अवकाश
श्री आलोक सिन्हा	-	-	जी हाँ	अवकाश	अवकाश
श्री एस. मछेन्द्रनाथन	-	-	-	जी हाँ	जी हाँ

कंपनी के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 274 (1) (छ) के प्रावधान के अनुसार अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

X. *निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण*

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2एए) के प्रावधान के अनुसार 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक लेखें के संबंध में आपके निदेशकों ने :-

क) वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानको का पालन किया है तथा सामग्री के अपसरण के संबंध में उचित स्पष्टीकरण समाविष्ट किया है।

ख) ऐसी लेखांकन नीतियों का चुना है तथा उनका बराबर प्रयोग किया है तथा ऐसे विनिर्णय तथा प्राक्कलन किए हैं जो उचित तथा युक्ति संगत हैं, जिससे वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्य मामले तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की सही तथा सत्य छवि प्रस्तुत हो सके।

ग) कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसम्पत्तियों के रक्षार्थ पूर्वोपाय तथा जालसाजी और अन्य विसंगतियों का रोकने तथा पता लगाने के लिए समुचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया; और

घ) वार्षिक लेखों को प्रचलित आधार पर तैयार किया गया है।

गंतोक, उतर पूर्व मे जीवन रेखा

XI. नैगमिक अभिशासन :

कंपनी ने नैगमिक अभिशासन के विषय में पहल किया है तथा इसके कार्यप्रणाली को विभिन्न स्टेक होल्डरों द्वारा स्वीकारा गया है।

कंपनी ने डीपीई द्वारा 06.07.2007 को जारी नैगमिक अभिशासन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाया है। डीपीई ने दिनांक 14.05.2010 के का. ज्ञा. के माध्यम से इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अनिवार्य किया है तथा पवन हंस ने डीपीई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सम्भाव्य अधिकतम रूप से अपनाया है, सिवाय स्वतंत्र निदेशकों के अपेक्षित संख्या के, जो नागर विमानन मंत्रालय के विचाराधीन है । निदेशक मंडल द्वारा 110वी बैठक में आदर्श आचरण संहिता का अनुमोदन किया गया है तथा इस पर कार्यत्मक प्रमुखों तथा निदेशकों ने हस्ताक्षर किया है और कंपनी की वेबसाइट में दर्शाया गया है।

कार्यप्रणाली के अनुसार कंपनी ने नैगमिक अभिशासन के संबंध में, स्टेक होल्डर द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को कंपनी की कारपोरेट वेबसाइट www.pawanhans.co.in पर उपलब्ध कराया है।

लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम की धारा 292 (क) के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा 24.25.2001 को इसके अध्यक्ष तथा दो निदेशकों को शामिल करके एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है लेखापरीक्षा समिति के द्वारा, वित्तीय विवरण, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखापरीक्षको की रिपोर्ट, सी एवं एजी के टिप्पणियों की समीक्षा की जाती है। तथा वित्त वर्ष में अपेक्षित बैठकों का आयोजन किया जाता है वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा 29.07.2011, 01.11.2011 और 29.12.2011 को बैठकें की गई। वर्तमान लेखापरीक्षा समिति में श्री एस मछेन्द्रनाथन, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय अध्यक्ष के रुप में, श्री जी. अशोक कुमार, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, एवीएम पी.एन. प्रधान, ए सीए एस (प्रचालन, टी व एच), वायुसेना मुख्यालय और श्री अरुण मिश्र, महानिदेशक नागर विमानन सदस्य के रुप में शामिल हैं।

नैगमिक अभिशासन पर डीपीई मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अपेक्षाओं के अनुसार विवरण :

गत चार वर्षो के दौरान आयोजित वार्षिक सामान्य बैठको का विवरण निम्नांकित है :-

वार्षिक सामान्य बैठक	वा. सा. वै. का समय	वा. सा. वै. का स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
24वीं वार्षिक सामान्य बैठक 23.12.2009 को आयोजित की गई	12.30 (अप.)	पंजीकृत कार्यलय सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110 003	एएमई प्रशिक्षण संस्थान, संरक्षा संस्थान, फिक्स्ड विंग एयर क्राफ्ट तथा समुद्री प्लेन का प्रचालन और हेलीपैड/हेलीपोर्ट के विकास के नए कारोबार से संबंधित खंड को सम्मिलित करते हुए समझोता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य खंड में परिवर्तन
25वीं वार्षिक सामान्य बैठक 03.12.2010 को आयोजित की गई	12.30 (अप.)	पंजीकृत कार्यलय सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110 003	प्राधिकृत पूंजी 120 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 250 रुपए करोड़ करना तथा भारत के राष्ट्रपति के नाम 36 करोड़ रुपए और आ एन जी सी के नाम से 95.85 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर जारी करना।
26वीं वार्षिक सामान्य बैठक 29.12.2011 को आयोजित की गई	12.30 (अप.)	पंजीकृत कार्यलय सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110 003	-
27वीं वार्षिक सामान्य बैठक 27.12.2012 को आयोजित की गई	12.30 (अप.)	पंजीकृत कार्यलय सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110 003	कंपनी के नाम मे परिवर्तन "पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड" के स्थान पर "पवन हंस लिमिटेड"

राष्ट्रपति के निदेश

वर्ष के दौरान राष्ट्रपति का कोई निदेश जारी नहीं किया गया।

लोक शिकायत निवारण

कर्मचारियों के शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

सिटिजन चार्टर

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर सिटिजन चार्टर प्रकाशित किया है।

सत्यनिष्ठा समझौता

दिनांक 09.11.2011 को कंपनी ने ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ सत्यनिष्ठा समझौता पर हस्ताक्षर किया है।

वरिष्ठ प्रबंधन का संबंधित पार्टी लेन-देन

वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित कोई भी संबंधित पार्टी लेन-देन वर्ष के दौरान नहीं हुए जिसमें उनका कोई व्यक्तिगत हित हो।

कारपोरेट गवर्नेंश दिशानिर्देश के अनुपालन से संबंधित अभ्यासरत कंपनी सेक्रेटरी का सर्टीफिकेट

कारपोरेट गवर्नेंश दिशानिर्देश के अनुपालन से संबंधित सर्टीफिकेट अभ्यासरत कंपनी सेक्रेटरी से प्राप्त हो गए है।

पारिश्रमिक समिति

स्वतंत्र निदेशकों के अधिष्ठापन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक समीति गठित की जाएगी जो वर्तमान में प्रशासनिक मंत्रालय के विचाराधीन है।

वीसॅल ब्लोअर नीति

स्वैच्छिक पहल के रूप में एक वीसॅल ब्लोअर नीति का अनुपालन किया जा रहा है। यह नीति सुनिश्चित करेगी कि एक सच्चे वीसॅल ब्लोअर को किसी भी प्रकार के अत्याचार से उपयुक्त सुरक्षा मिले। यह नीति कंपनी के समस्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी तथा कंपनी के इन्ट्रानेट में लोड होगी। किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति में पहुँच से वंचित नहीं रखा गया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी डीपीई द्वारा जारी सी एस आर मार्गदर्शो सिद्धान्तों के अनुसार और वर्ष 2010-11 तथा 2010-12 के समझौता ज्ञापन अनुसार सौंपा गया निगमित सामाजिक दायित्व की भूमिका का पालन कर रहा है। कंपनी ने डीपीई द्वारा बनाए गए मागदर्शो सिद्धान्तों के आधार पर सितम्बर 2010 में नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अवलम्बनीय नीति बनाया है। वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 1.07 करोड़ और 2011-12 के लिए ₹ 0.56 करोड़ का नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व बजट अनुमोदित किया गया था। पवन हंस, पूर्वोत्तर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निपुणता का विकास हेतु और पूर्वोत्तर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना तैयार कर रहा है। साथ ही कंपनी ने अरूणाचल प्रदेश में रामकृष्ण मिशन अस्पताल को दो एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराया है।

XII. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 की वार्षिक लेखे हेतु दी गई टिप्पणियों को उनके उत्तर सहित अनुलग्नक 'क' में संलग्न किया गया है। (कृपया पृष्ठ 73 देखिए)।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अनुसरण में

ओ एन जी सी की रिगों पर अपतटीय परिचालन सांझीछत में बेल 407 हेलीकॉप्टर

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है (कृपया पृष्ठ 86 देखिए)।

XIII. कर्मचारियों का विवरण

निगमित मामले मंत्रालय द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2011 के अधिसूचना सं. जीएसआर 289 (ई) द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (ए) के अनुसार सरकारी कंपनी 1975 के प्रावधानों में संशोधन के अनुसार सरकारी कंपनी में प्रतिवर्ष ₹ 60 लाख या इससे अधिक वेतन पाने वाले या पूरे वित्त वर्ष में नियुक्त या प्रतिमाह ₹ 5 लाख पाने वाले, यदि नियुक्त या वित्त वर्ष में आंशिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों का विवरण शामिल करना आवश्यक नहीं है।

XIV. राजभाषा नीति

समीक्षाधीन वर्ष में कम्पनी ने सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन, हिन्दी कार्याशालाओं का आयोजन, वित्तीय प्रोत्साहन, विज्ञापनों का द्विभाषी रूप से जारीकरण तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

XV. विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

कम्पनी विकलांग व्यक्तियों के लिए बने अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) का पालन करती है।

XVI. सतर्कता

कम्पनी में एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग है, जिसका प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी है। सी वी सी के मार्गदर्शन ई–टेंडर, ई–टिकट, ई–पेमेन्ट और फाइल ट्रेकिंग क्रियान्वित किया गया है। अधिप्राप्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नवम्बर, 2011 में ट्रांसपरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया के साथ इन्टीग्रीटी पैक पर हस्ताक्षर किया है। सीवीसी के अनुमोदन से एक स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक (आई ई एम) की भी नियुक्ति की गई। कंपनी की वीसॅल ब्लोवर नीति का अनुमोदन किया जा चुका है।

सतर्कता दृष्टिकोण को आकर्षित करने वाले मामलों पर सतर्कता मामले पहल किया जा चुका है और कुछ अधिकारियों/वरिष्ठ कार्यपालकों को बड़ी शास्ति के लिए आरोप पत्र दिया गया है। सतर्कता विभाग का विवेकशील क्रियाशीलता से संगठन की कार्यक्षमता और छवि और साथ ही जवाबदेही कोड में संवर्धन हुआ है। कर्मचारियों को महत्वपूर्ण अधिनियम व नियमों तथा सतर्कता मुद्दों से संबंधित सी बी सी के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में एक सतर्कता हैंड बुक का संकलन किया गया है।

सतर्कता विभाग विभिन्न मामलों का अध्ययन भी कर रहा है ताकि संगठन में मौजूदा प्रचलित पद्धति और कार्यप्रणाली में सुधार तथा सरलीकरण किया जा सके, विशेषकर उन क्षेत्रों में, जहां प्रणाली में सुधार की अपेक्षा है, जिससे कार्यकुशलता, खर्चे घटाने और पारदर्शिता प्रदान करने में संवर्धन हो। अध्ययन का मुख्य क्षेत्र विलम्ब परिस्थिति, विलम्ब के कारण और सम्भव उपाय हैं, ताकि अनुकूल कौशल पद्धति द्वारा विलम्ब में कमी और भ्रष्टाचार के अवसर को कम किया जा सके। इन अध्ययनों में किस प्रकार वार्षिक सम्पत्ति विवरण, सतर्कता, जागरूकता प्रशिक्षण, स्पेयर्स की खरीद और यान्त्रिक सुविधा की समीक्षा करके पारदर्शिता और सतर्कता व्यवस्था को सशक्त बनाया जा सके भी केन्द्रीत है।

XVII. उभरता परिवेश

उभरते हुए नए परिवेश, में कम्पनी के सामने प्रतियोगी बनने के लिए अवसर और चुनौतियां हैं, जिसके लिए इसे गुणवत्ता सुधारनी होगी और लागत भी कम करनी पड़ेगी। पवन हंस भारत में हेलीकॉप्टर प्रचालन करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है तथा इसके परिचालन और अनुरक्षण उच्च मानकों वाले हैं। कम्पनी संरक्षा निष्पादन में समग्र विकास के लिए उत्कृष्टता हासिल करने हेतु अथक प्रयास करती रही है। यही समय है कि कम्पनी को अपनी शक्ति बटोरनी होगी और अपना कौशल बढ़ाना होगा ताकि हेलीकॉप्टर परिचालन में एशिया में सबसे अग्रणी बने तथा साथ ही विमानन उत्पादों की मरम्मत व ओवरहॉल में विश्वस्तरीय बन सके।

XVIII. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशक से प्राप्त सतत सहयोग व सहायता के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल ओएनजीसी लिमिटेड एवं विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य ग्राहकों को हार्दिक धन्यवाद देता है, जिन्होंने कम्पनी के परिचालन योगदान दिया है।

निदेशक मंडल कम्पनी की प्रगति के लिए प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों द्वारा किए गए उनके कर्तव्य-निष्ठ कार्यों की प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल के लिए और
उनकी ओर से
(अनिल श्रीवास्तव)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 27 दिसम्बर, 2012
स्थान : नई दिल्ली

सांझीछत में बेल 407 हेलीकॉप्टर

प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

हेलीकॉप्टर प्रचालन का परिदृश्य

उद्योग संरचना तथा विकास

भारत में हेलीकॉप्टरों का भविष्य उज्वल है। हेलीकॉप्टरों का विभिन्न वातावरणों में उड़ान भरने की क्षमता और साथ ही फिक्स्ड विंग एअरक्राफ्टों हेतु अवसंरचना का केवल इन्क्रिमेन्टल विस्तार हो सकने के कारण अभूतपूर्व गति से हेलीकॉप्टरों का विकास होना स्वाभाविक है। वर्तमान भारत में लगभग 300 सिविल हेलीकॉप्टरों का प्रचालन हो रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय आँकड़ा 35,750 की तुलना में अत्यन्त कम हैं। सरकार हेलीकॉप्टर प्रचालनों में शीघ्र विकास की आकांक्षा कर रहा है और 300 हेलीकॉप्टर समावेश करना चाहता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अगले 5 वर्षो के दौरान हेलीकॉप्टर प्रचालनों में वृद्धि करने हेतु सरकार की नीति योजना निम्नांकित हैं:-

क) हेलीकॉप्टर प्रचालनों में शीघ्र वृद्धि हेतु उचित अवसंरचना की स्थापना। प्रथम चरण में देश के चार क्षेत्र में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा-उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुम्बई, पूर्व में कोलकाता और दक्षिण में चैन्ने/बंगलरू। जम्मू व कश्मीर, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात आदि दूरवर्ती क्षेत्रों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए हेलीपोर्टो का निर्माण। सामाजिक-अर्थिक प्रतिबद्धता स्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ने हेतु विशेष अपेक्षाएं हैं।

ख) इन हेलीपोर्टो का सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त सैक्टर में निर्माण किया जाएगा। हेलीपोर्टो के निर्माण का प्राथमिक उत्तरदायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का होगा। तथापि, क्रिटिकल कार्य पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड और निजी सैक्टर द्वारा किया जा सकता है।

(ग) हेलीकॉप्टर प्रचालनों की आवश्यकताओं को अनुकूल बनाने हेतु ग्रीन फील्ड एअरपोर्ट नीति को उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया जाएगा।

(घ) पर्यटन विभाग के अवसंरचना विकास स्कीम जैसी स्कीमों के माध्यम से हेलीपैडों और हेलीपोर्टो के निर्माण हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ड) सरकार समय-समय पर हेलीकॉप्टर कारिडरों की आवश्यकता का पुनरीक्षण करेगा तथा उद्योग के बदलाव की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें अद्यतन करेगा। एअरस्पैस प्रबंधन इस प्रकार से की जाएगी ताकि फिक्स्ड विंग के साथ-साथ हेलीकॉप्टरों का इष्टतम विकास किया जा सके।

(च) आने वाले वर्षों में भारत में पर्यटन और चिकित्सा निष्क्रमण कार्य हेलीकॉप्टरों के विकास का प्रमुख प्रेरक बनेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी तथा एनएचएआई के माध्यम से सरकार चिकित्सा निष्क्रमण को बढ़ावा देगी।

(छ) चूँकि, आम लोगों के लिए चिकित्सा निष्क्रमण अभी भी एक महंगा सौदा है, चिकित्सा बीमा कंपनियों को ऐसे निष्क्रमण की लागत को भी शमिल करने हेतु उचित पैकेज तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस ऐसी सुविधाएँ प्रदत्त करेगी।

(ज) संबंधित मंत्रालयों के साथ प्रमुख और प्रतिष्ठित सरकारी तथा निजी अस्पतालों हेतु हेलीपेडों के निर्माण हेतु समन्वय किया जाएगा।

(झ) भारत में हेलीकॉप्टर प्रचालनों की वृद्धि हेतु डीजीसीए तथा एएआई द्वारा हेलीकॉप्टरों के लिए अलग विंग बनाई जाएगी। हेलीकॉप्टरों के विनियामक प्रणाली को निरन्तर उन्नत किया जाएगा ताकि इस सैक्टर में विकास हो सके।

विषय वस्तु	कार्यनीति पहल
हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से हवाई सम्पकर्ता	हेलीकॉप्टर प्रचालनों में शीघ्र वृद्धि
अवसंरचनात्मक निर्माण	i) देश में हेलीकॉप्टरों और हेलीपैडों का निर्माण ii) हेलीकॉप्टरों के लिए विश्वस्तरीय एमआरओ का निर्माण iii) मानव संसाधन क्षमता विकास हेतु हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना।

2001-02 से 2011-12 के दौरान भारत में पंजीकृत सिविल हेलीकॉप्टरों का वृद्धि चार्ट

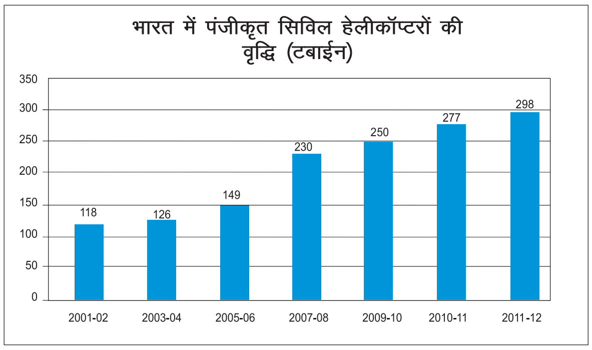

वर्ष 2010-11 में भारत में पंजीकृत कुल 277 सिविल हेलीकॉप्टरों में से 212 हेलीकॉप्टरों के बेड़े में 71 एनएसओपी प्रचालक थे, 37 हेलीकॉप्टरों के बेड़े में 17 सरकारी / बीएसएफ प्रचालक और 28 हेलीकॉप्टरों के बेड़े में 20 निजी प्रचालक थे। 277 हेलीकॉप्टरों में से 154 दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर हैं जो 56% है तथा 123 एक इंजन वाले हेलीकॉप्टर हैं जो 44% है जो देश की कुल हेलीकॉप्टरों की संख्या हैं। कुल हेलीकॉप्टरों में से भारत में 43 हेलीकॉप्टरों को (15.53%) इ एवं पी कम्पनियों को लॉजिस्टिक सहायता हेतु, 212 हेलीकॉप्टरों (76.53%) को हेलीचार्टर हेतु और 22 (7.94%) को हेली तीर्थाटन/ हेली पर्यटन हेतु सिविल क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। (स्रोत: अंतरराष्ट्रीय हेलीकॉप्टर सोसाइटी टीम हेतु आर. डब्ल्यू.एस.आई का प्रस्तुतीकरण (आईएचएसटी))।

पहंहेलि के स्वामित्व में 47 हेलीकॉप्टर हैं और यह अन्य एजेंसियों के स्वामित्व के 5 हेलीकॉप्टरों का प्रचालन तथा अनुरक्षण करता है। भारत में 6 प्रचालक हैं, जिनके पास पाँच या अधिक हेलीकॉप्टर हैं। पहंहेलि बृहततम प्रचालक है और दीर्घावधि आधार पर वाणिज्यिक हेलीकॉप्टरों के प्रचालन में बाजार का प्रमुख शेयर धारक है।

भविष्य में कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित (अवसर) तथा महत्वपूर्ण जोखिम हेतु कंपनी के दृष्टिकोण हेतु प्रबंधन का मूल्यांकन

अग्रणी बने रहने हेतु पवन हंस का निम्नांकित मुख्य पहल करने का विचार है :-

- ♦ हेलीकॉप्टर प्रचालन
  - वर्तमान बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करना।
  - नए बेड़े का अर्जन
  - नए क्षेत्रों में कारोबार
- ♦ एमआरओ सुविधाओं की स्थापना
- ♦ प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना
- ♦ हेलीपोर्ट और संयुक्त उद्यम स्थापित करना
- ♦ सीप्लेन परिचालन
- ♦ ग्राहक सन्तुष्टि में सुधार

वर्तमान बाजारों में अपने प्रतिस्पर्धी स्थान का सुदृढ़ीकरण

- बाजार लाभ के लिए मौजूदा अनुबंधों का नवीकरण।
- संरक्षा तथा विश्वसनीयता के उच्च मानकों को कायम रखना।
- नए मीडियम श्रेणी के हेलीकॉप्टरों के अर्जन द्वारा अपतटीय प्रचालनों में कोर योग्यता/सक्षमता में वृद्धि।
- जब भी अवसर उत्पन्न हो चुनिन्दा अंतरराष्ट्रीय प्रचालन करना।
- ग्राहकों की आवश्यकताओं पर फोकस में सुधार करके अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति का सुदृढ़ीकरण ।
- ग्राहकों और अन्य कारोबार सहयोगियों के साथ सम्बधों में सुदृढ़ीकरण।

नए बेड़े का अर्जन

पवन हंस ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में (2012-2017) कुल राशि ₹725.00 करोड़ रुपए प्रस्तुत किया है, जिसमें 10 अदद हेलीकॉप्टर और 2 अदद सी प्लेन के लिए ₹559.35 करोड़ रुपए शामिल हैं। उपर्युक्त अर्जन आई ई बी आर के माध्यम से निधियन किया जाएगा। प्रस्तावित 10 अदद हेलीकॉप्टरों के अर्जन में से 05 अदद मीडियम हेलीकॉप्टर हैं, जिसकी सुपुर्गी वित्त वर्ष 2015-2016 (2 अदद) और 2016-2017 में (3 अदद) प्रक्षेपित हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2016-2017 में 10 अदद पुराने डॉफिन एवं हेलिकॉप्टरों बदलाई के विपरीत 10 अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों के अर्जन हेतु अग्रिम भुगतान प्रक्षेपित किया गया है, जिसकी सुपुर्दगी वित्त वर्ष 2017-18 में प्रक्षेपित है। उपर्युक्त बारहवीं पंच वर्षीय योजना प्रक्षेपणों को जुलाई, 2011 में नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।

ओएनजीसी के साथ मौजूदा संविदा में उत्पादन के अलावा कर्मीदल परिवर्तन हेतु 5 वर्ष पुराने हेलीकॉप्टरों को उपलब्ध कराए जाने का खण्ड अनुबद्ध है। कर्मीदल परिवर्तन हेतु 3 अदद डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर और उत्पादन कार्य हेतु 07 अदद डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों का मौजूदा संविदाएं क्रमश: अगस्त 2015 और मार्च 2017 में समाप्त हो जाएगी। इन संविदाओं का नवीकरण के समय ओ एन जी सी द्वारा वर्तमान में तय किया हुआ पुराने मानदंड की शर्तों को नए डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों द्वारा पूरा किया जाना अप्रत्याशित है और तदनुसार ओ एन जी सी के अतिरिक्त मांग को पूरा करने हेतु पवन हंस को और अधिक मीडियम/इन्टरमिटेड श्रेणी के हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता पर सकता है।

इसके अतिरिक्त ब्रिटिश गैस, जीएसपीसी, केरिन एनर्जी, पेट्रो गैस आदि अन्य अपतटीय कंपनियों को भी 5 वर्ष पुराने हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता हो सकती है और अत: पवन हंस को अपने पुनरीक्षित प्रक्षेपणों में इन आवश्यकताओं पर भी विचार करना अपेक्षित है।

मौजूदा 18 अदद डॉफिन एन हेलीकॉप्टरों की बेडे को वित्त वर्ष 1986-87 और 1987-88 में अर्जित किया गया था, जिसकी उपयोगी आर्थिक जीवनकाल 30 वर्ष है। इन हेलीकॉप्टरों की उपयोगी आर्थिक जीवनकाल वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में पूरी होने की सम्भावना है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक पुराने बेड़े के 9 अदद हेलीकॉप्टरों को और वित्त वर्ष 2022 के अंत तक शेष 9 अदद हेलीकॉप्टरों को माइनर रिफरविशमेन्ट के साथ, यदि अपेक्षित हो, निपटाने की योजना है।

उपर्युक्त बाज़ार परिदृश्य को ध्यान में रखकर बारहवीं पंचवर्षीय योजना में हेलीकॉप्टरों का अर्जन/निपटान प्रक्षेपणों की अब समीक्षा और पुनरीक्षण किया गया है। तद्नुसार, पूर्व में अनुमानित लागत ₹1189.50 करोड़ रुपए पर 22 अदद हेलीकॉप्टरों का प्रक्षेपण किया गया है, जिसमें 2 अदद लाइट एकल इंजन हेलीकॉप्टर, 2 अदद लाइट दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर, 17 मीडियम हेलीकॉप्टर और 01 अदद एम आई-172 हेलीकॉप्टरों का प्रक्षेपण किए गए हैं।

नए क्षेत्रों में कारोबार का अनुशीलन

- चिकित्सा निवास, कानून प्रवर्तन, खबर जुटाने, अंत: परिवहन, मुख्य शहरों के केन्द्रों को एयरपोर्ट से जोड़ना, कारपोरेट यातायात, पावर इंसुलेटरों का हॉटलाइन वाशिंग आदि।
- देश के पर्यटन/तीर्थाटन क्षेत्रों में जबर्दस्त संभावना है जिसका सावधानीपूर्वक दोहन करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए जिन नए क्षेत्रों का पता लगा सकते है, वे राज्य हैं हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, दक्षिण भारत, गोआ और उत्तर-पूर्व के राज्य।

ध्रुव हेलीकॉप्टरों के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु एचएएल के साथ कार्यनीति सहयोग

- ध्रुव हेलीकॉप्टरों के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु एचएएल के साथ अनुबंध स्थापित करना।

आपदा प्रबंधन-समर्पित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं/एसएआर परिचालन।

- देश के प्रथम मेडीवैक हेलीकॉप्टर को पहंहेलि द्वारा ओएनजीसी को उपलब्ध कराया गया।
- एनडीएमए के सहयोग से पवन हंस मेडिवेक/एसएआर सैक्टर में उद्यम की सम्भावना की खोज करेगी।
- आपात मेडिकल सेवाएँ/एसएआर की भूमिका तथा बेहतर अभिशासन और जिला स्तर पर हेलीपैडों / हेलीपोर्टों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से जीबीएस के माध्यम से वित्तीय सहायता।

हेलीकॉप्टर अनुरक्षण सेवाएँ

डॉफिन श्रृंखला के हेलीकॉप्टरों के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड यूरोकॉप्टर, फ्रांस का प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्र है।

पवन हंस ने प्रारंभिक तौर पर डॉफिन बेड़ा रखने वाले अन्य प्रचालको को मरम्मत तथा ओवरहॉल सुविधाएँ प्रदान करने हेतु योजना बनाई है। इस उद्देश्य से एक नया अत्याधुनिक अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण केन्द्र

डीजीसीए ने पवन हंस को हडस्पर, पुणे के ग्लाडिंग सेंटर में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण केन्द्र तथा हेलीपोर्ट निर्माण करने का कार्य सौंपा है।

हेलीपोर्ट

नागर विमानन मंत्रालय ने रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य सौंपा है, जो देश का प्रथम एकीकृत हेलीपोर्ट होगा, जिसमें हेलीकॉप्टरों का प्रचालन तथा पार्किंग, अनुरक्षण सुविधाएँ, छोटे वाणिज्यिक केन्द्र आदि की व्यवस्था होगी।

ग्राहक संतुष्टि में सुधार

पवन हंस समय-समय पर यात्रियों तथा ग्राहका संगठनों से प्रतिपुष्टि संग्रह करता आया है तथा एक बाहरी एजेंसी को प्रपत्र पुनर्विकास करने तथा संग्रह करने हेतु लगाया है।

सामर्थ्य तथा असमर्थता : – संस्थानिक ग्राहकों (जैसे-ओएनजीसी, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम) को दीर्घावधि आधार पर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराना, अत्याधुनिक अनुरक्षण सुविधाएँ, बेड़े में भिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों के होने से ग्राहकों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रतिस्पर्धी सुविधा, बृहत आकार का निपुण श्रमशक्ति (अनुभवी पायलटों, इजीनियरों तथा तकनीशियनों) और सरकारी सहायता पवन हंस का कुछ सामर्थ्य हैं। तथापि, विशिष्ट प्रतिस्पर्धी वातावरण के फलस्वरूप हेलीकॉप्टर सेवा के कम चार्टर दरें तथा बढ़ती निवेश लागत के मददेनजर अनुवर्ती अवधि में लाभ में कमी होने की सम्भावना है।

जोखिम तथा चिन्ता

सार्वजनिक उपक्रम जैसे – ओएनजीसी तथा जीएसपीसी ने 5 वर्ष पुरानी अवस्था की हेलीकॉप्टरों के लिए टेंडरों को जारी किया है। पूर्वोत्तर के राज्य जैसे – अरूणाचल प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष पुरानी हेवी हेलीकॉप्टरों के लिए टेंडर जारी किया है। अत: यदि इस प्रवणता को कुछ अन्य ग्राहको द्वारा अनुसरण किया जाए तो पुरानी हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए नया कारोबार खोजना जोखिम हो सकता हैं। विशेषकर कुछ राज्यों सरकारों से वसूली अवधि लम्बी होने के फलस्वरूप बृहत राशि का बकाया देय हैं। यह नए हेलीकॉप्टरों के बेड़े का अर्जन करने हेतु ली गई टर्म लोन को ध्यान में रखते हुए कंपनी के केशफ्लो को प्रभावित कर सकता है। यद्यपि, ग्राहकों के साथ प्राय: सभी अनुबंधों में विदेशी मुद्रा तथा ऐविएशन टर्बाइन फ्यूल दरों में घट-बढ़ के संबंध में हानि से बचने का प्रबंध का प्रावधान बनाया हुआ है। ऐसे घट-बढ़ अनुबंधों को प्रभावित करता है, जिससे हेलीकॉप्टर सेवा के चार्टर दरें निश्चित और सुदृढ़ हो सकता था, लेकिन इससे निवेश लागत में वृद्धि तथा लाभ में कमी होती है। एयर और ग्राउंड के संरक्षा ही विमानन कारोबार को विशेषता प्रदान करता है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएँ ग्राहक के विश्वास को प्रभावित करता है और कंपनी के कारोबार को प्रभावित करता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इनकी पर्याप्तता

क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रक्रियाओं को संस्थात्मक बनाने के लिए समय-समय पर मानक पद्धतियाँ और मार्गदर्शी सिद्धान्तों को जारी किया जाता है। पहंहेलि में आंतरिक नियंत्रण हेतु एक पर्याप्त प्रणाली है, ताकि क्रियाकलापों का अनुवीक्षण तथा परिसम्पत्तियों की किसी भी प्रकार की अप्राधिकृत उपयोग के विरुद्ध नियंत्रण किया जा सके तथा जो संव्यवहार प्राधिकृत है उसका रिकार्ड और रिपोर्ट किया जा सके। कंपनी सभी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुवर्तन सुनिश्चित करता है और साथ ही उपयुक्त सुधारात्मक उपाएँ, यदि कोई है, सहित विनियामक मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करता है। निदेशक

मंडल के आडिट समिति आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का निरीक्षण करता है। समय-समय पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रचालन तथा संरक्षा पहलूओं का आडिट किया जाता हैं।

वित्त तथा प्रचालनों का विश्लेषण

प्रत्येक तिमाही में अनुपात विश्लेषण सहित वास्तविक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादनों को अंतिम रूप दिया जाता है और निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी को वेबसाइट में वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है और साथ ही कार्यालयीन समाचार को नियमित तथा तुरंत कंपनी की वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाता है।

कंपनी के अंशकालिक निदेशकों के धन संबंधी लेन-देन

वर्ष के दौरान किसी भी अंशकालिक निदेशकों से कंपनी का किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं हुआ हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक या सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

मानव संसाधनों, औद्योगिक संबंध और प्रतिभा प्रबंधन मुद्दा

31 मार्च 2011 की श्रमशक्ति 989 के विपरीत 31 मार्च 2012 को 967 था। श्रमशक्ति में 156 फ्लाइंग क्रू, 106 इंजीनियर, 6 फ्लाइट इंजीनियर, 55 अधिकारी, तकनीशियन, 105 तकनीकी सहायक/हेल्पर तथा 287 सहायक स्टाफ हैं। वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध सदभावपूर्ण था। कंपनी पायलटों तथा अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए भेजता है और नियमित आधार पर कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों का विकास कर रहा है।

पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा आर एवं डी मुद्दा

कंपनी ने हमेशा ऊर्जा का बचत और प्रौद्योगिकी समावेशन को एक महत्वपूर्ण उददेश्य माना है। और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। कंपनी को आई एस ओ - 14001 तथा 18001 प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है, जिसे एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है तथा इसमें पर्यावरण और संरक्षा पहलू शामिल हैं। कंपनी को हाल ही में रोहिणी में हेलीपोर्ट निर्माण करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। कंपनी ने नवोन्मेष के रूप में पुर्जो का स्वदेशीकरण के संबंधी अध्ययन किया है और एचएमयू के (डॉफिन एन - 3 हेलीकॉप्टर) विश्वसनीयता में वृद्धि की है। कंपनी हेलीकॉप्टरों हेतु फ्लाइट अनुरक्षण प्रणाली का व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है। तथा एचएमयू के (डॉफिन एन-3 हेलीकॉप्टर) विश्वसनीयता की वृद्धि हेतु अध्ययन का क्रियान्वयन कर रहा है।

मुख्य वित्तीय अंश
(2011-12 के लिए)

आय के श्रोत

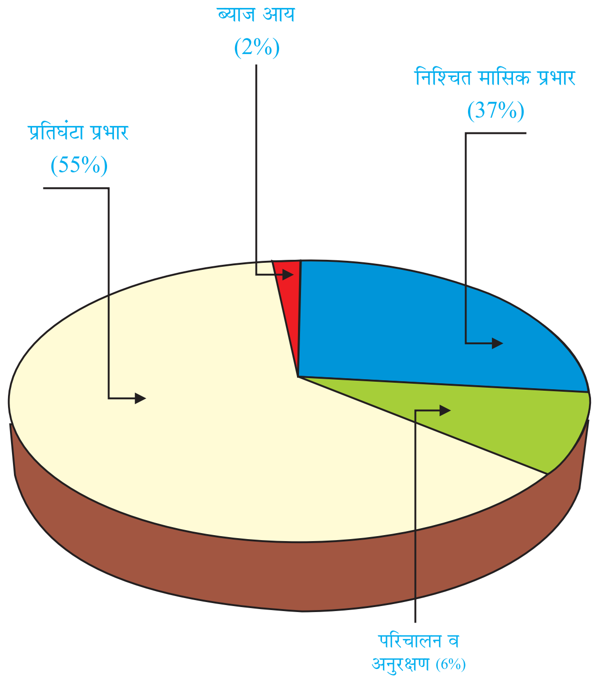

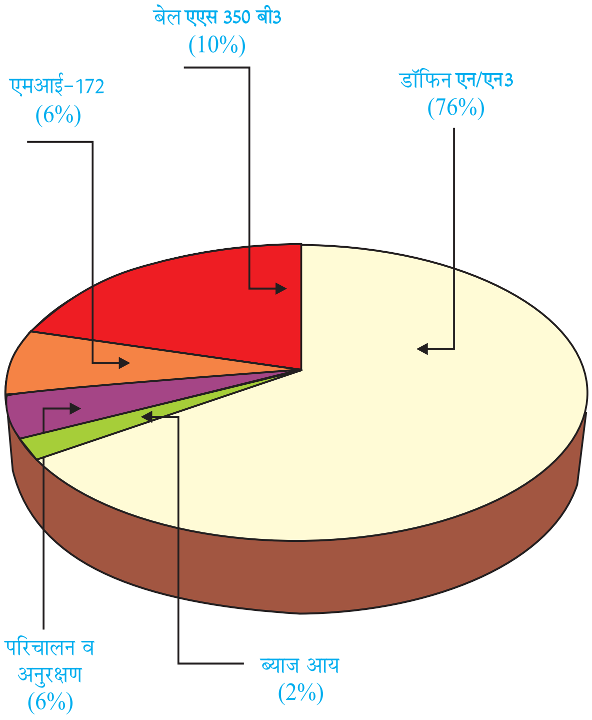

लागत संरचना

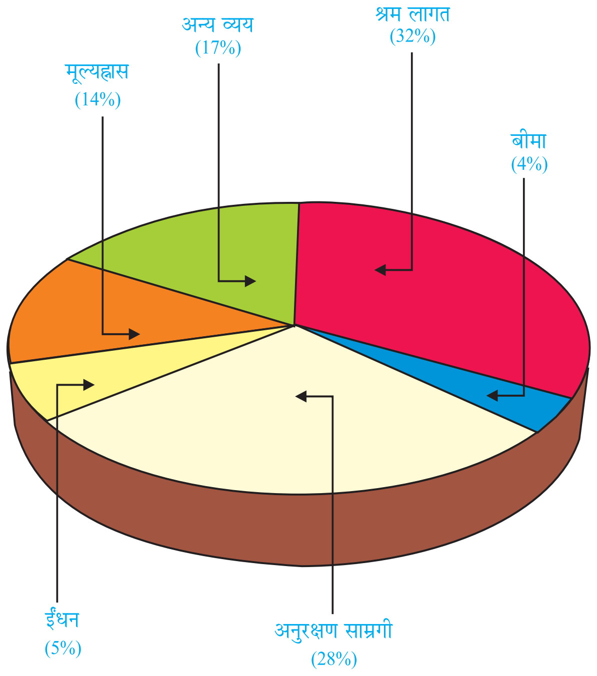

जनशक्ति विवरण

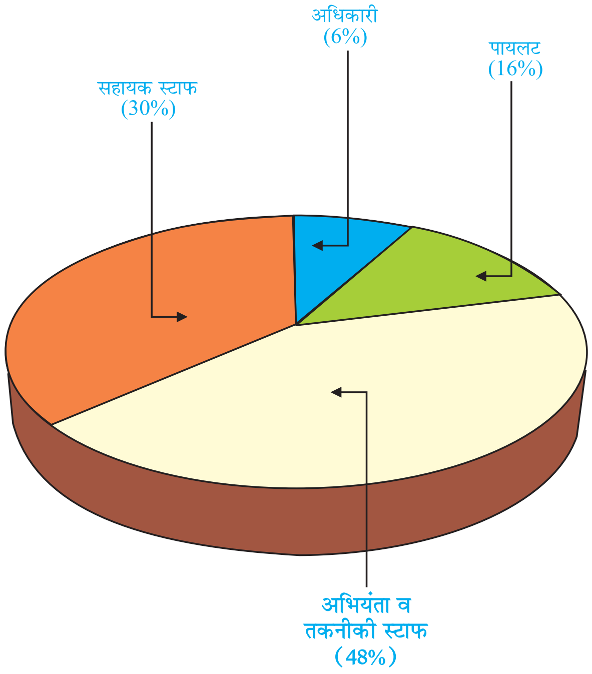

शुद्ध लाभ और परिचालन लाभ

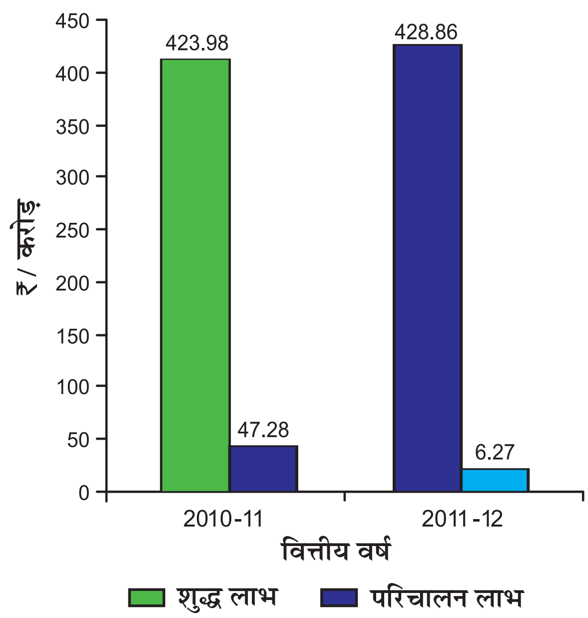

उड़ान घंटे

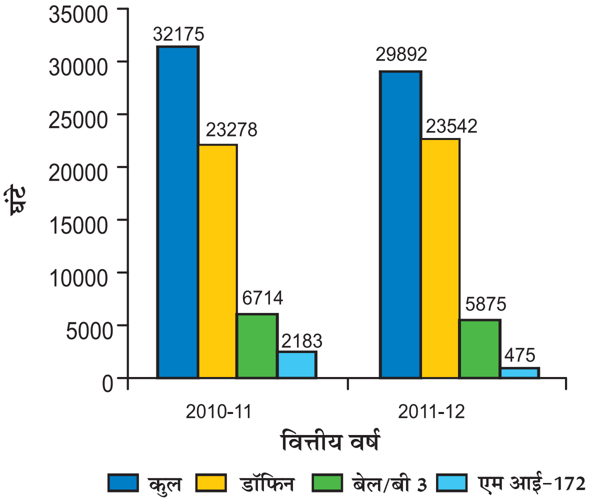

राजस्व

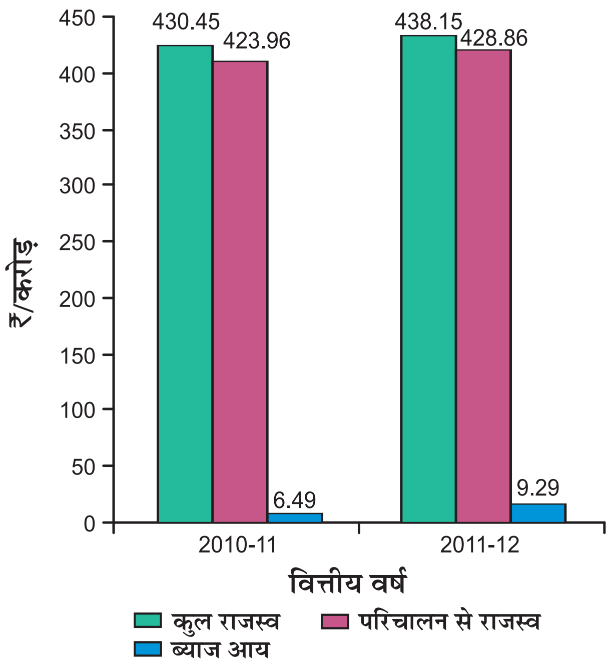

स्थाई परिसम्पतियां

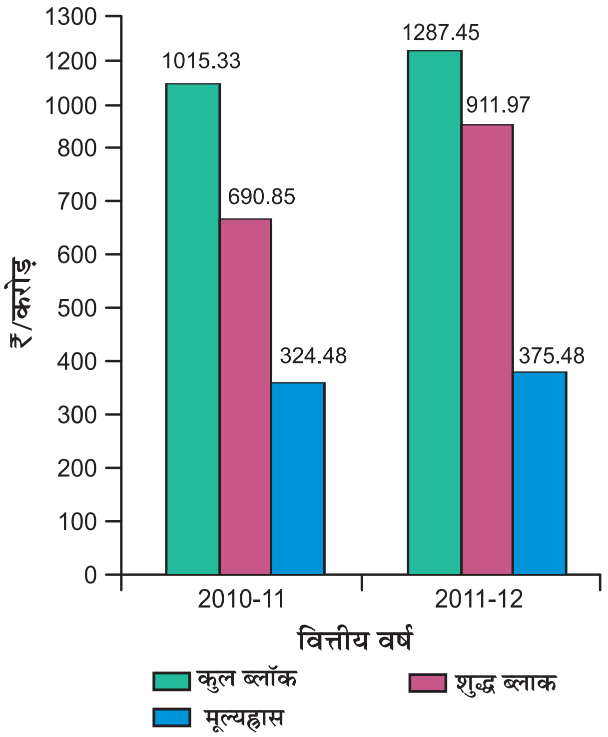

संक्षिप्त लेखे

		2011-12	2010-11
			(₹ *in Crores*)
संसाधन			
शुद्ध मूल्य		475.57	485.38
गैर-चालू देयताएं			
- ऋण-निधियाँ-प्रतिभूत ऋण		232.83	64.10
- अन्य दीर्घावधि टर्म देयता		470.60	470.69
- दीर्घावधी प्रावधान		34.85	19.62
- आस्थगित कर देयता		126.53	97.63
योग		1340.38	1137.42
संसाधनों का उपयोग			
अचल परिसम्पतियाँ		1287.45	1015.33
घटा : मूल्यह्रास		375.48	324.48
शुद्ध अचल परिसम्पतियाँ		911.97	690.85
पूंजीगत क्रार्य प्रगति पर		23.03	29.36
दीर्घावधि टर्म ऋण व अग्रिम		90.69	132.61
अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ		3.93	4.08
निवेश		2.89	2.89
शुद्ध कार्यशील पूंजी		307.87	277.63
		1340.38	1137.42
कुल नियोजित पूंजी		1242.88	987.03
आय			
परिचालय से राजस्व		428.86	423.98
ब्याज /अन्य आय		9.29	6.49
योग		438.15	430.47
व्यय			
हेलीकॉप्टर परिचालन व अनुरक्षण व्यय		167.53	155.34
कर्मचारी लाभ व्यय		135.93	121.47
वित्तीय लागत		14.46	6.17
मूल्यह्रास और परिशोघन व्यय		60.30	46.53
अन्य व्यय		58.83	53.38
योग		437.05	382.89
असाधारण पूर्व वर्ष के लिए लाभ		1.10	47.58
असाधारण समायोजन		21.34	1.85
कर पूर्व लाभ		22.44	49.43
कर के लिए प्रावधान		4.50	9.97
गत वर्षो हेतु कर प्रावधान		(0.61)	0.54
आस्थगित कर देयता		28.90	20.42
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)		(10.35)	18.50
लाभांश का भुगतान		-	-
विशिष्ट अनुपात			
क) शुद्ध लाभ/(हानि) का अनुपात	शुद्ध लाभ/ (हानि) / कुल राजस्व	(2.4%)	4.3%
ख) निवेश से आय	शुद्ध लाभ/ (हानि) / नियोजित पूंजी	(0.8%)	1.9%
ग) शुद्ध मूल्य पर आय	शुद्ध लाभ/ (हानि) / शुद्ध मूल्य	(2.2%)	3.8%
घ) ऋण उगाही अवधि (माह में)	परिचालन देनदार / औसत मासिक परिचालन राजस्व	4.7	5.2
ड़) मालसूची खपत (माह में)	वर्ष एवं मालसूची / औसत मासिक परिचालन राजस्व	2.2	2.0
च) चालू अनुपात	चालू परिसम्पत्तियाँ : चालू देयताएं	3.3	3.2

लेखे

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

I) अचल परिसम्पत्तियां/मूल्यह्रास

क) मूल्यह्रास का प्रावधान अचल परिसम्पत्तियों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के बिना वास्तविक लागत पर दर्शाया गया है।

ख) हेलीकॉप्टर बेड़े का मीडलाइफ अॅपग्रेडेशन कार्यक्रम (टाइप प्रमाणिकता लागत सहित) की लागत/मेजर रिट्रोफिट को पूंजीकृत किया गया है।

ग) मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी (संशोधन), अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV के अंतर्गत विहित दरों पर सरल रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है। पुराने हेलीकॉप्टरों तथा विमान इंजनों को खरीदने के मामलें में मूल्यह्रास को एक दर से उपलब्ध कराया जाता है इस मूल्यह्रास को आस्तियों के मूल्य के 95% की सीमा तक उपलब्ध कराया जाता है। जिससे कि शेष निश्चित अवधि में ऐसी आस्तियों की लागत को 95% बट्टे खाते में डाला जा सके। एम.आई. 172 हेलीकॉप्टरों के संबंध में, इनकी जीवन सीमा पर विचार करके, जो कि (7000 घंटे अथवा 15 वर्ष वित्तीय वर्ष 2008-09 तक, के स्थान पर) 12,000 घंटे अथवा 25 वर्ष, जो भी पहले हो प्रत्येक वर्ष 480 घंटे की उड़ान के लिए मूल्यह्रास को 5.60% वार्षिक, न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अतिरिक्त घंटों की उड़ान के लिए मूल्यह्रास को 480 घंटे से अधिक की गई वास्तविक उड़ान घंटे को प्रतिघंटा दर से गुणा करके, प्रत्येक हेलीकॉप्टर के लिए मूल लागत के 95% को 12,000 घंटे से भाग करके गणना की जाती है।

घ) एयरफ्रेम तथा एयरोइंजिन उपस्कर-रोटेबल्स तथा हेलीकॉप्टर के मीड लाइफ अॅपग्रेडेशन कार्यक्रम (टाइप सर्टिफिकेशन लागत सहित)की लागत/मेजर रिट्रोफिट पर मूल्यह्रास की गणना सरल रेखा आधार पर इस तरह से की जाती है, जिससे कि प्रमुख परिसम्पत्ति (टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर्स) के शेष उपयोगी जीवन में उसकी 95% राशि को बट्टे खाते डाला जा सके, बशर्ते इसे स्चैट्‌ट दरों पर न्यूनतम प्रभार से लगाया गया हो। एम आई 172 हेलीकॉप्टरों के संबंध में एयरफ्रेम तथा एयरो इंजिन रोटेबल्स को बेड़े की वार्षिक औसतन अनुरक्षण उड़ान घन्टे तथा वित्त वर्ष के आरम्भ में न्यूनतम परिचालित हेलीकॉप्टरों के शेष उपयोगी जीवनावधि की उड़ान घन्टे के आधार पर मूल्यह्रास की गणना की गई है। इस उद्देश्यार्थ, हेलीकॉप्टरों के अंतिम बैच (डॉफिन एन हेलीकॉप्टर, जिनकी हेलीकॉप्टर बेड़े में महत्वपूर्ण संख्या है) अथवा हेलीकॉप्टर (अन्य हेलीकॉप्टरों के लिए) के शेष उपयोगी जीवन को माना जाएगा। वित्त वर्ष 2006-07 से तकनीकी प्राक्कलनों तथा कम्पनी की परिव्यय नीति के अनुसार हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 30 वर्ष अथवा 25000 घंटे, जो भी बाद में होगा (एम आई 172 हेलीकॉप्टर के सिवाय, जिनकी जीवन सीमा उपर्युक्त बताए गए अनुसार सीमित है) माना गया है। अब से पहले हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 20 वर्ष अथवा 16000 घन्टे, जो भी बाद में होगा माना जाता था। इन शीर्षों के अधीन स्क्रैप की गई मदों को एफ आई एफ ओ आधार पर रीटेन ऑफ किया गया है। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बेड़े के रोटेबल्स "इन्वेन्ट्री" के रूप में बने रहेंगे, क्योंकि इनका पूरा बही मूल्य प्रदान किया गया है।

ङ) पट्टाधारी भूमि की लागत, पट्टे की अवधि के बीतने पर अमॉरटाइज की गई। इसी तरह संयुक्त विकास करार के अधीन ए.ए.आई. के साथ निर्माण किए गए आवासीय फ्लैटों को करार की शर्तो के अनुसार सम्पत्ति पर कब्जा लेने के अधिकार की अवधि में अमॉरटाइज किया गया है।

च) अचल परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा में देयताओं से संबंधित परिवर्तन अंतरों को परिसम्पत्ति की मूल लागत में समायोजित किया

गया है और परिवर्तन की तारीख तक संचयी मूल्यह्रास को पुन: संगठित किया गया है। इस नीति का अनुसरण 31.3.2007 तक किया गया।

छ) सक्रिय उपयोग से हटाई गई और निपटान के लिए धारित सामग्री मूल्य की परिसम्पत्तियों को उनके निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य (जहां लागू हो) से कम पर दर्शाया गया है और लेखों में अलग से दिखाया गया है। ऐसी परिसम्पत्तियों (वित्त वर्ष 1995-96 से वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों तथा संबंधित मदों सहित) का मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

ज) हेलीकॉप्टरों/स्पेयर्स की वृद्धियों या विलोपों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना समानुपातिक आधार पर की जाती है जो अर्जन/ बिक्री के दिनांक से प्रभावी है। समस्त अन्य अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास समानुपातिक आधार पर लगाया जाता है। ऐसी अर्जित परिसम्पत्तियों के उपयोग की प्रभावी तारीख, मद की खरीद के माह के आगामी माह के प्रथम दिन से मानी गई है। इसी प्रकार विलोपों के संबंध में परिसम्पत्ति के विलोप पूर्व माह के अंतिम दिन को समानुपातिक मूल्यह्रास के प्रावधान के लिए माना गया है। परिसम्पत्तियों के समापन या निपटान से हुए लाभों और हानियों के लाभ एवं हानि लेखों में क्रेडिट/प्रभारित किया गया है।

झ) ₹ 5000 या उससे कम यूनिट मूल्य की परिसम्पत्तियों को 100% रूप में खरीद के वर्ष में मूल्यह्रासित किया गया।

ञ) असमर्थता: किसी असमर्थता का संकेत न हो इसके लिए प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को आस्तियों के अग्रेनित राशि की समीक्षा की जाती है। यदि कोई संकेत विद्यमान हो, आस्तियों के वसूली योग्य राशि का प्राकल्लन किया जाता है। जहाँ कहीं आस्तियों की अग्रेनित राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है असमर्थता हानि की पहचान की जाती है ।

II) निवेश

निवेश को लागत में से प्राप्त अंतरिम भुगतान, यदि कोई है, घटाकर कहा गया है। तथा, उन निवेशों के संबंध में जिनका पुनर्भाजन मूल्य अर्जन लागत से भिन्न है, ऐसे मामलों में अर्जन लागत तथा निवेशों के पुनर्भाजन दिनांक तक ऑन टाइम आधार पर लेखांकित किया गया है। वर्ष की इस रकम को लाभ व हानि खाते में ब्याज आय के रूप में समायोजित किया गया है और तदनुसार ऐसे निवेशों की लागत का समायोजन किया गया है।

III) विदेशी मुद्रा के लेन-देन

क) कम्पनी के प्रधान बैंकर द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार अचल परिसम्पत्ति, माल तथा सेवाओं को खरीदने से संबंधित विदेशी मुद्रा ट्रांजैक्शन की तिथि में प्रचलित दर के अनुसार लेखांकित किया गया है। उसी तरह कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा ट्रांजैक्शॅन को ट्रांजैक्शॅन की तिथि में प्रचलित दर के अनुसार लेखांकित किया गया है जिसे इस मामले में संबंधित माह की अंतिम तिथि माना गया है।

ख) वर्षान्त में वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में लागू मुद्रा विनियम दर पर बदला जाता है जबकि गैर वित्तीय मदों पर इसे ऐतिहासिक दरों पर लिया जाता है।

ग) वित्तीय परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के पुनर्लेखन अथवा विदेशी मुद्रा लेन-देन के कारण होने वाले मुद्रा विनयम उतार-चढ़ाव के कारण हुई हानि अथवा लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में अन्तरित किया जाता है।

IV) मालसूची

क) स्पयर्स और खपत योग्य सामान इत्यादि सहित हेलीकॉप्टर की सूची को मूविंग वेटेड औसत विधि का प्रयोग करके लागत पर दर्शाया गया है। शॉप फ्लोर पर पड़े ऐसे स्पेयर्स एवं स्टॉक को वर्ष में अन्तिम इन्वेन्ट्री माना जाता है।

ख) खुले/परीक्षण औजारों का मूल्यांकन अप्रचलन आरक्षिति वित्तीय बट्टों को घटाकर लागत पर किया जाता है। खुले औजारों/परीक्षण औजारों को खरीद के वर्ष सहित तीन वर्षों की अवधि में समान रूप से विलय किया जाता है। इन शीर्षों के अधीन स्क्रैप की गई मदों को एफ.आई.एफ.ओ. आधार पर बट्टे खाते डाला जाता है।

ग) लैण्डेड यूनिट मूल्य ₹ 1000 से कम स्टोर्स तथा स्पेयर्स तथा उपभोज्य, तेल, ग्रीज, स्नेहक आदि मदों को खरीद के वर्ष में खर्च किया गया था।

घ) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कस्टम के पास पड़ी तथा अप्राप्त वस्तुओं की गणना मार्गस्थ माल के रूप में गई है। यद्यपि जिनकी मरम्मत के बाद वापस किया गया उनके ओरवहॉल प्रभार की तत्समान रकम को अनुरक्षण के लिए प्रावधान में उसी वर्ष के लाभ व हानि खाता के अनुरक्षण व्यय में डेबिट किया जाता है।

ङ) लेखों में अचल मदों के लिए मूविंग वेटेड औसत लागत के आधार पर स्टोर्स, स्पेयर्स तथा उपभोज्य के लिए प्रावधान बनाया गया है (रिपेयरेबल्स एवं रोटेबल्स, ग्राउंड सहायता एवं टैस्ट उपस्कारों, बीमाकृत स्पेयर्स तथा अनुरक्षण औजारों के अलावा) जिसे अंतिम कार्य संपादन/अंतिम सौदे की तिथि से लगातार तीन वर्षों तक वास्तविक उपयोग के लिए जारी नहीं किया गया है।

V) देयताएं

क) तुलन-पत्र की तारीख को विद्यमान सभी ज्ञात देयताओं के लिए लेखे में प्रावधान किया गया है। अज्ञात देयताओं या उन देयताओं के लिए जिनकी राशि की गणना शुद्धता की तर्कसंगत मात्रा तक नहीं की जा सकती, प्रावधान नहीं किया गया है। माल की खरीद या मरम्मत/ओवरहॉल प्रभारों के लिए देयता का प्रावधान लेखों में विनिर्माता की सूचनाओं/ इंजीनियरी अनुमानों के आधार पर मदों की प्राप्ति के प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च को किया गया है।

ख) सप्लायरों/बाहरी पार्टियों पर दावों की गणना उनकी स्वीकृति पर की जाती है। आपूर्तिकर्ताओं/बाहरी पार्टियों/ ग्राहकों के दावों को निपटान आधार पर लेखांकित किया जाता है।

ग) उपचित व्ययों/ देयताओं के लिए यदि अलग-अलग लेन-देन ₹ 5000 से कम है तो लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

VI) पूर्व प्रदत्त व्यय

ग) ₹ 5000 तक के पूर्व प्रदत्त व्ययों के मामले में एकाकी लेन-देनों को लेखांकित नहीं किया गया।

VII) हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण व्यय

क) वित्त वर्ष 2006-07 से प्रभावी रूप में हेलीकॉप्टरों के अनुरक्षण व्यय को किए खर्च आधार पर लेखांकित किया जाता है।

VIII) राजस्व मान्यता

क) अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार हेलीकॉप्टर परिचालन से राजस्व को प्रोद्भूत आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) अभियांत्रिकी तथा अन्य सेवाओं से आय को तब स्वीकार किया जाता है जब संगत कार्य को पूरा कर लिया जाता है।

ग) रद्दी परिसम्पत्ति/स्टोर्स की बिक्री से प्राप्त/राजस्व वास्तविक वसूली पर अभिज्ञान किया जाता है।

IX) निवेशों से प्राप्त ब्याज/आय

बैंकों/अन्य संस्थाओं आदि में किए गए जमा/निवेश पर उपचित ब्याज/आय को लागू ब्याज/ संसूचक आय दरों

पर वित्त वर्ष के अंत तक आनुपतिक आधार पर लेखांकित किया गया है।

X) ईंधन

वित्त वर्ष 2011-12 से प्रभावी, वित्त वष के अंत में एयर क्राफ्ट, बैरलों और वाउजरों के एटीफ का क्लोजिंग स्टॉक को लेखांकन किया गया है और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिसूचित मार्च माह को एटीएफ की कीमत सूची पर मूल्यांकित किया गया है, सिवाय उनके जहाँ ग्राहकों द्वारा उनके प्रचालन हेतु हमारे एयरक्राफ्टों में एटीएफ उपलब्ध कराया गया है। अब तक एटीएफ खरीद करने पर उसे खपत किया गया माना जाता रहा है।

XI) बीमा/बीमा दावे

क) हेलीकॉप्टरों तथा अन्य मालसूची से भिन्न मदों के बीमा दावों को नकद आधार पर लेखांकित किया गया है और किसी तीसरी पार्टी के देय दावे को छोड़कर उसे आय के रूप में माना गया है।

ख) कुल हानि से भिन्न सभी हेलीकॉप्टर तथा माल सूची संबंधी दावों को बीमा कम्पनी द्वारा दावों को स्वीकृति वर्ष के उनके अनुमानित/अंतिम रूप से निर्धारित मूल्यों पर लेखांकित किया गया है। मरम्मत पर हुए वास्तविक व्यय को और वसूल किए गए कुल बीमा दावे को अनुरक्षण लागत के प्रावधान में समायोजित किया जाता है तथा परिसम्पत्तियों के उनके बही मूल्य पर आगे ले जाया जाता है।

ग) हेलीकॉप्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के वर्ष में अचल परिसम्पत्तियों से हेलीकॉप्टर का रिटेन डाउन मूल्य कम करके समायोजित किया जाता है तथा उसे 'बीमा दावा प्राप्य योग्य लेखा' में दर्शाया जाता है और 'परिसम्पत्ति के नाश पर लाभ/ हानि दावा' में समुचित समायोजन किया जाता है, जब दावाकृत मूल्य का बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार/निपटारा किया जाता है।

XII) ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी की गणना एक्चूरियल मूल्यांकन आधार पर की जाती है और वर्ष में देय रकम को अलग मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी निधि में अंतरित किया जाता है।

XIII) अमूर्त परिसम्पत्तियां

क) नए भर्ती किए गए पायलटों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण व्यय, जो लेखांकन मानक-26 के अनुसार अमुर्त परिसम्पत्ति हेतु योग्य है, को ऐसे अमूर्त परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के रूप में ऑमरटाईज किया गया है। अन्य प्रशिक्षण व्यय को जिस वर्ष में खर्च किया गया है उसी में, राजस्व लेखा में चार्ज ऑफ किया गया है।

ख) ₹ 5 लाख से अधिक लागत से खरीदे गए/ आन्तरिक संसाधनों से विकसित सॉफ्टवेयरों को सफलतापूर्वक चालू करने की तिथि से सरल रेखा आधार पर 60 माह से अधिक अवधि के लिए ऑमरटाइज किया गया, बशर्तें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी समीक्षा की जाए। ₹ 5 लाख तक की प्रत्येक सॉफ्टवेयर लागत को खरीद के वर्ष में राजस्व में प्रभारित किया गया है।

XIV) कर्मचारी लाभ

अवकाश वेतन/असबाब भत्ता/उत्तर सेवा-निवृत्ति चिकित्सा लाभ तथा छुट्टी यात्रा रियायत लाभ को एक्चूरियल मूल्यांकन आधार पर लगाया जाता है।

XV) पूर्वावधि समायोजन

आय अथवा व्यय से संबंधित लेखे जो कि चालू अवधि में उद्भूत हुए हैं उन्हें पूर्व के वर्षों में यथोचित रूप से प्राक्कलित किया जा सकता था लेकिन त्रुटियों अथवा चूकों के कारण लेखांकित नहीं किया गया और उन्हें इस अवधि से पूर्व की मदों के रूप में दर्शाया गया है।

XVI) फुटकर देनदार/ प्राप्य लेखे

क) बाहरी पार्टियों से वसूली योग्य ऋण जो 3 वर्षों से अधिक समय के लिए बकाया है, उसे संदिग्ध ज्ञात किया गया है और उसे दर्शाया गया है सिवाय जिसे विशेष रूप से इस अवधि से पूर्व संदिग्ध ज्ञात किया गया है।

ख) बाहरी पार्टियों से संबंधित असमायोजित/दावा नहीं की गई जमा राशि जो 3 वर्षों से अधिक समय के लिए बकाया है, उसे रिटेन बैक किया गया है तथा आय के रूप में माना गया है।

XVII) उधार लागत

क) अर्जन, निर्माण या अर्हकारी परिसम्पत्ति के उत्पादन से सबंधित उधार लागत को अभिप्रेत उपयोग के लिए परिसम्पत्तियों के तैयार होने तक पूंजीकृत किया जाता है।

ख) उपर्युक्त बताए गए के अलावा अन्य उधार लागत को पीरियड लागत माना जाता है और लाभ और हानि खाते में परिवर्तित किया जाता है।

XVIII) आय पर कर

वर्तमान कर, वर्ष की कर योग्य आय पर देय कर की रकम के रूप में अभिनिश्चित किया गया है। निर्धारण में मांगे गए अतिरिक्त आयकर को निर्धारण अंतिमता के वर्ष में उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार, आयकर वापसी पर ब्याज निर्धारण अंतिमता के वर्ष में अथवा वास्तविक प्राप्ति जो भी बाद में हुआ हो, माना गया है। बही लाभ और कर लाभों के बीच समयान्तर के कारण आस्थगित कर प्रभार या देय क्रेडिट की पहचान तत्समय लागू या तुलन-पत्र की तिथि पर लागू दरों एवं कानूनों के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को उसी सीमा तक माना जाता है जहां तक भविष्य में उनकी वसूली का तर्कसंगत निश्चय किया जा सके। अनामेलित मूल्यह्रास अथवा अग्रेनीत हानियों के संबंध में आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को केवल तभी माना जाता है, जब कि ऐसी परिसम्पत्तियों की वसूली का निश्चय किसी वास्तविक साक्ष्य के आधार पर किया गया हो।

XIX) कैश फ्लो विवरण

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारीकृत 'कैश फ्लो विवरण पर लेखा मानक-3' के अधीन निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार कैश फ्लो विवरण तैयार किया गया है।

तुलन-पत्र
31 मार्च, 2012

(₹ में)

	नोट सं.	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
I इक्विटी व देयता					
1. अंशधारकों की निधि					
शेयर पूंजी	1	2,45,61,60,000		2,45,61,60,000	
आरक्षितियां एवं अधिशेष	2	2,29,95,02,262		2,39,76,27,123	
			4,75,56,62,262		4,85,37,87,123
2. गैर चालू देयता					
दीर्घावधि उधार	3	2,32,83,07,151		64,10,00,525	
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	4	1,26,52,92,259		97,63,34,760	
अन्य दीर्घावधि देयता	5	4,70,59,96,662		4,70,69,08,551	
दीर्घावधि प्रावधान	6	34,84,69,867		19,62,35,776	
			8,64,80,65,939		6,52,04,79,612
3. चालू देयताएँ					
कारोबार देय	7	34,66,94,720		23,90,70,586	
अन्य चालू देयता	8	73,93,92,593		68,06,66,585	
अल्पावधि प्रावधान	9	26,85,16,040		34,50,60,732	
			1,35,46,03,353		1,26,47,97,903
योग			14,75,83,31,554		12,63,90,64,638
II परिसम्पत्तियाँ					
1. गैर चालू परिसंपत्तियाँ					
अचल परिसंपत्तियाँ					
मूर्त परिसम्पत्तियाँ	10				
- क्रियाशील परिसंपत्तियाँ		9,11,27,80,744		6,79,57,34,104	
- सक्रिय उपयोग से निवर्तमान तथा निवर्तनाधीन अक्षम परिसंपत्तियाँ		9,53,53,161		9,54,05,828	
-निवर्तन/असमर्थता के लिए घटाया प्रावधान		9,53,53,161		9,54,05,828	
- अक्रियाशील परिसंपत्तियाँ		-		-	
		-		10,79,04,664	
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	11	68,97,950		48,45,343	
पूंजीगत कार्य प्रगतिपर-मूर्त परिसंपत्तियाँ	12	23,03,03,431		29,35,45,784	
		9,34,99,82,125		7,20,20,29,895	
गैर चालू निवेश	13	2,89,33,530		2,89,33,530	
दीर्घाबधि ऋण और अग्रिम	14	90,68,48,570		1,32,61,28,172	
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	15	3,92,87,685		4,08,28,499	
			10,32,50,51,910		8,59,79,20,096
2. चालू परिसंपत्तियाँ					
इन्वेन्ट्रीज	16	79,49,03,727		70,37,16,891	
कारोबार प्राप्य	17	1,68,47,26,720		1,84,31,89,791	
नकद और नकद तुल्य राशि	18	1,35,60,93,921		1,11,35,39,413	
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	19	25,96,69,848		24,29,67,496	
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	20	33,78,85,428		13,77,30,951	
			4,43,32,79,644		4,04,11,44,542
योग			14,75,83,31,554		12,63,90,64,638
वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	27				
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	28				

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. चतुर्वेदी एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. न. 004550 एन

अनिल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.मछेन्द्रनाथन
निदेशक

पुनीत सचदेव
पार्टनर
(एम.सं.-097897)
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 सितम्बर, 2012

संजीव बहल
कार्यपालक निदेशक

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)

धीरेन्द्र सहाय
महाप्रबंधक (वि.व.ले.)

लाभ एवं हानि खाता
31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

	नोट सं.	31 मार्च, 2012	(₹ में) 31 मार्च, 2011
राजस्व:			
प्रचालन से राजस्व	21	4,13,53,84,045	4,13,03,37,337
अन्य आय	22	24,60,84,957	17,44,02,913
कुल राजस्व		4,38,14,69,002	4,30,47,40,250
व्यय:			
हेलीकॉप्टर प्रचालनरत एवं अनुरक्षण व्यय	23	1,67,53,20,466	1,55,34,69,093
कर्मचारियों के पारिश्रमिक व्यय	24	1,35,93,13,300	1,21,46,72,605
वित्तीय लागत		14,45,72,738	6,17,02,482
मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय		60,30,48,308	46,53,03,382
अन्य व्यय	25	58,82,92,318	53,37,91,426
कुल व्यय		4,37,05,47,130	3,82,89,38,988
असाधारण मदो पूर्व लाभ एवं कर		1,09,21,872	475,801,262
असाधारण मदें	26	21,33,92,014	1,84,82,386
कर पूर्व आय		22,43,13,886	49,42,83,648
कर व्यय :			
चालू कर		4,50,00,000	9,96,37,900
पूर्व वर्षों का कर		(61,31,768)	53,52,203
आस्थगित कर		28,89,57,499	20,42,33,167
अवधि के लिए शुद्ध आय/(हानि)		(10,35,11,845)	18,50,60,378
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹. 10,000/-)			
मूल		(421)	753
डायलूटेड		(421)	1,421
वित्तीय विवरणें पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	27		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	28		

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. चतुर्वेदी एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. न. 004550 एन

अनिल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.मछेन्द्रनाथन
निदेशक

पुनीत सचदेव
पार्टनर
(एम.सं.-097897)

संजीव बहल
कार्यपालक निदेशक

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)

धीरेन्द्र सहाय
महाप्रबंधक (वि.व.ले.)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 सितम्बर, 2012

नोट सं. 1
अंशधारकों की निधियाँ

(₹ में)

		31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
अंशधारकों की निधियाँ			
शेयर पूंजी			
(क) प्राधिकृत पूंजी 2,50,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 2,50,000 इक्विटी शेयर) ₹. 10,000/- प्रत्येक		2,50,00,00,000	2,50,00,00,000
(ख) जारी पूंजी, अभिदत्त पूर्ण प्रदत्त 2,45,616 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 2,45,616 इक्विटी शेयर) ₹. 10,000/- प्रत्येक		2,45,61,60,000	2,45,61,60,000
(ग) अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त नहीं किए गए		शून्य	शून्य
(घ) प्रतिशेयर अंकित मूल्य		₹10,000/-	₹10,000/-
(ड.) अदत्त कॉले		शून्य	शून्य
निदेशक द्वारा		शून्य	शून्य
अधिकारियों द्वारा		शून्य	शून्य
(च) जब्त शेयर (राशि मुल: प्रदत्त)		शून्य	शून्य
(छ) शुरु और रिपोर्टिंग अवधि का बकाया शेयरो का समाधान	प्रारंभिक अतिरिक्त आबंटित शेयर शेष	2,45,616 -	1,13,766 1,31,850
		2,45,616	2,45,616
(ज) लाभांश के वितरण पर प्रतिबंधों और पूंजी का पुर्नभुगतान सहित प्रत्येक श्रेणी के शेयरों से संलग्न अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध		नही	नही
(झ) धरित शेयरों का विशेष विवरण के साथ कंपनी में 5 प्रतिशत शेयरों से अधिक शेयरों को धारित करने वाले प्रत्येक शेयर धारक ।	**शेयर धारक के नाम**	**धारित शेयरों की संख्या**	
	भारत के राष्ट्रपति	1,25,266	1,25,266
	ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड	1,20,350	1,20,350
(ञ) निबधन और शर्तो सहित विकल्पों और शेयरों की बिक्री/विनिवेश संविदाओं / प्रतिबद्धता के अंतर्गत जारी करने हेतु आरक्षित शेयर।		शून्य	शून्य
(ट) जिस तिथि को तुलन-पत्र को तैयार किया गया है उससे ठीक पूर्ववर्ती 5 वर्ष की अवधि हेतु।			
नकद प्राप्ति के बिना निविदा (निविदाओं) के अनुरुप पूर्ण रुप से प्रदत्त आबंटित शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी		शून्य	शून्य
बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्ण रुप से प्रदत्त आबंटित शेयर		शून्य	शून्य
वापस खरीदी गई कुल शेयर और श्रेणी		शून्य	शून्य
योग		**2,45,61,60,000**	**2,45,61,60,000**

नोट सं. 2

आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ में)

	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
(क) **आरक्षितियाँ**				
स्वयं बीमा आरक्षित				
अथ शेष	-		40,00,000	
जोड़िए वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-		-	
	-		40,00,000	
घटा : पी व एल खाता में अंतरण	-		40,00,000	
		-		-
सामान्य आरक्षित				
अथ शेष	20,50,00,000		20,50,00,000	
जोड़िए वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-		-	
	20,50,00,000		20,50,00,000	
घटा : पी व एल खाता में अंतरण	-		-	
लाभ एवं हानि खाता		20,50,00,000		20,50,00,000
अथ शेष	2,19,80,14,107		2,01,29,53,729	
जोड़िए वर्ष के दौरान अंतरण	(10,35,11,845)		18,50,60,378	
	2,09,45,02,262		2,19,80,14,107	
घटा : सामान्य आरक्षिति में	-		-	
(ख) **प्रकीर्ण व्यय**		2,09,45,02,262		2,19,80,14,107
(बट्टे खाते नहीं डाले गए या असंमायोजित सीमा तक)		-		(53,86,983)
योग		2,29,95,02,262		2,39,76,27,124

नोट सं. 3

दीर्घावधि उधार

(₹ में)

	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2012
प्रतिभूति ऋण		
मियादी ऋण	2,32,83,07,151	64,10,00,525
योग	2,32,83,07,151	64,10,00,525

दीर्घावधि उधारों की पूर्णता की अनुसूची का सार निम्नवत हैं :-

	मियादी ऋण	मियादी ऋण
शोध्य उधार		
प्रथम वर्ष (नोट सं. 8)	33,23,50,756	14,47,20,476
दीर्घावधि ऋण की चालू पूर्णता	33,23,50,756	14,47,20,476
द्वितीय वर्ष	41,52,72,775	13,12,18,507
तृतीय से पंचम वर्ष	1,10,31,41,232	50,97,82,018
पाँच वर्ष के बाद	80,98,93,144	-
दीर्घावधि उधार	2,32,83,07,151	64,10,00,525

वित्तीय विवरणों के अतिक्ति नोट (नोट सं. 27) के नोट सं. (x) का संदर्भ लें

नोट सं. 4
आस्थगित कर देयता

(₹ में)

		31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011
आस्थगित कर देयता				
समय भिन्नता के कारण उत्पन्न कर				
– संचयी मूल्यह्रास	1,64,99,69,248		1,21,27,70,695	
सकल आस्थगित कर देयता		1,64,99,69,248		1,21,27,70,695
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
समय भिन्नता के कारण उन्पन्न कर				
सर्जित प्रावधान				
- कर्मचारी लाभ	19,35,85,435		17,76,27,327	
- अचल इंवेन्ट्री	4,52,91,069		4,44,44,701	
- लीज किराया	39,74,915		24,75,268	
- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	45,02,808		-	
- आगे ले जाया गया अनवशोषित मूल्यहास	12,07,67,891		-	
- संदेहास्पद ऋण / अग्रिम	1,65,54,871		1,18,88,639	
		38,46,76,989		23,64,35,935
सकल आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		38,46,76,989		23,64,35,935
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)		1,26,52,92,259		97,63,34,760

नोट सं. 5
अन्य दीर्घावधि देयताएँ

(₹ में)

		31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011
प्रतिभूति जमा		37,74,695		46,86,584
केन्द्र सरकार द्वारा दावाकृत राशि				
. – मूलधन राशि	1,30,91,03,140		1,30,91,03,140	
. – ब्याज/अन्य प्रभार	3,39,31,18,827		3,39,31,18,827	
		4,70,22,21,967		4,70,22,21,967
योग		4,70,59,96,662		4,70,69,08,551

नोट सं. 6
दीर्घावधि प्रावधान

(₹ में)

	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधन	34,84,69,867	19,62,35,776
योग	34,84,69,867	19,62,35,776

नोट सं. 7
कारोबार शोध्य

	31 मार्च, 2012	(₹ में) 31 मार्च, 2011
कारोबार शोध्य	34,66,94,720	23,90,70,586
योग	34,66,94,720	23,90,70,586

नोट सं. 8
अन्य चालू देयताएँ

		31 मार्च, 2012		(₹ में) 31 मार्च, 2011
दीर्घावधि ऋण का चालू पूर्णताएँ		33,23,50,756		14,47,20,476
उपचित ब्याज लेकिन उधारों पर देय नहीं		1,30,32,403		64,91,963
अन्य शोध्य				
ग्राहको से अग्रिम		3,34,60,258	4,72,54,636	4,72,54,636
परियोजनाओं के लिए डीजीसीए से अग्रिम (ब्याज सहित)	11,35,61,703		10,54,10,074	
घटा : परियोजना पर व्यय की गई राशि	2,18,47,337		-	
	9,17,14,366	472,54,636		10,54,10,074
प्रतिभूति / बयाना जमा	1,57,17,982		1,43,31,772	
सांविधिक देयताएँ	3,75,06,751		16,03,71,155	
अन्य देयताएँ	21,56,10,077		20,20,86,509	
		26,88,37,810		37,67,89,436
योग		73,93,92,593		68,06,66,585

नोट सं. 9
अल्पावधि प्रावधान

	31 मार्च, 2012	(₹ में) 31 मार्च, 2011
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	24,81,87,355	33,85,04,428
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	1,38,78,281	-
अन्य प्रावधान	61,50,404	61,94,204
कर हेतु प्रावधान		
संपत्ति कर	3,00,000	3,62,100
योग	26,85,16,040	31,60,67,358

नोट सं. 10

स्थायी परिसमात्तियाँ

विवरण	1 अप्रैल, 2011 को	वृद्धि	निपटान/समायोजन	31 मार्च 2012 तक
		सकल ब्लॉक		
मूर्त परिसम्पत्तियां	**नोट सं. 10**			
I. **क्रियाशील परिसंपत्तियां**				
भूमि पट्टे पर	58,90,935	-	-	58,90,935
भवन	41,33,71,041	2,15,04,314	-	43,48,75,355
संयत्र एव उपस्कर				
- हेलीकॉप्टर एवं एयरो इंजन	6,97,99,76,044	2,75,46,81,157	(19,58,54,780)	9,53,88,02,421
- एयरफ्रेम एवं इंजन उपस्कर रोटेबल्स	2,12,68,57,230	22,97,24,370	(2,65,08,304)	2,33,00,73,296
- कार्यशालाएं व ग्राउंड सहायता उपस्कर	28,76,09,883	2,55,89,224	(2,28,623)	31,29,70,484
- प्रशिक्षण सहायता उपस्कर	22,69,886	20,813	-	22,90,699
- वातानुकूलन	2,02,34,067	1,74,298	-	2,04,08,365
- विद्युत संस्थापनाएं	3,09,04,142	3,08,371	-	3,12,12,513
फर्नीचर व जुड़वार	5,65,14,297	27,86,867	-	5,93,01,164
वाहन	1,82,23,079	27,01,687	-	2,09,24,766
कार्यालय उपस्कर	1,87,37,998	29,58,172	-	2,16,96,170
अन्य				
- कम्प्यूटर व अन्य संबंधित उपस्कर	6,33,47,879	74,43,509	(8,87,102)	6,99,04,286
- संचार उपस्कर	20,98,159	-	-	20,98,159
योग (I)	10,02,60,34,640	3,04,78,92,782	(22,34,78,809)	12,85,04,48,613
गत वर्ष **(I)**	7,10,04,99,312	3,09,75,03,467	(17,19,68,140)	10,02,60,34,640
II. सक्रिय उपयोग से निवर्तमान तथा असमर्थ परिसंपत्तियां				
संयत्र व उपस्कर				
हेलीकॉप्टर व एयरो इंजन	57,78,07,818	-	-	57,78,07,818
एयर फ्रेम व इंजन उपस्कर	45,92,605	-	(10,54,339)	35,38,266
कार्यशालाएंव ग्राउंड सहायता उपस्कार	3,12,53,716	-	-	3,12,53,716
प्रशिक्षण सहायता उपस्कर	41,25,207	-	-	41,25,207
विद्युत संस्थापनाएं	6,67,996	-	-	6,67,996
फर्नीचर व जुड़नाए	34,06,217	-	-	34,06,217
कार्यालय उपस्कर	29,92,051	-	-	29,92,051
योग (II)	62,48,45,610	-	(10,54,339)	62,37,91,271
गत वर्ष (II)	62,51,07,349	-	(2,61,738)	62,48,45,610
III. अक्रियाशील परिसंपत्तियां				
संयत्र व उपस्कार				
- हेलीकॉप्टर व एयरो इंजन	17,67,96,392	-	(17,67,96,392)	-
योग (III)	17,67,96,392	-	(17,67,96,392)	-
गत वर्ष (III)	2,75,93,114	14,92,03,278	-	17,67,96,392
सर्व योग (I + II + III) (क)	10,82,76,76,642	3,04,78,92,782	(40,13,29,540)	13,47,42,39,884
सर्व योग (गत वर्ष) (I + II + III)	7,75,31,99,775	3,24,67,06,745	(17,22,29,878)	10,82,76,76,642

नोट सं. 11

अमूर्त परिसंपत्तियां

पूंजीकृत साफ्टवेयर	1,93,27,378	47,18,507	-	2,40,45,885
योग (ख)	1,93,27,378	47,18,507	-	2,40,45,885
गत वर्ष	1,82,77,378	10,50,000	-	1,93,27,378

संचयी मूल्यहास				नेट ब्लॉक	(₹ में)
31 मार्च 2011 तक	वर्ष के दौरान मूल्यहास	निपटान पश्चात समायोजन	31 मार्च, 2012 तक	31 मार्च, 2012 को शेष	31 मार्च, 2011 को शेष
13,71,865	65,455	-	14,37,320	44,53,615	45,19,070
12,46,63,053	2,48,63,499	1,36,782	14,96,63,334	28,52,12,021	28,87,07,988
2,07,95,44,922	40,87,45,723	(825,75,669)	2,40,57,14,976	7,13,30,87,445	4,90,04,31,122
86,79,91,204	13,75,53,445	(1,02,50,174)	99,52,94,475	1,33,47,78,821	1,25,88,66,025
8,95,42,848	1,37,32,752	(34,831)	10,32,40,769	20,97,29,715	19,80,67,035
17,19,123	96,891	-	18,16,014	4,74,685	5,50,763
37,50,012	9,27,601	-	46,77,613	1,57,30,752	1,64,84,055
77,36,425	12,52,744	-	89,89,169	2,22,23,344	2,31,67,717
1,57,77,360	33,21,162	-	1,90,98,522	4,02,02,642	4,07,36,937
70,70,114	16,45,851	-	87,15,965	1,22,08,801	1,11,52,965
73,07,005	9,13,715	-	82,20,720	1,34,75,450	1,14,30,993
2,29,08,172	74,34,907	(5,62,182)	2,97,80,897	4,01,23,389	4,04,39,707
9,18,432	99,663	-	10,18,095	10,80,064	11,79,727
3,23,03,00,535	60,06,53,408	(9,32,86,074)	3,73,76,67,869	9,11,27,80,744	6,79,57,34,104
2,81,93,36,267	46,16,10,482	(5,06,46,214)	3,23,03,00,535	6,79,57,34,104	4,28,11,63,045
50,50,45,725	-	-	50,50,45,725	7,27,62,093	7,27,62,093
38,23,473	-	(10,01,672)	28,21,801	7,16,465	7,69,132
1,31,94,495	-	-	1,31,94,495	1,80,59,221	1,80,59,221
18,90,720	-	-	18,90,720	22,34,487	22,34,487
5,72,702	-	-	5,72,702	95,294	95,294
31,44,451	-	-	31,44,451	2,61,766	2,61,766
17,68,216	-	-	17,68,216	12,23,835	12,23,835
52,94,39,782	-	(10,01,672)	52,84,38,110	9,53,53,161	9,54,05,828
52,96,88,433	-	2,48,651	52,94,39,782	9,54,05,828	9,54,18,916
6,88,91,728		6,88,91,728	-	-	10,79,04,664
6,88,91,728	-	6,88,91,728	-	-	10,79,04,664
2,62,13,458	4,26,78,270		6,88,91,728	10,79,04,664	13,79,656
3,82,86,32,045	60,06,53,408	(2,53,96,018)	4,26,61,05,979	9,20,81,33,905	6,99,90,44,596
3,37,52,38,158	50,42,88,752	(5,03,97,563)	3,82,86,32,045	6,99,90,44,596	4,37,79,61,617
1,44,82,035	23,94,900	(2,71,000)	1,71,47,935	68,97,950	48,45,343
1,44,82,035	23,94,900	(2,71,000)	1,71,47,935	68,97,950	48,45,343
1,07,89,135	36,92,900	-	144,82,035	48,45,343	74,88,243

नोट सं. 12

पूंजीगत कार्य प्रगतिपर

(₹ में)

01.04.2011 को अथशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष के दौरान समायोज/विलोप	31.03.2012 को अंत शेष
29,35,45,784	4,95,87,745	11,28,30,098	23,03,03,431

नोट सं. 13

गैर-चालू निवेश

(₹ में)

	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
गैर-कारोबार (लागत पर, अनउद्धृत)		
नेशनल फ्लाईंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट गोंडिया, महाराष्ट्र	2,89,33,530	2,89,33,530
(प्रत्येक ₹ 10/- के गैर सूचीबद्ध 28,93,353 इक्विटी शेयर)		
योग	2,89,33,530	2,89,33,530

नोट सं. 14

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

(₹ में)

	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
(अप्रत्याभूत सिवाय इसके कि बताया गया हो)				
सार्वजनिक क्षेत्र को ऋण, सन्देहास्पद	7,25,00,000		7,25,00,000	
घटा : सन्देहास्पद ऋण का प्रावधान	7,25,00,000	-	7,25,00,000	-
पूंजी अग्रिम-प्रत्याभूत		12,01,26,647		59,10,16,480
अग्रिम कर (प्रावधान का शुद्ध)		72,49,18,902		65,68,52,542
प्रतिभूति जमा		2,50,91,380		2,29,46,090
वसूली योग्य आयकर		5,87,869		5,87,869
कर्मचारी को ऋण				
प्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	2,11,76,020		2,66,26,369	
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	28,97,431		47,48,864	
अप्रत्याभूत, संन्देहास्पद समझे गए	3,08,410		3,08,410	
	2,43,81,861		3,16,83,643	
घटा : सन्देहास्पद अग्रिम का प्रावधान	3,08,410		3,08,410	
अन्य को अग्रिम		2,40,73,451		3,13,75,233
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	1,20,50,321		2,33,49,958	
अप्रत्याभूत, सन्देहास्पद समझे गए	1,19,73,343		90,41,117	
	2,40,23,664		3,23,91,075	
घटा : संन्देहास्पद अग्रिम का प्रावधान	1,19,73,343		90,41,117	
		1,20,50,321		2,33,49,958
योग		90,68,48,570		1,32,61,28,172

नोट सं. 15

अन्य गैर – चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ में)

	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
(अप्रत्याभूत सिवाय इसके कि बताया गया हो				
प्रतिभूति जमा		1,59,945		1,59,945
प्रोदभूत ब्याज				
- सावधि जमा	13,063		-	
- कर्मचारी ऋण	3,10,68,644		3,29,23,668	
		3,10,81,707		3,29,23,668
अन्य प्राप्य	1,11,90,633		85,45,265	
घटा : सन्देहास्पद प्राप्य हेतु प्रावधान	31,44,600		8,00,379	
		80,46,033		77,44,886
योग		3,92,87,685		4,08,28,499

नोट सं. 16

इंवेन्ट्री

(₹ में)

	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित तथा मूल्यांकित)				
(लागत पर)				
भंडार एवं पूर्जे	96,21,20,730		86,62,46,965	
घटा : (i) अचल भंडार व स्पैयर्स हेतु प्रावधान	13,88,36,669		13,14,60,463	
(ii) इंवेन्ट्रीय के अभाव हेतु प्रावधान	7,56,701		23,38,593	
(iii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	4,53,13,528		4,53,13,528	
		77,72,13,832		68,71,34,381
लागत पर रिटेन ऑफ घटाकर				
रिपेयरेबल्स तथा रोटेबल्स	15,75,56,671		15,75,56,671	
घटा :(i) अप्रचलन आरक्षिति	14,36,26,262		14,36,26,262	
(ii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	1,39,30,409	-	1,39,30,409	-
जेम मोड्यूल	5,01,37,213		5,01,37,213	
घटा: (i) अप्रचलन आरक्षिति	4,47,21,331		4,47,21,331	
(ii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	54,15,882	-	54,15,882	-
परीक्षण औजार उपस्कर (लागत पर)	3,94,47,664		4,57,94,261	
घटा : रिटेन ऑफ	3,44,78,058		3,89,34,081	
		49,69,606		68,60,180
प्रशिक्षण सामग्री	27,17,193		27,17,193	
घटा : रिटेन ऑफ	27,17,193	-	27,17,193	-
मार्गस्थ माल		1,13,38,747		97,22,330
एविएशन टरबाइन फ्यूल (लागत पर)		13,81,542		-
योग		79,49,03,727		7,037,16,891

नोट सं. 17

कारोबार प्राप्य राशियां

(₹ में)

	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
छः माह से अधिक का बकाया ऋण				
अच्छे समझे	57,59,00,098		54,35,16,458	
संदेहास्पद समझे गए	3,40,40,122		2,40,82,442	
अन्य ऋण : अच्छे समझे गए *	1,10,88,26,622		1,29,96,73,333	
	1,71,87,66,842		1,86,72,72,233	
घटा : संदेहास्पद ऋण हेतु	3,40,40,122		2,40,82,442	
		1,68,47,26,720		1,84,31,89,791
योग		1,68,47,26,720		1,84,31,89,791

* ओएनजीसी लिमिटेड से प्राप्य ₹. 39.32 करोड़ राशि (गत वर्ष ₹. 39.21 करोड़)

नोट सं. 18

नकद और नकद तुल्य मूल्य

(₹ में)

	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
अनुसूचित बैंको में शेष				
- चालू खाता	27,55,06,138		39,80,95,490	
- सावधि जमा खाता	50,28,83,701		25,76,21,111	
- बैंक के पास मार्जिन ₹ (सावधि जमा)	57,59,12,112		45,60,00,000	
		1,35,43,01,951		1,11,17,16,601
हाथ नकदी		17,91,970		18,22,812
योग		1,35,60,93,921		1,11,35,39,413

नोट सं. 19

अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ में)

	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
(अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए सिवाय इसके कि बताया गया हो) प्राप्त होनेवाले नकद या जिंस में मूल्य के रुप में वसूली योग्य अग्रिम				
कर्मचारियों को ऋण व अग्रिमः-				
प्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	74,80,924		72,60,664	
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	3,75,17,051		4,83,67,878	
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद समझे गए	10,24,715		10,24,715	
	4,60,22,690		5,66,53,257	
घटा : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	10,24,715		10,24,715	
		4,49,97,975		5,56,28,542
अन्य को अग्रिमः-				
अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए	10,86,86,218		12,29,23,287	
अप्रत्याभूत, संदेहास्पद समझे गए	5,33,224		5,33,224	
	10,92,19,442		12,34,56,511	
घटा : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	5,33,224		5,33,224	
		10,86,86,218		12,29,23,287
सांविधिक प्राधिकारियों के पास शेष		92,36,267		54,01,185
पूर्वदत्त व्यय		9,27,31,632		5,19,43,799
जमा		40,17,756		70,70,683
योग		25,96,69,848		24,29,67,496

नोट सं. 20

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ में)

			31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011
(अप्रत्याभूत, अच्छे समझे गए सिवाय इसके कि बताया गया हो)					
प्रोदभूत ब्याज					
सावधि जमा	4,21,99,704			2,96,10,156	
कर्मचारी ऋण	32,20,849			30,80,370	
		4,54,20,553			3,26,90,526
प्राप्य बीमा दावा		19,88,18,053			1,00,673
व्यय आय - प्रशिक्षण शुल्क		19,32,456			47,456
सावधि जमा खाता/चालू खाता (डीजीसीए से परियोजना हेतु प्राप्त जमा, प्रोदभूत ब्याज सहित)		9,17,14,366			10,48,92,296
योग		33,78,85,428			13,77,30,951

नोट सं. 21

प्रचालन से राजस्व

(₹ में)

	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
सेवाओं की बिक्री				
हेलीकॉप्टर हायर प्रभार	3,91,40,50,352		3,89,32,52,341	
घटा : हेलीकॉप्टरों (एओजी) के गैर प्रावधान हेतु कटौती	3,62,03,292		2,86,09,325	
		3,87,78,47,060		3,86,46,43,016
अन्य प्रचालन राजस्व				
प्रचालनों व अनुरक्षण संविदाओं से आय	25,75,36,985		26,56,94,321	
		25,75,36,985		26,56,94,321
योग		4,13,53,84,045		4,13,03,37,337

नोट सं. 22

अन्य आय

(₹ में)

	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
ब्याज आय				
- बैको में जमा से ब्याज आय	8,96,40,830		5,76,08,736	
- कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर ब्याज	28,34,597		23,93,026	
- अन्य ब्याज आय	3,33,372		48,99,106	
		9,28,08,799		6,49,00,868
इंवेन्ट्री मदों की बिक्री से लाभ		10,45,449		2,00,32,394
विनिमय घट बढ़ (शुद्ध)		4,16,93,440		3,82,12,115
अनापेक्षित प्रावधान		3,58,27,410		1,35,00,258
सेल्फ इंश्योरेंस हेतु रीटेन बैंक प्रावधान		-		40,00,000
परिनिर्धारित नुकसानी		2,43,15,736		40,15,113
प्रकीर्ण आय		5,03,94,123		2,97,42,166
योग		24,60,84,957		17,44,02,914

नोट सं. 23

हेलीकॉप्टर प्रचालन व अनुरक्षण व्यय

(₹ में)

	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
हेलीकॉप्टर अनुरक्षण व्यय	1,08,56,66,803	1,016,135,299
फ्यूल व्यय	21,18,44,018	23,40,19,817
बीमा व्यय	17,99,88,274	9,29,69,939
लैंडिग पार्किंग एवं अन्य व्यय	1,13,20,434	1,13,42,281
परिनिर्धारित नुकसानी	4,13,45,468	2,95,66,801
उपस्कर/विशेषज्ञ पारिश्रमिक प्रभार/लीज प्रभार	6,05,09,055	5,86,07,167
वाणिज्यिक व्यय	2,44,83,429	4,19,05,941
नॉन-मूविंग इंवेन्ट्री/जीवनावधि समाप्त मदों के लिए प्रावधान	1,35,03,181	3,11,61,272
बट्टे खाते डाले गए रोटेबल्स, स्टोर एवं स्पैयर्स	1,80,94,587	1,38,98,091
भंडारण, संभलाई प्रभार सह विलम्ब शुल्क	1,33,96,442	69,99,331
भाड़ा, परिवहन तथा ढुलाई	1,00,93,410	98,18,477
अन्य प्रचालन व्यय	50,75,365	70,44,677
योग	1,67,53,20,466	1,55,34,69,093

नोट सं. 24

कर्मचारियों लाभों पर व्यय

(₹ में)

	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
वेतन, मजदूरी तथा अन्य लाभ	1,23,50,07,813	1,09,47,55,502
कर्मचारी कल्याण	3,20,54,871	2,86,87,267
भविष्य निधि एवं उपदान निधि	4,20,91,255	4,03,78,911
अन्य कर्मचारी व्यय	5,01,59,361	5,08,50,925
योग	1,35,93,13,300	1,21,46,72,605

नोट सं. 25

अन्य व्यय

(₹ में)

	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
मरम्मत और अनुरक्षण				
भवन	1,10,46,733		1,05,43,198	
उपस्कर	46,45,110		81,35,794	
अन्य	2,18,10,433		2,26,82,336	
		3,75,02,276		4,13,61,328
किराया		4,44,16,890		5,09,46,987
यात्रा तथा वाहन		18,39,06,578		19,10,83,563
क्रू एवं अन्य स्टाफ प्रशिक्षण		8,21,90,335		7,98,19,267
बैंक प्रभार		63,79,960		61,05,303
विद्युत तथा जल		1,41,25,922		1,47,91,172
टेलीफोन, टेलीफैक्स व डाक		1,25,03,719		92,49,220
विज्ञापन व प्रचार		1,37,66,830		1,22,58,691
मुद्रण तथा लेखन सामग्री		1,02,80,016		79,92,503
वाहन चालन व अनुरक्षण		29,91,830		28,01,626
लेख परीक्षकों का शुल्क				
- सांविधिक लेखा शुल्क	4,68,049		4,01,315	
- कर लेखा शुल्क	1,25,697		98,581	
- प्रमाणीकरण शुल्क	27,575		22,060	
- अन्य व्यय	68,000		57,833	
		6,89,321		5,79,789
दरें, शुल्क तथा कर		1,18,84,700		2,01,68,486
पूर्वावधि व्यय (शुद्ध) (नोट) (क) नीचे		4,56,10,179		1,18,71,532
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि		74,714		5,08,761
संदेहास्पद ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान		1,62,74,742		98,77,527
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व		1,59,77,394		2,51,000
संपत्ति कर का प्रावधान		3,00,000		3,62,100
जुहू हाउसिंग कम्पलेक्स व्यय (शुद्ध वसूली)		1,08,43,912		1,30,35,071
अन्य व्यय		7,39,70,178		5,51,26,214
बीमा व्यय		46,02,822		56,01,286
योग		58,82,92,318		53,37,91,426
पूर्वावधि मद प्रतिनिधित्व				
क. जमा				
मूल्यह्रास	3,75,228		-	
अन्य मदें	1,50,38,112		25,95,133	
योग (क)		1,54,13,340		25,95,133
ख. नामे				
मूल्यह्रास	11,24,250		7,08,370	
पूर्व वर्षों की अचल इन्वेंट्री	-		1,04,86,052	
पूर्व वर्षों की बिलिंग आरक्षिति	2,08,68,128		-	
अन्य मदें	3,90,31,141		32,72,243	
योग (ख)		6,10,23,519		1,44,66,665
ग. शुद्ध नामे (क-ख)		4,56,10,179		1,18,71,532

नोट सं. 26

असाधरण मदें

(₹ में)

	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
(क) जमा		
बीमा दावे के निपटान पर अधिशेष	21,33,92,014	1,84,82,386
(ख) नामे	-	-
(ग) शुद्ध जमा / (नामे) (क - ख)	21,33,92,014	1,84,82,386

नोट सं. 27
वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी

(31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लेखों के साथ संलग्न और उनका एक अंग)

(I) पूंजीगत लेखों में निष्पादन के लिए शेष तथा अप्रावधाानित संविदाओं की अनुमानित राशि (शुद्ध अग्रिम) ₹ 106.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 315.10 करोड़)

(II) आकस्मिक देयताएँ

क) बैंक को दी गई प्रति गारंटी ₹ 84.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 21.43 करोड़)

ख) बकाया साख-पत्र ₹ 109.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 92.77 करोड़)

ग) ऋण के रूप में न स्वीकारे गए कम्पनी के खिलाफ दावे निम्नवत हैं:

1) कम्पनी द्वारा संघर्ष किए जा रहे पूर्व वर्षों की आयकर की मांग एवं अपील के अधीन ₹ 68.70 करोड़ है (पूर्व वर्ष में ₹ 54.61 करोड़) जिसके लिए कम्पनी उस अवधि तक कर विभाग में वापसी हेतु प्रतिवाद सहित/समायोजन के अधीन 31.03.2012 तक कुल ₹60.11 करोड़ (पूर्व वर्ष में ₹ 60.11 करोड़) कर जमा कर चुकी है। कर विभाग को जमा करायी गयी राशि को (शुद्ध कर के लिए प्रावधान) वसूली योग्य अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।

2) न्यायालय मुकदमे/माध्यस्थ अधीन मुकदमे ₹ 30.03 करोड़ (गत वर्ष ₹ 22.42 करोड़)

3) वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग के लिए अधिकारों के हस्तांतरण के संबध में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, और 2009-10 की कर अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार एवं कर विभाग (वैट) से ₹ 134.95 करोड़ की वैट व ₹ 184.33 करोड़ की ब्याज व जुर्माने के रूप में कुल ₹ 319.28 करोड़ की मांग नोटिस प्राप्त हुई है। यद्यपि पवन हंस द्वारा सेवा कर के भुगतान के मामले में ऐसा कोई वैट संबध नहीं है और मांग के विरोध में अपील की गई है।

4) अन्य ₹ 6.47 करोड़ (गत वर्ष ₹ 6.08 करोड़)

घ) भारत सरकार के बकाए पर ब्याज को दिनांक 31.03.2001 तक फ्रीज किया गया संदर्भ नोट सं. (iii) यद्यपि प्रचुर सावधानी के रूप में उत्तरवर्ती अवधि दिनांक 01.04.2001 से दिनांक 31.03.2012 के लिए ब्याज देयता के ₹ 259.20 करोड़ (गत वर्ष ₹ 235.64 करोड़) को आकस्मिक देयता के रूप मे दर्शाया गया है।

(III) भारत सरकार की देयताएँ

क) सरकार ने जून 1986 में 42 वेस्टलैण्ड तथा डॉफिन हेलीकॉप्टर को खरीदने की संपूर्ण परियोजना लागत की राशि को इक्विटी पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। चूंकि कम्पनी को प्राप्त बजट सहायता परियोजना लागत से कम थी, इसलिए यह भारत सरकार की देयताओं का निपटान करने में असमर्थ थी। वित्त मंत्रालय ने वर्तमान बकाया राशि ₹ 130.91 करोड़ पर (मूल राशि) 18% वार्षिक दर से ब्याज का दावा किया है।

ख) वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान नागर विमानन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेजे परिशोधित प्रस्ताव के आधार पर जिसमें डॉफिन तथा वेस्टलैंड पर कम्पनी द्वारा 31.03.2001 तक देय ब्याज की कुल राशि 339.31 करोड़ (01.04.2001 से राइट ऑफ तिथि तक देयों पर ब्याज बताया गया है) तथा मूलधन राशि 130.91 करोड़ को कम्पनी में सरकारी इक्विटी में परिवर्तित किया जाए। प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय की सहमति है। तदनुसार, कम्पनी ने वित्त मंत्रालय द्वारा दावाकृत ब्याज और अन्य प्रभारों के लिए वित्त वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2002-03 के दौरान 31.3.2001

तक के लिए ₹ 339.31 करोड़ का प्रावधान बनाया है तथा उसे अग्रेनीत किया गया है। यद्यपि भारत सरकार की देय राशि पर दिनांक 01.04.2001 से दिनांक 31.03.2012 तक के ब्याज की राशि ₹ 259.20 करोड़ को आकस्मिक देयता के रूप मे दर्शाया गया है।

ग) नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2007 में वित्त मंत्रालय को एक परिशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें वित्त मंत्रालय से सरकार द्वारा कम्पनी से दावाकृत कुल राशि ₹ 470.22 करोड़ (मूल राशि ₹ 130.91 करोड़ तथा 31.03.2001 तक का ब्याज ₹ 339.31 करोड़) का अधित्याग करने हेतु पुनर्विचार करने हेतु कहा गया है ताकि मौजूद निधि को बेड़े के वर्धन तथा अन्य पूंजीगत आउटले प्रोग्राम हेतु उपयोग किया जा सके जो कम्पनी का अस्तित्व बनाए रखने हेतु नागर विमानन क्षेत्र में भारत में विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में अपरिहार्य है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है तथा कम्पनी की दावाकृत राशि सरकारी कोष में जमा करने हेतु निर्देश दिया है। कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21.8.2008 को आयोजित 115वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त मंत्रालय के दावे का पूर्ण अधित्याग करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय की पैरवी करे और एक वित्त सलाहकार नियुक्त किया है, जो अन्य मुद्दों सहित इसकी जांच करे। वित्त सलाहकार ने कम्पनी के मूल्यांकन में भारत सरकार के दावे के प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है तथा कुछ विकल्पों की संस्तुति की है। रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी के लिए भारत सरकार के दावे का भुगतान करना व्यवहार्य विकल्प नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10.09.2010 के द्वारा नागर विमानन मंत्रालय को सूचित किया कि देय राशि के अधित्याग का प्रस्ताव समर्थित नहीं है। तत्पश्चात, सचिव (नागर विमानन) ने दिनांक 10 नवंबर, 2010 को पत्र द्वारा सचिव (व्यय) से नागर विमानन मंत्रालय के प्रस्ताव को यथा प्रस्तुत नए तथ्यों की रोशनी में फिर से जाँचने का अनुरोध किया।

वित्त मंत्रालय के दावे से संबंधित दिनांक 29.04.2012 को वित्त मंत्रालय के साथ संपन्न बैठक के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि कंपनी के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के लिए प्रचलित प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों व ओएनजीसी की निविदा के अंतर्गत 5 वर्ष विंटेज वाले हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता और रू. 470.22 करोड़ का वित्त मंत्रालय का दावा कंपनी की समग्र वृद्धि में किस प्रकार अवरोधक है, को ध्यान में रखते हुए एक कारोबारी योजना तैयार की जाए। संशोधित कारोबारी योजना के आधार पर एसबीआई कैपिटल सर्विसेज लि. को वित्तीय परामर्शी रिपोर्ट व अपनी संस्वीकृतियाँ करने का कार्य सौंपा गया बोर्ड की 133 वीं बैठक में इस रिपोर्ट के अनुमोदन के उपरांत वित्त मंत्रालय में आगे प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02.07.2012 को नागर विमानन मंत्रालय में भेजा गया। मामला सरकार के पास विचाराधीन है। कंपनी ने भारत सरकार के दावे को संशोधित अनुसूची-VI के अंतर्गत अपचलित देयता के रुप में समझा है।

(IV) वेस्टलैण्ड आस्तियों की बिक्री

क) वेस्टलैण्ड बेड़े के भूमिगत होने के पश्चात 18 जनवरी, 1993 को सरकार ने निर्णय लिया कि वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर बेड़े को इसकी इन्वेट्री के साथ एक ग्लोबल टेंडर द्वारा बेच दिया जाए। इससे होने वाली आय को भारत सरकार तथा यू.के. की परस्पर सहमति से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लगाया जाए। तथापि इस ग्लोबल टेंडर पर प्रतिकूल अनुक्रिया के कारण सरकार ने 12 मई, 1994 को इन्हें इच्छुक पार्टियों को ही परस्पर मोलभाव करके बेच देने हेतु कम्पनी को अनुमति दी। सरकार ने वेस्टलैण्ड आस्तियों की बिक्री का निरीक्षण करने के लिए एक स्टियरिंग समिति का भी गठन किया था।

ख) वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टरों (एक क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर सहित)तथा संबंधित इन्वेन्ट्री की बिक्री न होने तक, इन आस्तियों को उनके बही मूल्य पर लिखा गया है, जो कुल ₹ 22.39 करोड़ है। कम्पनी ने बतौर सावधानी बही मूल्य समान ₹ 22.39 करोड़ हानि का प्रावधान किया था। वर्ष 1999-2000

में ऐसी परिसम्पत्तियों के संबंध में बही मूल्य ₹ 7.23 करोड़ का समायोजन करने के बाद, शेष प्रावधान ₹ 15.16 करोड़ को अग्रेनीत किया गया है।

ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान कम्पनी ने सरकार के अनुमोदन से वेस्टलैण्ड आस्तियों को पाउंड स्टर्लिंग 9,00,000 में बेचने हेतु यू.के. की एक फर्म के साथ अनुबंध किया था। इन आस्तियों को अधिक से अधिक दो शिपमेंट में भेजे जाने वाले पारेषण के अनुमानित मूल्य के बराबर भुगतान पर भेजे जाने की सहमति हुई थी। पहला शिपमेंट दिसम्बर, 1999 में भेजा गया तथा कम्पनी को जनवरी, 2000 में पांउड 4,50,000 (₹ 3.22 करोड़) की वसूली हुई, जिसे कम्पनी ने तत्काल प्रशासन मंत्रालय के निदेशानुसार भारत सरकार के पास जमा कर दिया था। शिपमेंट में वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर के कुछ आवश्यक पूर्जे कम्पनी की अभिरक्षा में है। द्वितीय शिपमेंट खरीददार द्वारा उठाए गए विवाद के कारण नहीं भेजा जा सका है। कम्पनी द्वारा खरीददार के खिलाफ करार की शर्तों के अनुसार विशिष्ट कार्यों तथा ठेके संबंधी विभिन्न निबन्धनों के उल्लंघनों से हुई हानि की वसूली के लिए माध्यस्थ कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

अब यह पता लगा है कि खरीददार (मेसर्स एईएस एरोस्पैस लि., यूके) को यूके के न्यायालय ने वर्ष 2002 में कारोबार बन्द करने का आदेश दिया है तथा एक कार्यालयीन प्राप्तिकर्ता नियुक्त किया है। बन्द किए जाने के आदेश के बावजूद कम्पनी को माध्यस्थ निर्णय की कार्यवाही जारी रखने हेतु कानूनी सलाह दी गई है। निपटान अनिर्णीत होने के कारण कम्पनी ने ऐसे देयों का लेखांकन नहीं किया है और वसूली/निपटान के पश्चात इसका लेखांकन किया जाएगा।

घ) प्रथम शिपमेंट के अधीन किए गए लेन-देन को संपूर्ण बिक्री मानते हुए वर्ष के दौरान वेस्टलैण्ड आस्तियों की (लागत ₹ 51.46 करोड़, डब्ल्यू. डी. वी. ₹ 7.23 करोड़) बिक्री के संबंध में आवश्यक लेखांकन समायोजन वर्ष 1999-2000 की लेखा बहियों में किया गया है। बेची गई इन्वेन्ट्री मदों के परिमाणों का तथा मुंबई के माल गोदाम में रखी हुए इन्वेन्ट्री मदों के परिमाणों का ब्यौरा अनुपलब्ध होने के कारण आकड़ों को अंतिम आधार पर लिया गया है (नीचे अनुच्छेद 4.5 का सन्दर्भ लें) बशर्ते आगे समाधान किया जाए। बिक्रीकृत इन्वेन्ट्री मदों को एफ.आई.एफ.ओ. आधार पर अभिकलित किया गया है। चूंकि वेस्टलैण्ड आस्तियों की बिक्री का ठेका इकमुश्त आधार पर किया गया है, मदवार बिक्री दाम की अनुपलब्धता में, प्रतिफल पांउड स्टर्लिंग 4,50,000 (₹ 3.22 करोड़) से 9 हेलीकॉप्टर, टेस्ट बेड तथा इन्वेन्ट्री मदों के कुल रिटेन डाउन मूल्य को घटाकर निर्धारण किया गया है तथा इसे वित्त वर्ष 1999-2000 में लेखांकित किया गया है।

ङ) वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान वेस्टलैण्ड इन्वेन्ट्री का एक भाग कम्पनी के दिल्ली स्थित कार्यालय से मुंबई कार्यालय तक स्थानान्तरण करते समय खरीददार के अनुदेशों से पथांतर किया था तथा उसे वर्तमान में मुंबई के वेयर हाउस की अभिरक्षा में रखा हुआ है। वेस्टलैण्ड इन्वेन्ट्री के प्रारंभिक अर्जन लागत तथा मालगोदाम में रखे हुए पूंजीगत मदों का मूल्य ₹ 32.50 करोड़ (ह्रासित मूल्य ₹ 4.50 करोड़) है। कम्पनी ने ऐसे पथांतर के लिए खरीददार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। (उपर्युक्त पैरा 4.3 का संदर्भ लें) वेयर हाउस की दावाकृत राशि ₹ 4.66 करोड़ है, (गत वर्ष ₹ 4.31 करोड़) जिसे ठेके के अनुसार खरीददार द्वारा सीधे निपटान करना अपेक्षित है। कम्पनी ने दिसम्बर, 2002 में दिल्ली उच्च न्यायालय से एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है, जिससे कि वेयर हाउसिंग कम्पनी अपने दावे के निपटान हेतु माल को न बेच सके। 22.04.2008 के दिल्ली उच्च न्यायलय के एकल माननीय न्यायाधीश द्वारा कम्पनी के पक्ष में वेयर हाउस कम्पनी को बिना किसी दावे का भुगतान के इन्वेन्ट्री मदों को वेयर हाउस से अपने कब्जे में लेने का निर्णय दिया है। निर्णय के खिलाफ वेयर हाउस कम्पनी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायलय के खंड पीठ के समक्ष अपील किया गया था, जिसके

द्वारा दिनाकं 11.08.2008 को उच्च न्यायलय के एकल न्यायधीश द्वारा कम्पनी के पक्ष में दिए गए निर्णय को मान्य ठहराया है वेयर हाउस कंपनी द्वारा दायर एसएलपी सं 1231/2009 को भी उच्चतम न्यालय के द्वारा दिनांक 31.01.2009 को ख़रिज कर दिया है। फॉरवर्डस द्वारा दायर एस एल पी सं 23629/2009 पर माननीय उच्चतम न्यायलय के द्वारा वर्ष 2009 में उनके पक्ष में अंतरिम रोक स्वीकृति प्रदान किया है। अब उक्त एसएलपी को भी 27.03.2012 को ख़ारिज किया गया है और सागर वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के वेयर हाउस से इन्वेन्ट्री मदों को पवन हंस मुम्बई में एईएस के साथ माध्यस्थम के संबंध में (2008 का सं.1) पवन हंस द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय में तृतीय माध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में दायर याचिका को एईएस का परिसमापन और पवन हंस को भुगतान करने हेतु धन नहीं होने को ध्यान में रखकर दिनांक 13.08.2012 को ख़ारिज किया गया है। तदनुसार आवश्यक अनुमोदन के पश्चात पवन हंस शेष वेस्टलैण्ड पैकेज के निपटान हेतु कार्यवाही करेगा । साथ ही अधिक सावधानी के तौर पर कंपनी द्वारा मदों को प्राप्त करने तक दावे को आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है। ऐसी मदों तथा कंपनी के पास रखी शेष इन्वेन्ट्री मदें (जिसे बॉक्सों में मोहर बन्द रखा है) और जो कि द्वितीय शिपमेंट है उसका समाधान नहीं होने के कारण बही मूल्य (₹6.47 करोड़) के अनुसार अग्रेनीत किया गया हालांकि उपर्यक्त पैरा 4.2 के अनुसार पूर्ण रूप से प्रदत्त किया गया।

V) आवासीय फ्लैट/क्वाटर्स

क) कम्पनी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 25 वर्षों के लिए लीज पर दी गई भूमि पर 2002-03 के दौरान ₹ 22.71 करोड़ लागत से 242 फ्लैटों का निर्माण किया है तथा इसका उपयोग कर रहा है। कम्पनी ने 242 फ्लैटों में से 50 फ्लैटों को संयुक्त विकास करार के अधीन लीज भूमि की किराए के बदले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आबंटित किया है तथा परियोजना वास्तुविद द्वारा इन 50 फ्लैटों की निर्माण लागत ₹ 5.59 करोड़ प्राक्कलित की गई है।

ख) मई, 1998 में कम्पनी ने कर्मचारियों के लिए एमएचएडीए, मुंबई से 6 आवासीय फ्लैट खरीदे थे। हालांकि कब्जा आवंटन-पत्र के आधार पर लिया गया है, कम्पनी ने वर्ष के दौरान अनन्तिम आधार पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार उपलब्ध कराया है और इस शर्त पर कि अंतिम भुगतान सोसाइटी के पक्ष में उचित कन्वेअन्स डीड का निष्पादन होने के पश्चात किया जाएगा। कुछ सोसाईटियों ने विभेदक कीमत निर्धारण के मुद्दे को लेकर एमएचएडीए, के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में मुकदमा किया है तथा, इस स्थिति में राशि का निर्धारण कर पाना सम्भव नहीं है।

ग) कम्पनी द्वारा लोखंडवाला कांस्ट्रक्शन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से वर्ष 1991-1992 में कर्मचारियों के लिए 42 आवासीय फ्लैट खरीदे गए थे। निदेशक मंडल ने इन फ्लैटों का सार्वजनिक उपक्रमों को किराए पर देने का अनुमोदन दिया है तथा तदनुसार, 29 फ्लैटों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 31 मार्च 2012 किराए पर दी गई है।

VI) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण

क) कम्पनी ने विगत वर्षों 1991-1992 में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज/त्रैमासिक भुगतान पर केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म लिमिटेड (एचपीएफ) को अप्रत्याभूत अंतर कारपोरेट ऋण दिया था। संचित बकाया राशि ₹ 7.25 करोड़ है। तथापि, एचपीएफ अपनी खराब वित्तीय दशा के कारण ब्याज सहित ऋण का भुगतान करने की अपनी संविदात्मक बाध्यता को पूरा नहीं कर सका। एचपीएफ को रूग्ण घोषित कर दिया गया था। कम्पनी ने इसकी देयता के संरक्षण हेतु बीआईएफआर के पास अपना दावा दायर किया है। जनवरी, 2003 में बीआईएफआर द्वारा एचपीएफ को बन्द करने की संस्तुति की थी, जिसके खिलाफ एच पी एफ तथा इसके प्रशासनिक मंत्रालय के द्वारा एएआईएफआर

के विपरीत नेट वर्थ के कारण कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए उक्त ऋण की ब्याज आय को शामिल नहीं किया है तथा इसे वसूल करते ही/निपटान होते ही शामिल कर लिया जाएगा। तदनुसार, वर्ष का लाभ ₹ 1.56 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1.56 करोड़) कम रहा। नकारात्मक निवल मूल्य को देखते हुए एचपीएफ ने वर्ष 2008 में ब्याज से छूट के साथ ओटोएस में 30% मूल राशि (₹ 2.18 करोड़) के लिए सरकारी अनुमोदन की मांग का अनुरोध किया। पवन हंस द्वारा तदनुरूप सहमति दी गई। दिनांक 02.04.2012 को एचपीएफ ने सूचित किया कि सीसीईए से ओटीएस के अनुमोदन के लिए प्रयास कर रहा है। पूर्ण सतर्कता बरतते हुए कम्पनी ने विगत वर्षों के मूलधन की राशि के प्रति ₹ 7.25 करोड़ का प्रावधान रखा है, जिसे हिसाब में आगे ले जाया गया है।

VII) स्थायी परिसम्पत्तियाँ

क) डॉफिन बेड़े का मीड लाइफ अपग्रेडेशन

ओएनजीसी के नए अनुबंध की आवश्यकतानुसार विमानन मानक (एएस-4) के अनुपालन को ध्यान में रखकर, कम्पनी का डॉफिन बेड़ा मिड लाइफ अॅपग्रेड प्रोग्राम के अधीन है, जो कि एक मेजर रीट्रोफिट परियोजना है तथा जिससे संरक्षा तथा कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा और परिणाम स्वरूप ग्राहकों को बेड़े की श्रेष्ठतर उपलब्धता प्राप्त होगी। कम्पनी को डॉफिन हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए रीट्रोफिट किट की आपूर्ति मेसर्स यूरोकॉप्टर द्वारा की गई है तथा रीट्रोफिटमेंट क्रमावस्था से पूरी की जाएगी। इस सम्बन्ध में मेसर्स यूरोकॉप्टर का प्राधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स सोफिमा, फ्रांस के साथ अनुबंध किया गया है। रीट्रोफिट पैकेज जो कि डॉफिन हेलीकॉप्टरों की पूर्णता के लिए आवश्यक है, जेएआर ओपीएस3 मानकों के अनुपालन में हैं। ऐसी बेहतरी से कम्पनी का डॉफिन बेड़ा अद्यतन अपतटीय मानकों से उन्नत हो जाएगा तथा इसके फलस्वरूप बेड़े की उपयोगिता अवधि बढ़ेगी और जिससे भविष्य में कम्पनी को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा 3 डॉफिन हेलीकॉप्टर को ए.एस 4 युक्त किया गया। श्रम घंटे लागत हेतु हुए व्यय ₹ 1.24 (गत वर्ष ₹ 0.14 करोड़)करोड़ पूंजीगत किया गया है।

ख) ₹ 43.13 करोड़ (गत वर्ष ₹ 36.41 करोड़ राशि) की स्थाई परिसम्पत्ति जिसमें रोटेबल्स तथा रेपेरेबल्स (सकल मूल्य) शामिल है जिन्हें मरम्मत के लिए विदेश भेजा गया था लेकिन 31 मार्च, 2012 को मरम्मत करने वाले अभिकरणों के पास हैं। तथापि, ज्यादातर मदें मरम्मत के पश्चात 31 मार्च, 2012 के बाद कम्पनी को प्राप्त हो चुकी हैं।

ग) नोएडा में कार्यालय की इमारत को दिनांक 15.04.2010 से उपयोग हेतु लिया गया और सिविल डिपार्टमेंट/एपीएमसी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर सिविल संविदाकारों के साथ की जाने वाली अनिवार्य कार्यवाही को देखते हुए लंबित अंतिम भुगतान को औपबंधिक रूप से पूँजीकृत किया गया। इसके साथ ही इस कार्यालय भवन के फर्नीचर और जुडनार को मेसर्स एनबीसीसी के साथ लंबित भुगतान को देखते हुए सिविल डिपार्टमेंट द्वारा किए मूल्यांकन ₹ 2.96 करोड़ के आधार पर औपबंधिक रूप से पूँजीकृत किया गया।

घ) स्थायी पारिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर से मिलान की प्रक्रिया प्रगति पर है।

VIII) इन्वेन्ट्री

क) इन्वेन्ट्री (शुद्ध) की समीक्षा करके समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखांकन नीति के ₹1.35 करोड़ (गत वर्ष ₹ 5.80 करोड़) का प्रावधान किया गया और पश्चिम क्षेत्र में ₹ 0.58 करोड़ (गत वर्ष शून्य) के प्रावधान को उत्क्रमित किया गया है।

ख) कम्पनी स्पेयर्स पार्टो को एक पार्टी से 'हाई सी सेल्स' आधार पर खरीद करती है, जो कम्पनी की ओर से आयात करती है। खरीद आदेशों के निबंधनों के अनुसार कोटेशन विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है, तथापि भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाता है, विजया बैंक द्वारा इनवायस तिथि विदेशी मुद्रा में अधिसूचित की बिल सेलिंग दर

को आधार माना जाता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 01.03.2013 के प्रभाव से हाई सी सेल्स के भुगतान की शर्तें परिपरिर्तित हो गई जो निम्नानुसार है:-

''हाई सी सेल्स मामले में आपूर्ति बिल का भुगतान हाई सी सेल्स करार पर हस्ताक्षर करने की विदेशी मुद्रा दर के अनुसार विजया बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए भारतीय रुपए (मुद्रा) में किया जाएगा।''

ग) विदेश मुद्रा की लेनदेन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के पैरा सं. 3 के अनुसार, लाभ एवं हानि के कारण निम्नांकित विनिमय उतार-चढ़ाव है:

क) दिनांक 31.03.2012 को स्थाई परिसंपत्तियों और ईवेवेन्ट्री की खरीद का भुगतान बकाया होने के कारण देयताओं का पुर्नविवरण; और

ख) दिनांक 31.03.2012 को स्थाई परिसंपत्तियों और इंवेन्ट्री की खरीद हेतु अग्रिम भुगतान के कारण पुर्नविवरण, और

ग) आयात किए गए स्थाई परिसंपत्तियों और इंवेन्ट्री के स्वामित्व स्वीकरण तिथि की मौद्रिक मूल्य तथा निपटान तिथि की मौद्रिक मूल्य में अन्तर जिनको विदेशी मुद्रा विनिमय घटबढ़ के कारण 'लाभ हानि' के रूप में माना गया है और लाभ व हानि लेखा में अतंरण किया गया है।

IX) उत्तरी क्षेत्र में एटीएफ की खरीद के लिए भारतीय तेल निगम (आईओसी) के खाते में ₹ 1.11 करोड़ (जमा) गत वर्ष ₹ 1.66 करोड़ का शुद्ध अधिशेष दिखाया गया है, जबकि आईओसी की बहियों में कंपनी का अधिशेष ₹ 0.23 करोड़ (नामे) गत वर्ष ₹ 0.32 करोड़ (जमा) है। विस्तृत मिलान के दौरान आईओसी की बहियों में कंपनी के नाम से गत वर्षों के कुछ असम्बद्ध लेन-देन को देखा गया है, जैसे - आदि शेष का अंतर, आईओसी द्वारा नहीं बुक की गई कंपनी को आपूर्ति, आईओसी की बहियों में असम्बद्ध भुगतान, कम्पनी द्वारा किए गए भुगतान को आईओसी द्वारा लेखांकित नहीं किया गया जाना, तथा असम्बद्ध आपूर्तियाँ, जिसके लिए आईओसी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। तथापि, कंपनी ने लेखांकन परिनिश्चित करने तक उत्तरवर्ती अवधि की संवीक्षा की है, ताकि आईओसीके किसी भी बकाया बिलों को वर्षांत की अवधि तक लेखांकित किया जा सके और वास्तविक ईंधन की खपत से उड़ान घंटे के समंजस्य को जांचा है। तदनुसार, आईओसी के विवरण में ऐसे बकाए की प्रविष्टियों के संबंध में संज्ञान नहीं किया गया है, जिस पर लेखांकन कार्रवाई की जा सके। कंपनी मामले को आईओसी के वरिष्ठतम अधिकारियों के समक्ष रखा है और समाधान प्रगति पर है। कंपनी को जब कभी भी आईओसी द्वारा संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, उसी समय आवश्यक संशुद्ध प्रविष्टियाँ कर ली जाएगी।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के पास पश्चिम क्षेत्र ने ₹ 1.30 करोड़ का कारनेट जमा कर रखा हैं, जिसमें से रू.1.08 करोड़ के बिल प्राप्त हो चुके हैं और दिनांक 31.03.2008 तक खाते में लेखांकन किया गया है। शुद्ध शेष रु 0.22 करोड़ आईओसी लिमिटेड के पास समाधानाधीन है तथा अग्रिम के अंतर्गत दर्शाया गया है।

X) प्रतिभूति ऋण

क) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने दिनांक 12.08.2010 को ओएनजीसी लि. के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें ओएनजीसीलि ने मेसर्स यूरोकॉप्टर, फ्रांस से कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले 7 अदद नए डॉफिन एन-3 हेलीकॉप्टरों के 80% लागत हेतु ₹ 275 करोड़ तक प्रतिभूति ऋण उपलब्ध कराने हेतु सहमति दी है। वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण ₹ 275 करोड़ में से कंपनी ने खरीदे जा रहे 7 अदद डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों के लिए ₹ 76.75 करोड़ (गत वर्ष ₹ 184.26 करोड़)के रूप में ₹ 261.01 करोड़ का कुल ऋण आहरित किया है। ऋण का ब्याज दर एसबीआई द्वारा समय-समय पर लागू मूल दर पर और साथ ही 150 बेसिस पांइट सहित होगा, जिसे वर्ष की अवधि में 60 समीकृत मासिक किस्तों में 5 वर्षो में पुनर्भुगतान किया जाएगा। ऋण का पूर्ण भुगतान होने तक हेलीकॉप्टरों को ओएनजीसी लि. के नाम

से दृष्टिबंधकित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान कंपनी ने मूलधन ऋण 23.41 करोड़ रुपए (गत वर्ष 9.84 करोड़ रुपए) चुकाया है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष ओएनजीसी लि. ने उपर्युक्त ऋण में से ₹ 95.85 करोड़ को इक्विटि में परिवर्तित किया है और अपना इक्विटि ₹ 24.50 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 120.35 करोड़ किया है। दिनांक 31.03.2012 को ऋण मूलधन राशि में से ₹ 131.91 करोड़ (गत वर्ष 78.57 करोड़ रुपए) बकाया देय है। ।

प्रतिभूति के प्रकार – ऋण करार के अनुसार स्वीकृत ऋण ₹ 275 करोड़ के लिए 7 अदद नए डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों को मेसर्स ओएनजीसी लि. के नाम हाइपोथिकेट किया गया है तथा कंपनियों के पंजीयक के पास चार्ज पंजीकृत किया गया है।

ख) कंपनी ने इंवेन्ट्री समेत दो नए डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर और दो नए एमआई 172 हेलीकॉप्टरों के अर्जन हेतु बाहरी ऋण माध्यम से निधियन के लिए दिनांक 18.01.2012 को विजया बैंक और एक्जीम बैंक के साथ क्रमश: ₹ 95.18 करोड़ और ₹ 90.82 करोड़, कुल राशि ₹ 186.00 करोड़ हेतु रुपी टर्म लोन फेसिलिटी करार पर हस्ताक्षर किया है, जिसकी ब्याज दर निम्नवत है:-

(1) विजया बैंक रुपी टर्म लोन फेसिलिटी–मासिकरेट सहित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बेस दर + 1.25% प्रतिवर्ष + 0.25% (टीपी) प्रतिवर्ष मासिक विश्राम।

(2) एक्जीम बैंक रुपी टर्म लोन फेसिलिटी–मासिक विश्राम सहित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बेस दर पर अस्थायी दर से+ प्रतिवर्ष 1.50% स्प्रैड।

ऋण का भुगतान 36 किस्तों में किया जाना है, जो दिसम्बर 2012 तिमाही के अन्त में आरंभ किया जाएगा जिसकी अंतिम चुकौती सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही में होगी तथा डोर टू डोर टेनर ऑफ द फेसिलिटी 9.92 वर्ष है, का वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) से 6 माह तक अधिस्थगन जिसमें शेष अर्जन अवधि 0.42 माह और परियोजना का वाणिज्यक प्रचालन तिथि (सीओडी) से 6 माह की अधिस्थगन अवधि शामिल हैं।

स्वीकृत ऋण ₹ 186.00 करोड़ में से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक्जीम बैंक द्वारा इंवेन्ट्री रहित 2 अदद नए डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों का 80% लागत यूरो 1,22,77,897.60 के समतुल्य राशि ₹ 81.43 करोड़ अदा की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने मूलधन राशि ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य) तथा उस पर ब्याज ₹ 0.64 करोड़ (गत वर्ष ₹ शून्य) चुकाया है। दिनांक 31.03.2012 को ब्याज सहित मूल्यधन बकाया राशि ₹ 81.46 करोड़ (गत वर्ष शून्य) था। हाईपोथिकेशन करार हेतु राजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ चार्ज क्रिएट किया गया है।

प्रतिभूति के प्रकार–ऋण करार के अनुसार 2 अदद नर डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर, पंजीयन सं. वीटी–पीडब्ल्यूई और वीटी–पीडब्ल्यूएफ को मेसर्स विजया बैंक–प्रतिभूति ऐजेन्ट के पक्ष में हाइपोथिकेट किया गया है (विजया बैंक और एक्जीम बैंक की ओर से) तथा इसका चार्ज रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास पंजीकृत किया गया है। इसी प्रकार आपूर्तिकर्ता से अगस्त 2012 में इंडिया में 2अदद एमआई- 172 हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के पश्चात विनिर्दिष्ट हेलीकॉप्टरों के लिए चार्ज क्रिएट किया जाएगा।

ग) दिनांक 29.04.2010 को कंपनी ने समझोता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें एनटीपीसी द्वारा मेसर्स यूरोकॉप्टर फ्रांस से खरीदे जाने वाले एक नए डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर की 100% लागत हेतु रियायती ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष के विद्यमान विनिमय दर 1 यूरो = ₹ 68/– पर ₹ 55.30 करोड़ का प्रतिभूति ऋण उपलब्ध कराने हेतु सहमति दी है। एनटीपीसी ने उपर्युक्त ऋण की मंजूरी एक वर्ष के लिए 1 डॉफिन एन हेलीकॉप्टर के विपरीत तथा तत्पश्चात एनटीपीसी के ऋण में अर्जित नया डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर 10 वर्ष की अवधि के वेट लीज के विपरीत सहमति दी है। ऋण का भुगतान 120 समान मासिक किस्तों में पवन हंस के मासिक बिलिंग/भुगतान के विपरीत वसूली योग्य/समायोज्य होगा। ब्याज सहित ऋण राशि का पूर्ण भुगतान होने तक ये हेलीकॉप्टर एनटीपीसी लि. के नाम पर हाईपोथिकेट रहेगा।

समझौता ज्ञापन के अनुसार एनटीपीसी लि. द्वारा निधित प्रारम्भ के इंवेन्ट्री तथा ऋण भुगतान की तिथि से हेलीकॉप्टर की डिप्लॉयमेंट की तिथि तक ब्याज लगेगा, जो कि हेलीकॉप्टर की लेंडेड

लागत में जोड़ा जाएगा ताकि कुल/अंतिम मूलधन राशि निकाली जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त समझोता ज्ञापन के विपरीत ₹ 52,72,39,872/- आहरित किया है, दिनांक 31.03.2012 तक प्रोदभूत ब्याज ₹ 16,39,872/- समेत हेलीकॉप्टर की डिप्लॉयमेंट तिथि दिनांक 14.04.2012 को प्रोदभूत ब्याज समेत अंतिम मूलधन राशि ₹ 52,83,63,072/- है। कंपनी ने मूलधन ऋण (गत वर्ष शून्य) तथा उसपर ब्याज (गतवर्ष शून्य) का पुनर्भुगतान नहीं किया है। दिनांक 31.03.2012 को ब्याज समेत मूलधन बकाया राशि ₹ 52,72,39,892/-(गतवर्ष शून्य) है।

प्रतिभूति के प्रकार- समझौता ज्ञापन के अनुसार एक डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर, पंजीयन सं. वीटी-पीडब्ल्यूडी मेसर्स एनटीपीसी लि. के पक्ष में हाईपोथिकेट किया गया है तथा इसका चार्ज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ पंजीकृत किया गया है।

XI) दिनांक 31 मार्च, 2012 तक के फुटकर देनदारों तथा ऋण और अग्रिम/जमा शेष का पुष्टिकरण परिचालित किया गया था, लेकिन प्रत्युतर सीमित था। तथापि, बताये गए मामलों को छोड़कर प्राय: ऋण/अग्रिम प्राप्त हो चुका है/ समायोजित किया गया है।

XII) कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अन्य लाभ

क) कंपनी ने गैर-अधिकारी (गैर-तकनीकी) के साथ दिनांक 16.08.2011 को और गैर-अधिकारी (तकनीकी) के साथ दिनांक 16.07.2012 को वेतन पुनरीक्षण समझौता किया है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान गैर-अधिकारी (गैर-तकनीकी) को बकाए का भुगतान किया गया। तदनुसार निम्नांकित के लिए वित्तवर्ष के दौरान वेतन व भत्तों के पुनरीक्षण हेतु प्रावधान बनाया है:-

यूनियन के साथ हस्ताक्षरित समझोता ज्ञापन के आधार नियमित गैर-अधिकारी (तकनीकी) कमचारियों हेतु वेतन व भत्तो के लिए।

डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार नियमित अधिकारियों हेतु कैफ्टेरिया एप्रोच के आधार पर मूलवेतन का 50% दर पर भत्तों का पुनरीक्षण।

समस्त नियमित कर्मचारियों के लिए 10% दर से पीएफ पे का पेंशन प्रावधान, दिनांक 01.01.2007 से प्रभावी।

वर्ष के दौरान पेंशन प्रावधान ₹ 14.15 करोड़ (गतवर्ष शून्य) सहित ₹ 34.30 करोड़ (गत वर्ष रू 29.70 करोड़) का कुल प्रावधान बनाया गया। कुल प्रावधान में से दिनांक 31.01.2012 तक गैर तकनीकी संघबद्ध स्टाफ को वेतन और भत्ते का बकाया राशि ₹28.90 का भुगतान/समायोजित किया गया। शेष प्रावधान ₹ 37.77 करोड़ (गतवर्ष ₹ 32.37 करोड़) राशि को अनुवर्ती अवधि में भुगतान/समायोजन हेतु अग्रेनीत किया गया। 31.03.2012 को उपर्युक्त प्रावधान के बकाए का ब्यौरा निम्नांकित है :-

अधिकारी	₹ 12.03 करोड़
गैर-अधिकारी (तकनीकी)	₹ 11.59 करोड़
पेंशन	₹ 14.15 करोड़
कुल	**₹ 37.77 करोड़**

ख) ए एस 15 (संशोधित) लेखांकन नीति के अनुसार कम्पनी उपदान, अवकाश वेतन, छु. या. रि., सेवानिवृत्ति पश्चात बैगेज भत्ता तथा उत्तर सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना को एक्चूरियल मूल्यन आधार पर उपलब्ध कराती है तथा उसे निम्नांकित रूप से छु.या.रि./बैगेज भत्ता/वेतन बकाया हेतु प्रावधान लाभ एवं हानि लेखा नामे में डाला गया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011 को आदि देयता	वर्ष के दौरान सृजित/ समायोजित	31.03.2012 को अंत देयता
उपदान देयता	24.42	1.74	26.16
अर्जित छुट्टी	11.10	1.42	12.52
अर्ध वेतन छुट्टी	6.07	(1.07)	5.00
उत्तर सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना	2.73*	0.37	3.10
छुट्टी यात्रा रियायत	1.10	0.05	1.15
सेवानिवृत्ति पर बैगेज भत्ता	0.11	0.01	0.12

* बीमा कंपनी को भुगतान किया गया ₹0.05 करोड़ का यथानुपात किस्त का समायोजन।

वर्तमान दायित्व का मूल्यन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड का उपयोग करके एक्चूरियल मूल्यन आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सेवावधि में कर्मचारियों के ग्राह्य लाभ में अतिरिक्त वृद्धि होगी तथा निर्णायक दायित्व को तैयार करने हेतु प्रत्येक यूनिट की अलग से गणना की जाती है। निम्नांकित तालिका में कर्मचारियों के विभिन्न लाभों के घटक को संक्षेप में दिया गया है तथा शुद्ध लाभ व्ययों के घटकों को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है :-

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2012 को अवकाश नकदीकरण (अ.छु. एवं अवेछु) (अनिधिबद्ध)	31.03.2012 को बैगेज भत्ता/छुयारि/ पीआरएमबीएस (अनिधिबद्ध)	31.03.2012 उपदान (निधिबद्ध)
क)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**			
i	अवधि के प्रारंभ में (01.04.2011) दायित्व का वर्तमान मूल्य	17.17	3.94	24.42
ii	ब्याज लागत	1.37	0.32	1.96
iii	पूर्व सेवा लागत	–	–	–
iv	चालू सेवा लागत	1.32	0.70	1.55
v	उपह्रास/निपटान लागत	–	–	–
vi	भुगतान किया गया लाभ	(1.77)	(0.48)	(1.15)
vii	दायित्व/बाध्यता पर ऐक्चूरियल (अभिलाभ/हानि) (संतुलित अंक)	(0.57)	(0.11)	(0.62)
viii	अवधि के समाप्ति पर (31.03.2012) दायित्व/बाध्यता का वर्तमान मूल्य	17.52	4.37	26.16
ख)	**प्लेन परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**			
i	अवधि के प्रारम्भ में (01.04.2011) प्लेन परिसम्पत्तियों की उचित मूल्य	–	–	27.48
ii	नियोजित परिसम्पत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	–	–	2.15
iii	अंशदान	–	–	(1.15)
iv	भुगतान किया गया लाभ	–	–	0.23
v	दायित्व/बाध्यता पर ऐक्चूरियल अभिलाभ/(हानि)	–	–	28.71
vi	अवधि के समाप्ति पर (31.03.2012) नियोजित परिसम्पत्तियों की उचित मूल्य	–	–	26.16
ग)	**तुलन-पत्र में अभिज्ञान हेतु राशि**			
i	अवधि के प्रारंभ में (31.03.2012) में दायित्व/बाध्यता का वर्तमान मूल्य	17.52	4.37	28.71
ii	अवधि के समाप्ति पर नियोजित परसम्पत्तियों की उचित मूल्य	–	–	26.42
iii	तुलन-पत्र में अभिज्ञान किए गए शुद्ध परिसम्पत्तियां/दायित्व	(17.52)	(4.37)	(2.55)
घ)	**लाभ एवं हानि लेखा विवरण में अभिज्ञात किया गया व्यय**			
i	वर्तमान सेवा लागत	1.32	0.70	1.55
ii	पूर्व सेवा लागत	–	–	–
iii	ब्याज लागत	1.37	0.32	1.96
iv	नियोजित परिसम्पत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	–	–	(2.15)
v	अपह्रास/निपटान लागत	–	–	–
vi	अवधि में अभिज्ञात शुद्ध ऐक्चूरियल अभिलाभ/(हानि)	(0.57)	(0.11)	(0.85)
vii	भुगतान किया गया लाभ सहित लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञात व्यय	2.12	0.91	0.51

* देयताओ से आस्तियों के अधिक मूल्य, उपेक्षित

कर्मचारी लाभों का निर्धारण करने में उपयोग की गई मूल धारणा निम्नवत है :-

विवरण	समस्त कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण (अ.छु. एवं अ.वे.छु) (अनिधिबद्ध)	समस्त कर्मचारियों के लिए बैगेज भत्ता/ छुयारि/पीआरएमबीएस (अनिधिबद्ध)	उपदान (निधिबद्ध)	
छूट दर	8.00 %	8.00 %	8.00 %	5 वेस्टिंग अवधि वर्ष की सेवा लाभ उपदान अधिनियम 1972 के भुगतान प्रावधानों के अनुसार तथा" वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान वर्तमान सीमा ₹3.50 लाख को बढ़ाकर ₹10.00 लाख कर दी गई है।
नियोजित परिसम्पत्तियों पर संभावित दर	0.00 %	0.00 %	7.81 %	
भविष्य में लागत वृद्धि	–			–
वेतन एस्केलेशन दर	6.00 %	6.00 %	6.00 %	उपदान काआहरण की गई अंतिम परिकलन हेतु मूल वेतन तथा मंहगाई वेतन भत्ता
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	
एट्रिशन दर				
आयु (वर्ष)				
30 वर्ष तक	3.00 %	3.00 %	3.00 %	
44 वर्ष तक	2.00 %	2.00 %	3.00 %	
44 वर्ष से अधिक	1.00 %	1.00 %	1.00 %	

XIII) बीमा दावे

क) दिनांक 16.12.2012 को चंडीगड़ में वीटी-एस ओ के दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी बीमा दावे को न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2012 को कॉन्स्ट्रक्टिव टोटल लॉस (सीटीएल) माना है। हेलीकॉप्टर का कबाड़ मूल्य 3.30 करोड़ रुपए और पोत बीमा नीति के निबधनों तथा शर्तो के अनुसार कटौती युक्त 0.70 करोड़ राशि के कटौति के पश्चात बीमा कंपनी से वसूली जाने वाली राशि 13.00 करोड़ रुपए हैं।

तदनुसार वित्त वर्ष 2011-12 के लेखा बही में शुद्ध वसूली की जाने वाली राशि 13.00 करोड़ रुपए का लेखांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त हेलीकॉप्टर का कबाड़ मूल्य 3.30 करोड़ रुपए, जिसमें 2 अदद एरियल 2सी इंजन और रोटेबल सम्मिलित हैं, को वित्त वर्ष 2011-12 में लेखांकित किया गया है। एरियल 2सी इंजन और रोटेबल बैंच चेक, मरम्मत तथा ओवरहॉल आदि के अधीन है। बीमा कंपनी से कबाड़ के रुप में प्राप्त रोटेबल पूजीगत मदें होने के कारण प्रारम्भ में "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" शीर्ष के अतर्गत दर्ज किया गया है। इन रोटेबलों को व्यवहार्य बनाने हेतु लगे मरम्मत/ ओवरहॉल प्रभार 1.10 करोड़ रुपए को (पूर्व वर्षो के मरम्मत/ अनुरक्षण नामे 0.98 करोड़ रुपए सहित) कंपनी द्वारा अनुसरण/ अपनाई जा रही सामान्यत: मान्य पद्धति के अनुसार पूंजीकरण किया गया है।

ख अरुणाचल प्रदेश के तंवाग में लैंडिग करते समय दिनांक 19.04.2011 को एक एम आई-172 हेलीकॉप्टर, पंजीयन संख्या वीटी-पीएचएफ का घातक क्रैश हुआ था, जिसमें 16 यात्रियों और 3 क्रू सदस्यों की मृत्यु हुई थी और 2 यात्रियों एवं 2 क्रू सदस्यों को शारीरिक चोट लगा था। कंपनी ने बीमा कंपनी के पास आवश्यक दावा प्रस्तुत किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कटौती युक्त राशि 0.70 करोड़ रुपए की समायोजन के पश्चात क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का बीमाकृत राशि 14 करोड़ रुपए का निपटान/वसूली और लेखा बही में लेखांकन किया गया है। यात्रियों के मृत्यु दावा बीमा कंपनी के मूल्यांकनाधीन है। तथापि, कंपनी ने पीड़ितों के परिवारों को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के विपरीत बीमा कंपनी की ओर से स्वीकार्य देय हेतु प्रति यात्री बैगेज हेतु 20,000 रुपए सहित 7.70 रुपए का भुगतान किया है।

ग) दिनांक 30.04.2011को अरुणचल प्रदेश के लबोयांग के निकट एक इक्यूरील एएस 350 बी3 हेलीकॉप्टर, पंजीयन संख्या वीटी-पीचटी का घातक क्रैश हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश समेत 3 यात्री और 2 क्रू सदस्य की मृत्यु हुई थी। कंपनी ने बीमा कंपनी के पास आवश्यक दावा प्रस्तुत किया है। कटौती युक्त 0.40 करोड़ रुपए सहित हेलीकॉप्टर का पोत बीमा 12.50 करोड़ रुपए का निपटान किया गया है। एक क्रू सदस्य और 3 यात्रियों के मृत्यु दावा बीमा कंपनी के मूल्यांकनाधीन है, तथापि कंपनी ने बीमा कंपनी की ओर से मृतकों के कानूनी वारिस को एक लाख रुपए (प्रत्येक) का अंतरिम भुगतान किया है।

XIV) आयकर

चूँकि अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अधीन कर देयताएं शून्य हैं, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जेबी के अन्तर्गत लाभ खाते में वर्तमान एमएटी (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के अनुसार ₹ 4.50 करोड़ (गत वर्ष ₹ 9.96 करोड़) का कर प्रावधान बनाया गया है। तथापि, आयकर अधिनियम के अनुसार एमएटी का लाभ का समायोजन परवर्ती अवधि के लिए सामान्य कर देयता में किया जाएगा।

XV) व्यय में निम्नांकित सम्मिलित है :-

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
क) कम्पनी-स्टॉफ क्वार्टर		
i) कर	0.33	0.33
ii) मरम्मत – भवन/अन्य	0.72	0.90
ख) पट्टे पर आवासीय सुविधा		
i) किराया (शुद्ध वसूली)	0.05	0.14
ii) अनुरक्षण प्रभार	-	-

XVI) लागत पर इक्विटि शेयर में निवेश (गैर-सूचीबद्ध)

कंपनी 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, गोंदिया, महाराष्ट्र में इक्विटि अंशदान के लिए ₹ 2,89,33,530/- निवेश किया है (गैर-सूचीबद्ध) तथा वर्ष के दौरान कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है।

XVII) हेलीपोर्ट परियोजना

कंपनी को नागर विमानन मंत्रालय (नाविमं) के लिए ₹64.00 करोड़ की प्राक्कलित लागत से रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए सरकार ने अनुमोदन दे दिया है, जिसका निधियन निम्न प्रकार से होगा :-

(i) भूमि लागत हेतु सरकार द्वारा सहायता अनुदान ₹ 19.00 करोड़।

(ii) सरकार द्वारा आधारिक संरचना के विकास हेतु कुल ₹ 45.00 करोड़ का 80% यथा ₹ 36.00 करोड़ तथा शेष ₹9.00 करोड़ अर्थात 20% कंपनी के आंतरिक संसाधनों से व्यय किया जाएगा।

तनदुसार कंपनी को हेलीपोर्ट की परियोजना लागत के रूप में सरकार का इक्विटि अंशदान ₹ 36.00 करोड़ मार्च, 2011 तक प्राप्त हुआ है। लंबित आबंटन के कारण इस राशि को इक्विटि को अग्रिम रूप में माना गया है।

वर्ष 2009-10 में कंपनी ने नागर विमानन मंत्रालय की ओर से रोहिणी, नई दिल्ली की 25 एकड़ भूमि का मूल्य ₹ 19.07 करोड़ डीडीए के पास जमा किया है तथा भूमि का कब्जा ले लिया है। यद्यपि, भूमि का मालिकाना नागर विमानन मंत्रालय के नाम पर होगा। जमा की गई ₹ 19 करोड़ राशि दिनांक 31.3.2011 के पश्चात नागर विमानन मंत्रालय से वसूल लिया गया है शेष राशि 0.07 करोड़ प्रगति पर पूंजीगत कार्य में अंतरण किया गया है। तथा नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 29.03.2011 के अनुदेश के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय के परियोजना की अनुमति प्राप्त होने तक आवधिक जमा के लिए उद्दिष्ट किया है। कंपनी को पर्यावरण मंत्रालय से 31.10.2011 को पर्यावरण अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

एपीएमसी की नियुक्ति दिनांक 04.11.2011 को जारी की गई। भारत सरकार द्वारा रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट के निर्माण हेतु अनुमोदित प्रारम्भिक प्राक्कलन ₹ 64 करोड़ रुपए (₹ 19.07 करोड़ भूमि लागत सहित) के विपरीत निदेशक मंडल ने दिनांक 19.06.2012 को आयोजित 133वी बैठक में मास्टर योजना और 73.22 करोड़ रुपए अनुमोदित किया है। भवन परियोजना को अनुमोदन हेतु एमसीडी को प्रस्तुत किया गया है, विस्तृत विनिर्देश और निर्माण ऐजेन्सी हेतु निविदा दस्तावेज का मसौदा प्रक्रियाधीन है। परियोजना का अभिकल्पन एवं योजना तैयार करने हेतु अगस्त, 2012 में मेसर्स इजीस इंडिया को ₹ 0.34 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया है। विभिन्न सरकारी एजेन्सियों और निर्माण ऐजेन्सी को ईपीसी निविदा प्रदान करने के पश्चात निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

कंपनी ने हेलीपैड, सीमा दीवार, भूमि का विकास आदि जैसे-पूंजीगत कार्य प्रगति पर हेतु वर्षान्त में 2.48 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2.30 करोड़ रुपए) व्यय किया है।

XVIII) हडस्पर,पुणे में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी सह हेलीपोर्ट

कंपनी को पुणे स्थित वर्तमान ग्लाईडिंग सेंटर में एक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी सह हेलीपोर्ट स्थापना करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, जो डीजीसीए के नियंत्रण एवं स्वामित्व में हैं। विस्तृत परियोजना

रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। डीजीसीए ने इस उद्देश्य हेतु इस परियोजना को निधियन के लिए अनुमोदनानुसार जीबीएस के रूप में ₹ 10 करोड़ दिया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 10 करोड़ अग्रिम के विपरीत व्यय/समायोजन किया है:-

अप्रैल, 2010 में डीजीसीए से प्राप्त अग्रिम	-	₹ 10.00 करोड
31.03.2012 तक कुल प्रोदभूत ब्याज व आय	-	₹ 1.35 करोड़
31.03.2012 तक कुल निधि	-	₹ 11.35 करोड़
एनबीसीसी को सितम्बर,2011 में करार हस्ताक्षर करते समय परियोजना लागत का 20% अग्रिम भुगतान	-	₹ 2.08 करोड
31 मार्च 2012 तक परियोजना लागत पर पवन हंस द्वारा खर्च की गई राशि	-	₹ 0.11 करोड
31.03.2012 तक कुल अग्रिम/व्यय	-	₹ 2.19 करोड
बैंक खातों में दिनांक 31.03.2012 को परियोजना लागत हेतु उपलब्ध शेष :		
चालू खाता में शेष	-	₹ 0.12 करोड
विजया बैंक में एफडीआर	-	₹ 8.50 करोड
वित्तवर्ष 2011-12 में प्रोदभूत ब्याज	-	₹ 0.55 करोड
		₹ 9.17 करोड

XIX) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिनांक 09.04.2010 के पत्रांक 15 (3)/2007-डीपीई (जीएम) के माध्यम से जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वित्त वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में कर पश्चात लाभ (पीएटी) पर 3% दर से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का प्रावधान बनाया है:-

वित्त वर्ष	कर पश्चात लाभ	सीएसआर प्रावधान
2009-10	₹ 35.59 करोड़	₹ 1.07 करोड़
2010-11	₹ 18.51 करोड़	₹ 0.56 करोड़
	योग	₹ 1.63 करोड़

कुल प्रावधान 1.63 करोड़ रुपए में से कंपनी ने कुल 0.24 करोड़ रुपए यथा वित्त वर्ष 2010-11 में रू 0.03 करोड़ और वित्त वर्ष 2011-12 में रू 0.21 करोड़ की राशि व्यय की है तथा शेष रू 1.39 करोड़ की राशि अनुवर्ती अवधि में उपयोग हेतु अग्रेनीत किया है।

XX) तुलन-पत्र की तिथि तक कंपनी के ऊपर किसी भी लघु उद्योग का 30 दिन से अधिक बकाया नहीं है।

XXI) लेखांकन नीति में 'फ्यूल लेखांकन' के संबंध में किए गए परिवर्तन को ध्यान में रखकर वर्षान्त में एयरक्राफ्ट मूल्यांकित किया गया है। तदनुसार एटीएफ का क्योजिंग स्टॉक 0.14 करोड़ रुपए मूल्यांकित किया गया है (गत वर्ष शून्य रुपए)। चूंकि क्लोजिंग नहीं था गत वर्ष के संगत आंकड़े उपलब्ध नहीं है चूंकि हेलीकॉप्टर और फ्यूल टैंकों में एटीएफ के लीटरेज के रिकार्डो को उस समय नहीं रखा जाता था।

XXII) मूल्यह्रास के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन को ध्यान में रखकर नष्ट हेलीकॉप्टरों केअर्जन में मूल्यहास को यथानुपात आधार पर डीजीसीए के उड़नयोग्यता अधिकारी द्वारा उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी माना गया है। अब समीक्षाधीन वर्ष में प्रतिवर्तित किया गया है। पूर्वावधि आय 0.03 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई है।

XXIII) "आय पर कर लेखांकन" को लेखांकन मानक (एएस 22) के प्रावधानों के सम रेखन में कंपनी ने 31.03.2012 को वित्त वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2010-11 के संबंध में संचयी कर योग्य हानि 37.22 करोड़ रुपए पूर्ण निर्धारण किया है । वित्त वर्ष 2011-12 तक कुल अनवशोषित मूल्यहास 145.03 करोड़ रुपए तक संचयी कर योग्य हानि को आस्थगित कर परिसम्पत्तियों के लिए ली गई उधार के रुप में अभिज्ञात किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 250/143(3) के अधीन आयकर विभाग द्वारा ए.वाई. 2009-10 तक अनवशोषित मूल्यहास समावेष्टित कर योग्य हानियों का निर्धारण किया है।

मितव्ययी उपाय के रुप में, कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 तक 46.93 करोड़ रुपए की आस्थगित कर देयता का रिवरसेल पर विचार करते हुए वर्ष 2010-11 तक 37.22 करोड़ रुपए तक का अनवशोषित मूल्यहास को अस्थगित कर परिसम्पत्ति माना है। तदनुसार वित्त वर्ष 2011-12 से संबंधित अनवशोषित मूल्यहास शेष 107.81 करोड़ रुपए (टैक्स ऑन टाइमिंग अन्तर 34.98 करोड़ रुपए) की अनुवर्ती अवधि में समीक्षा की जाएगी।

XXIV) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कम्पनी हेलीकॉप्टर सेवाएँ उपलब्ध कराने का कारोबार कर रही हैं, जिसे एक कारोबार सेगमेंट के रूप में माना जाता है। अत: सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक-17 के अनुसार कम्पनी पर सेगमेंट रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

XXV) बैंक के अधीन लिएन 57.59 करोड़ रुपए (गत वर्ष 45.60 करोड़ रुपए) सावधि जमा में सम्मिलित है।

XXVI) प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2011 को आदि शेष	वर्ष के दौरान सृजित	वर्ष के दौरान उपयोग समायोजन/अन्तरण/परावर्तन	31.03.2011 को अंत शेष
इन्वेन्ट्री सहित क्षतिग्रस्त आस्ति	16.01	-	0.01	16.00
1/1/2007 से पेंशन सहित वेतन एवं भत्तों के परिशोधन हेतु प्रावधान	32.37	34.30	28.90	37.77
सन्देहास्पद ऋण/अग्रिम	10.83	1.63	0.10	12.35
खपत न होने वाली इन्वेन्ट्री आदि	13.38	1.35	0.77	13.96

XXVII) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

लेखांकन मानक-18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

(रिलेटेड पार्टी डिसक्लोजर) के अनुसार आई.सी.ए. आई. द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण निम्नवत है:

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) श्री अनिल श्रीवास्तव, आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 23.03.2012 (अपराहन से) अब तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं।

ii) श्री आर. के. त्यागी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 29.02.2012 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे।

ख) लेन-देन

i)	श्री अनिल श्रीवास्तव, आई ए एस	-	*पारिश्रमिक	-₹ शून्य
ii)	श्री आर. के. त्यागी,	-	*पारिश्रमिक	-₹ 21,69,344/-

ग) **ओएनजीसी लि.- ईक्विटी अंशधारण** -49% -₹ 120.35 करोड़

लेन-देन	**वित्त वर्ष 2011-12 (₹ करोड में)**	**वित्त वर्ष 2010-11 (₹ करोड में)**
हेलीकॉप्टरों का चार्टर हायर (शुद्ध)	203.05	168.84
31 मार्च को बकाया (नामे)	39.05	39.21
प्रतिभूत ऋण (प्राप्त)	76.75	184.26
चुकाया गया ऋण (मूलधन राशि)	23.41	9.84
चुकाया गया ऋण (ब्याज)	14.40	5.52
31 मार्च के प्रोदभूत ब्याज	1.28	0.65
31 मार्च को बकाया ऋण (मूलधन राशि)	131.91	78.57
बकाया ऋण (ब्याज)	1.28	0.65
वर्ष के दौरान प्रतिभूत ऋण से इक्विटी में परिवर्तित राशि	-	95.85

XXVIII) प्रति शेयर आय की निम्नानुसार संगणना की गई है:

	31 मार्च, 2012	(₹ में) 31 मार्च, 2011
कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	10,35,11,845	18,50,60,378
बकाया इक्विटी शेयर की औसत की संख्या	2,45,616	2,45,616
औसत प्रति शेयर आय (मूल तथा डाईलूटेड)	(421)	1421
₹ 10,000/- प्रति शेयर अंकित मूल्य		

XXIX) अतिरिक्त सूचनाएं

क) प्रारम्भिक और अंतिम स्टाक (वित्तीय बट्टे खाते डालने के बाद

		31 मार्च, 2012	(₹ में) 31 मार्च, 2011
i)	भंडार, पूर्जे तथा उपभोज्य मदें (शुद्ध)	85,95,63,548	72,06,16,274
ii)	जेम मॉड्यूल	54,15,882	54,15,882
iii)	परीक्षण औजार/ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर	9,69,606	68,60,180
iv)	मार्गस्थ माल शुद्ध	1,13,38,747	97,22,330
v)	निरीक्षण के अधीन स्टॉक	2,20,28,422	2,57,62,043
vi)	एटीएफ	13,81,542	
vii)	**योग**	**85,95,63,547**	**76,83,76,709**

ख) सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातित सामग्री:

		31 मार्च, 2012	(₹ में) 31 मार्च, 2011
i)	हेलीकॉप्टर एवं उपकरण	2,51,86,39,379	2,69,58,59,174
ii)	भंडार, पुर्जे व उपभोज्य मदें	34,94,26,670	23,37,28,002
iii)	एयरफ्रेम एवं एयरो इंजन उपस्कर रोटेबल्स	23,75,12,333	16,32,50,779
iv)	परीक्षण औजार/ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर/खुले औजार	1,36,55,291	1,02,71,861
v)	मार्गस्थ माल/निरीक्षणाधीन माल	6,30,09,657	4,19,04,092
vi)	पूंजी सामान/अन्य मदें	29,07,694	43,54,474
	योग	**3,18,51,51,024**	**3,14,93,68,382**

ग) वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई विदेशी मुद्रा:

(₹ में)

		31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
i)	हेलीकॉप्टर एवं उपकरण	2,51,86,39,379	2,69,58,59,174
ii)	भंडार, पुर्जे व उपभोज्य मदें	34,50,46,911	22,83,00,105
iii)	एयरफ्रेम एवं एयरो इंजन उपस्कर रोटेबल्स	23,58,86,951	16,07,06,423
iv)	परीक्षण औजार/ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर/ खुले औजार	1,35,65,644	1,01,66,612
v)	विदेश यात्रा/ विदेश प्रशिक्षण	2,63,35,027	2,94,04,361
vi)	मार्गस्थ माल/ निरीक्षणाधीन माल	6,24,06,831	4,16,18,472
vii)	मरम्मत प्रभार	68,56,66,010	61,52,67,103
viii)	पूंजी सामान/अन्य मदें	27,67,565	38,96,898
	योग	**3,89,03,14,315**	**3,78,44,84,753**

घ) आयातित और स्वदेशी कलपुर्जों व अतिरिक्त पुर्जो (खुले औजारों के बट्टे खाते को मिलाकर और पूंजीगत मदों को छोड़कर) की खपत का मूल्य:

	मूल्य (₹ में)		**प्रतिशत**	
	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
आयातित	38,99,01,749	35,16,79,075	96.5%	96.7%
स्वदेशी	1,40,19,374	1,21,09,977	3.5%	3.3%
योग	**40,39,21,123**	**36,37,89,052**	**100.00%**	**100.00%**

ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में आय:

(₹ में)

	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
हेलीकॉप्टर सेवाएं	1,58,16,49,706	1,23,76,18,937
	1,58,16,49,706	1,23,76,18,937

च) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक:

(₹ में)

		31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2011
i)	वेतन	14,35,059	14,08,920
ii)	भत्ते तथा परिलब्धियां	5,65,387	7,25,322
iii)	भविष्य निधि/ग्रेच्युटी	1,68,898	1,78,760
		21,69,344	23,13,002

XXX) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 30/03/2011 के अधिसूचना संख्या एफ सं. 02.06.2008–सी एल वी के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु पुनरीक्षित अनुसूची VI 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी है। इससे वित्तीय विवरण में प्रकटन और प्रस्तुति में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। पुनरीक्षित अनुसूची VI के अनुसार जहाँ पर आवश्यक हुआ है वहाँ गत वर्ष की आंकड़ों को चालू वर्ष से संगत करने हेतु पुर्नसमूहित/पुर्नवर्गीकृत किया गया है।

अनिल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं निदेशक

एस.मछेन्द्रनाथन
निदेशक

संजीव बहल
कार्यपालक निदेशक

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)

धीरेन्द्र सहाय
महाप्रबंधक(वि.व.ले)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 सितम्बर, 2012

31 मार्च, 2011 का समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2011	
क) प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त कैश फ्लो				
कर पूर्व शुद्ध लाभ		2,243.14		4,942.84
के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास प्रभार	6,035.48		4,653.03	
ब्याज आय	(928.09)		(649.01)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि	0.75		5.09	
अचल इंवेन्ट्री हेतु प्रावधान	135.03		311.61	
इंवेन्ट्री रिटेन ऑफ	37.39		45.07	
रिटेन ऑफ-अचल परिसंपत्तियों	176.43		135.33	
संदेहास्पद नामे / अग्रिमों हेतु प्रावधान	162.75		98.78	
बीमा दावा	(2,133.92)		(184.82)	
अनापेक्षित प्रावधान	(355.26)		(135.00)	
स्व बीमा हेतु रिटेन ऑफ का प्रावधान	0.00		(40.00)	
पूर्वावधि मदें	456.10		118.72	
रिटेन ऑफ प्रकीर्ण व्यय	53.87		53.87	
		3,640.53		4,412.67
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		5,883.67		9,355.51
के लिए समायोजन :				
कारोबार प्राप्य	1,584.63		(7,126.06)	
ऋण व अग्रिम	2,912.42		3,086.01	
इंवेन्ट्री	(1,084.29)		(913.35)	
कारोबार शोध्य, अन्य देयताएँ	(773.87)		3,365.19	
प्रावधान	1,308.85		1,343.21	
पूर्वावधि मदें	(456.10)		(118.72)	
बीमा दावा	2,133.92		184.82	
प्रचलन से उत्पन्न कैश		5,625.56		(178.90)
आयकर भुगतान		1,069.46		1,108.28
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो		10,439.77		8,068.33
ख) निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(28,284.92)		(30,981.43)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	0.06		-	
पूजीगत कार्य प्रगति पर	593.18		1,208.16	
प्राप्त ब्याज	928.09		649.01	
निवेश गतिविधियों में उपयोग शुद्ध कैश फ्लो		(26,763.59)		(29,124.26)
ग) वित्तीयन गतिविधियों से कैश फ्लो				
शेयर पूंजी जारी से अथगिम	-		13,185.00	
इक्विटी के लिए अग्रिम, लम्बित आबंटन	-		(1,500.00)	
दीर्घावधि उधार से अथगिम	21,090.22		8,905.60	
दीर्घावधि उधार का पुर्नभुगतान	(2,340.85)		(983.47)	
वित्तीय गतिविधियों उपयो शुद्ध कैश		18,749.37		19,607.13
कैश तथा तत्सामन कैश में शुद्ध वृद्धि		2,425.55		(1,448.80)
आरम्भ में कैश तथा तत्समान कैश (लिएन के अंतर्गत ₹ 45.60 करोड़ सहित		11,135.39		12,584.19
अंत में कैश तथा तत्सतान कैश (लिएन के अंतर्गत ₹ 57.59 करोड़ सहित)		13,560.94		11,135.39

नोट : ब्रैकेट में दिए गए अंक कैश आऊट गो हैं।

कृते एस. चतुर्वेदी एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

अनिल श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं निदेशक

एस.मछेन्द्रनाथन
निदेशक

फर्म रजि. न. 004550 एन
पुनीत सचदेव
पार्टनर
(एम.सं.-097897)

संजीव बहल
कार्यपालक निदेशक

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)

धीरेन्द्र सहाय
महाप्रबंधक(वि.व.ले)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 सितम्बर, 2012

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण
पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड

1. हमने पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2012 के संलग्न तुलन-पत्र तथा उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ एवं हानि लेखा की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें शाखा लेखापरीक्षक द्वारा परीक्षित पश्चिम क्षेत्र का लेखा शामिल है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी का प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है। इन विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।

2. हमने भारत में सामान्य रूप से प्रचलित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और इसे निष्पादित करें कि सभी वस्तुगत मामलों से संबंधित वित्तीय विवरण चिन्हित वित्तीय प्रतिवेदन में दिए गए विवरणों में से नमूने के तौर पर राशियों तथा कथनों की साक्ष्य के आधार पर सत्य की परीक्षा की जाए। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धान्त तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन करना तथा समस्त वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के उप अनुबंध 4क के अनुसार कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) द्वारा जारीकृत आदेश, 2003 यथा संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षण रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 (आदेश के साथ) द्वारा यथा अपेक्षित और कंपनी की बहियों और अभिलेख की ऐसी जाँच के आधार पर जिसे हम उपयुक्त समझते है तथा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

प्रबंधतंत्र के उत्तर

के आधार पर हम अनुलग्नक में उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 व 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।

4. **हम ध्यान आकृष्ट करते है:**

i) *कंपनी ने दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय अवधि तक अनावशोषित मूल्यह्रास के लिए आस्थगित कर देयता की पहचान की है यथा उधृत नोट संख्या 27 बिन्दु के क्रमांक XXIII जबकि अन्य मदों के लिए आस्थगित कर देयता और अस्तियाँ नोट संख्या 4 में प्रदर्शित हैं की पहचान दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वित्तीय अवधि तक के लिए की गई है। दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अनावशोषित मूल्य ह्रास के रूप में आस्थगित कर आस्तियों की पहचान न होने की राशि ₹ 34,97,90,618/- की अपेक्षा लेखा मानक - मानक-22 आय पर कर के लिए लेखा के परिणामस्वरूप आस्थगित कर देयता में बढ़ोतरी के कारण ₹ 34,97,90,618/- की राशि होगी और वर्ष के लिए लाभ में कमी और उस सीमा तक लाभ व हानि लेखा में अधिमानित शेष होगी।*

इसे वित्तीय विवरण के अतिरिक्त टिप्पणियों की नोट. सं XXIII में स्पष्ट किया गया है।

इस संबंध में आगे यह स्पष्ट करना है। कि अनावशोषित मूल्यह्रास और अग्रेनीत की गई हानियाँ, जो कि भविष्य के कर युक्त आय में सेट ऑफ किया जा सकता है को भी समयान्तर और परिणामी आस्थगित कर परिसंपत्तियों के रूप में माना गया है, बशर्ते की प्रूडेन्स माना गया हो। तदनुसार, आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी जा सकती है यदि वहाँ "ठोस सबूतों के साथ निश्चित आभास" हो कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय अनुमानित किए जा सकने वाले आस्थिगित कर आस्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होगा। वित्तीय प्रदर्शन और ओएनजीसी, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, लक्ष्यद्वीप प्रशासन एनटीपीसी और हिमाचल प्रदेश जैसे लंबी अवधि के ग्राहकों के साथ हेलीकॉप्टरों के पक्के चार्टर अनुबंध की उपलब्धता के आधार पर 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लाभ के अनुमानों के आकलन के पिछले रिकार्ड की जाँच के आधार पर भविष्य में कर योग्य लाभ के सृजन का निर्धारण किया गया है। तदनुसार इस वित्तीय वर्ष 2013-14 और उसके बाद से शुरु होकर वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरु कर योग्य आय की स्थिति पैदा होगी। दूसरी तरफ कंपनी ने समय (वित्तीय वर्ष) जानने के लिए बैलेंस शीट की तिथि से किस समय तक आस्थगित कर देयता (कंपनी अधिनियम और आय कर अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास दर में अंतर के कारण विगत वर्षों में सृजित) की उत्क्रमण प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तदनुसार यदि अन्य बातें बराबर रहती है उत्क्रमण प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2014-15 और उसके बाद से शुरू किया जाएगा और 2017-18 तक (12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष) आस्थगित कर देयता के उत्क्रमण से भविष्य में कर योग्य आय कुल लगभग ₹ 58 करोड़ की सीमा तक सृजित होगी। उपयुक्त को देखते हुए और आस्तियों की

पहचान में प्रचलित दृष्टिकोण के नतीजे को मानते हुए कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सम्मिलित कुल ₹ 146.15 करोड़ की कर योग्य हानि में से वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2010-11 से संबंधित ₹ 37.22 करोड़ मात्र की सीमा तक की आस्तियों को कर योग्य हानि मानने पर विचार किया है। 2011-12 से संबंधित कर योग्य हानि की राशि ₹ 108.93 करोड् का आंकलन और समीक्षा अगली बैलेंस डेट जो पूरी तरह एस एस -22 के अनुसार होगी आस्थगित कर आस्तियों की पहचान के लिए की जाएगी।

₹ 26.39 करोड़ से जुड़ी अन्य आस्थगित कर आस्तियों के मामले में जिसमें सम्मिलित है विभिन्न प्रावधान यथा कर्मचारी हित लाभ, धीमी गति से चलने वाली, अचल इंवेंट्रियां, एएआई को अतिरिक्त किराया, संदिध ऋण और अग्रिम और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी जिन्हें विनीय वर्ष 2011-12 तक के लिए विचार किया गया है जो इस तथ्य पर आधारित है कि इन आस्तियों का विवेकपूर्ण ढ़ंग से आगामी वित्तीय वर्षों में भुगतान प्रत्यावर्तन किया जाएगा।

यद्यपि एएस-22 की अपेक्षानुसार प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर आस्थगित कर आस्तियों की आगे ले गई राशि की समीक्षा की जाती है।

ii) *नोट संख्या 27 का बिन्दु क्रमांक XXI, ''वित्तीय लेखों पर अतिरिक्त नोट, ईंधन लेखा विधि के संबंध में लेखा नीति में परिवर्तन को देखते हुए एयर क्राफट बैरेल बॉउजर में एटीएफ के अंतिम स्टॉक की गणना वर्षांत पर की गई है। तदनुसार एटीएफ का अंतिम स्टॉक ₹ 13,81,542/- मापा गया है। पिछले वर्ष क्लोजिंग एटीएफ लिटरेज और फ्यूल टैंक रिकार्ड उस समय अनुरक्षित नहीं किए जाते थे। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ में ₹ 13,81,542/- की वृद्धि हुई है।*

इसे महत्वपूर्ण लेखा नीति की टिप्पणी सं. X में और वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियों की टिप्पणी सं XXI में स्पष्ट किया गया है।

iii) *नोट संख्या 27 का बिन्दु क्रमांक XXII, ''वित्तीय लेखों में अतिरिक्त नोट,'' नए हेलीकॉप्टरों के अर्जन*

इसे महत्वपूर्ण लेखा नीति की टिप्पणी संख्या I (ज) और वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियों की

पर ह्रास के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन को सामानुपातिक आधार पर डीजीसीए के एयरवर्दी ऑफिसर से एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट को हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रभावी बनाया गया है न कि एयरवर्दीनेस प्रमाण पत्र को जारी किए जाने की तिथि से। गत वर्ष प्रभारित अतिरिक्त ह्रास को समीक्षाधीन वर्ष में अब प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। ₹ 3,75,229 की राशि को पूर्वविधि आय के रूप में जमा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ में ₹ 3,75,229/- की बढ़ोतरी हुई है।

टिप्पणी सख्या XII में स्पष्ट किया गया है।

5. इसके अतिरिक्त हम ध्यान आकृष्ट करते है

i) नोट संख्या 27 के बिन्दु क्रमांक IX और XI वित्तीय लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणी ' व्यापार प्राप्य राशियों, दिए गए दीर्घाविधि और अल्पावधि के ऋणों और अग्रिमों, अन्य गैर प्रचलित आस्तियों, अन्य प्रचलित आस्तियों, दीर्घाविधि की अन्य देयताओं, व्यापार देय लाभकर और अन्य प्रचलित देयताओं ऐसे खातों के मिलान के जमाराशि पुष्टीकरण के समाधान और अनुपलब्धता के अंतगति इंडियन ऑयल के बकाए के संबंध में । उपरोक्त के संबंध में समायोजनों/प्रावधानों, यदि कोई हों जो इस संबंध में किए जाने अपेक्षित हों और जो वर्ष के लिए लाभ पर परिणामी प्रभाव रखते हों वित्तीय विवरणों में यथा उल्लिखित अधिशेष के अधिमानित शेष और आस्तियों तथा देयताओं के लिए हम कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है।

इसे वार्षिक लेखे की अतिरिक्त टिप्पणियों की टिप्पणी सं. IX एवं XI में स्पष्ट किया है।

ii) नियमित कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों के संशोधन के लिए प्रावधान जिसमें पीएफ पे के 10% की दर से पेंशन योगदान का प्रावधान दिनांक 01-01-2007 से 31-03-2012 तक सम्मिलित है कि राशि ₹ 14.15 करोड़ (गत वर्ष ₹ शून्य) से संबंधित वित्तीय लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणी के नोट संख्या 27 के बिन्दु क्रमांक XII (क)। कथित राशि की गणना कंपनी द्वारा लेखा मानक -15 कर्मचारी हितलाभ में यथा अपेक्षित व कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 में यथा अधिसूचित बीमांकिक आधार के बजाय उपचय आधार पर की गई है। मूल्यनिर्धारण की अनुपलब्धता में हम कंपनी द्वारा किए प्रावधानों की पर्याप्ता और कंपनी के वित्तीय विवरण में इसके प्रभावों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

इसे वित्तीय विवरणकी अतिरिक्त सूचना टिप्पणी संख्या XII में स्पष्ट किया गया है।

iii) वर्ष के दौरान कंपनी ने पश्चिमी क्षेत्र में इंवेंट्री का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है। कंपनी वर्तमान में प्रत्यक्ष सत्यापन से प्राप्त उपलब्ध आंकड़ों की लेखा आंकड़ों से मिलान की प्रक्रियारत है। इस प्रकार की मिलान प्रक्रिया के निलंबित

प्रावधान तदर्थ आधार पर किए गए है इंवेंट्री की कमी बेसी के मामले में संपूर्ण मिलान की लंबित पूर्णता सही समय पर पूरी होनी प्रत्याशित है।

पूर्णता से कंपनी ने इंवेंट्री में संभावित कमी के मद में ₹ 5,00,000/- का तदर्थ प्रावधान किया है। मिलान और अन्य समर्थक दस्तावेजों के अभाव में हम कंपनी द्वारा किए प्रावधानों की पर्याप्ता और कंपनी के वित्तीय विवरण में इसके प्रभावों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

iv) *पश्चिमी क्षेत्र में नियत आस्तियां शीर्ष के अंतर्गत पूंजीगत कार्य प्रक्रियाधीन है जिसमें सम्मिलित है ₹ 19,41,258/- की प्रदत राशि जो लाभ अनुरक्षण केन्द्र (परियोजना) के विकास के लिए प्रभारित है। कथित प्रभार वित्तीय वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के लिए किए गए थे। तदनुसार कंपनी ने इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय कथित परियोजना पर न किया है और ना ही परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में हमें सूचना दी गई है। कथित राशि की स्थिति के बारे में जिसे बहियों में प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य के रुप में अग्रेनित किया गया है संबंधी किसी समर्थक दस्तावेज/ स्पष्टीकरण के अभाव में हम कंपनी के वित्तीय विवरणों में इसके प्रभावों पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।*

अभियांत्रिकी अनुरक्षण केन्द्र परियोजना पर व्यय के रू. 19,41,258 करोड़ के लेखा बंदी व्यय प्रस्ताव को निदेशक मंडलों से अनुमोदन के लिए आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

v) *वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 27 (XXIII) जो संबंधित है विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत किए जाने से। कंपनी ने कंपनी मामलों द्वारा जारी संशोधित अनुसूची VI पर अधिसूचना संख्या एस.ओ. 447 (ई) दिनांक 28.02.2011 (यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ नं. 2/6/2008- सीएल-V दिनांक 30.03.2011) के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आंकड़ों को पुनर्वगीकृत किया है। इन पुनर्वगीकरण के संपूर्ण विवरणों के अभाव में हम विगत वर्षों के पुनर्वर्गीकरण का सत्यापन करने में असमर्थ हैं।*

कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित अनुसूची *VI पर अधिसूचना संख्या एस.ओ. 447 (ई) दिनांक 28.02.2011 (यथा संशोधित) अधिसूचना संख्या एफ नं. 2/6/2008- सीएल-V दिनांक 30.03.2011 वित्तीय वर्ष 2010-11 के आंकड़ो को पुनर्वगीकृत किया गया है।*

vi) वित्तीय आंकड़ों के समेकन में क्षेत्रों के आय व्ययों, देयताओं और आस्तियों के आंकड़ों को पुन: वर्गीकृत पुन: समायोजित किया गया है।

कोई टिप्पणि नही

हम इसके अतिरिक्त रिपोर्ट करते है कि ऊपर अनुच्छेद 5 में उल्लिखित मतों पर बिना विचार किए जिसके प्रभाव

इसे लेखों पर टिप्पणियों के उतर सं. 4 में ऊपर स्पष्ट किया गया है।

का निर्धारण नहीं किया जा सका ऊपर अनुच्छेद 4 में हमारे द्वारा बनाए गए प्रेक्षण थे को वर्ष के लिए लाभ समझे गए होते ₹ 24,45,22,002/- (₹ 10,35,11,845/- के रिपोर्ट लिए गए हानि आंकड़ों विरुद्व), आरक्षितियां व अधिशेष ₹ 2,64,75,36,109/- होते (₹ 229,95,02,262/- के रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के विरुद्व) आस्थगित कर देयता होती ₹ 91,55,01,641/- (₹ 126,52,92,259/- के रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के विरुद्व), नियत आस्तियां होतीं ₹ 934,96,06,896/- (₹ 934,99,82,125/- के रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के विरुद्व) नियत आस्तियाँ होती ₹ 934,96,06,896/- (₹ 934,99,82,125/- के रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के विरुद्व) और इंवैट्री होतीं ₹ 79,35,22,185/- (₹79,49,03,727/- के रिपोर्ट दिए गए आंकड़ों के विरूद्व)

6. उपर्युक्त अनुच्छेद 3,अनुच्छेद 4 और 5 में उल्लिखित उपबंध में अपनी टिप्पणी के आगे हम रिपोर्ट करते हैं:

क) लेखा परीक्षा के उद्देश्यार्थ हमने समस्त आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण अपने संपूर्ण ज्ञान और विश्वास के साथ प्राप्त कर लिए हैं।

ख) हमारे मत में विधि द्वारा यथापेक्षित बहियाँ कम्पनी द्वारा रखी गई हैं जैसा कि इन बहियों की परीक्षा से प्रतीत होता है और उस शाखा से भी समुचित विवरण जो हमारी लेखापरीक्षा हेतु अपेक्षित थे, प्राप्त हो गए हैं। दिनांक 07.09.2012 द्वारा शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और जिसका समुचित आकलन किया गया है

ग) इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन-पत्र तथा लाभ व हानि लेखा कैश फ्लो बहियों तथा शाखा के लेखापरीक्षित विवरणों के साथ मेल खाता है।

घ) इमारे मतानुसार, इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा कैश फ्लो *एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, इंप्लाइज बेनेफिट और बिन्दु संख्या 5 (ii) 4 (i) में रिपोर्ट किए गए क्रमश: एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 और आय पर कर के लिए अकाउंटिंग को छोड़कर* कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में विहित लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

इसका उत्तर ऑडिट रिपोर्ट के अनुच्छेद 4 (i) और 5 (ii) में उपर किया गया है।

ड.) कम्पनी मामले विभाग द्वारा जारीकृत परिपत्र 8/2002 दिनांक 22.3.2002 को ध्यान में रखते हुए हमें प्रदत्त सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार सरकारी कंपनियों में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान लागू किए जाने की छूट है।

वित्तीय लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियों के अंतर्गत दिए गए नोट के विषयाधीन हमारे मत से तथा हमारी पूरी सूचना और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों से उक्त लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथापेक्षित सूचना इस तरह देते हैं कि ये भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार सत्य एवं स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं :

i) तुलन–पत्र के मामले में 31 मार्च, 2011 की कम्पनी के मामलों की स्थिति।

ii) लाभ व हानि के मामले में इस तारीख को समाप्त वर्ष के हानि की स्थिति।

iii) कैश फ्लो के मामले में इस तारीख को समाप्त वर्ष के कैश फ्लो की स्थिति।

कृते एस. चतुर्वेदी एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 004550एन
(पुनीत सचदेव)
पार्टनर
एम.सं.–097897

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 25.09.2012

पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड,

नई दिल्ली

(तद्दिनांकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद 3 के सन्दर्भ में)

I.

(क)	*पश्चिम क्षेत्र के मामले को छोड़कर कम्पनी ने अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति तथा उनके परिमाणात्मक विवरण के समुचित रिकार्ड रखे हैं।*	प्रत्येक क्षेत्र में परिसम्पत्तियों की स्थिति/स्थान के बारे में स्थाई परिसम्पति रजिस्टर में रिकार्ड रखा जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के स्थान-निर्धारण हेतु रोटेबल्स का संचलन रिकार्ड कम्पनी के सामग्री/अभियांत्रिकी विभाग द्वारा रखा जा रहा है। पश्चिम क्षेत्र में स्थाई परिसम्पत्तियों के स्थिति/स्थान के बारे में अब रिकार्ड रखा जा रहा है।
(ख)	*उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रबंधतंत्र द्वारा उत्तरी क्षेत्र व प्रधान कार्यालय में अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया और पश्चिमी क्षेत्र में अचल आस्तियों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है और पूर्ण किया जाना है। इसके अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र और प्रधान कार्यालय में अचल आस्तियों के भौतिक सत्यापन का आस्ति पंजी से मिलान किया जाना अभी पूरा नहीं हुआ है। तदनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों के भौतिक सत्यापन में मुख्य स्टोर में पड़े विसंगतियों के विवरण यदि कोई हों उपलब्ध नहीं है।*	भौतिक सत्यापन को पश्चिमी क्षेत्र में पूरा कर लिया गया है। नियत आस्ति पंजियों के साथ आस्तियों के भौतिक सत्यापन के मिलान की प्रक्रिया प्रगति पर है और सही समय पर इसका पूर्ण होना प्रत्याशित है।
(ग)	*इस वर्ष परिसम्पत्तियों का कोई महत्वपूर्ण निवर्तन नहीं किया गया है जिसके कारण कोई विशेष प्रभाव पड़े।*	कोई टिप्पणी नहीं।

II.

(क)	*मरम्मत/अनुरक्षण हेतु मरम्म्त एजेंसी को देश के बाहर भेजी गई इन्वेन्ट्री तथा उत्तरी क्षेत्र में वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की अनिवर्तित मालसूची के अतिरिक्त प्रबंधतन्त्र द्वारा इस वर्ष की मालसूची का समुचित अन्तरालों में वास्तविक सत्यापन किया गया है।यद्यपि, पश्चिमी क्षेत्र के मुख्य स्टोर और स्पेयर के उच्च मूल्य के मदों का भौतिक सत्यापन वर्षांत पर प्रबंधन*	वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की इंवेंटी के मामले में यह स्पष्ट करना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात पश्चिमी क्षेत्र द्वारा वेस्टलैंड 271 बकसे वेयर हाउस मालिक से जहाँ है जैसा है आधार पर अक्तवरा नवंबर 2012 में प्राप्त हुए और संपूर्ण शेष वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों को इंवेंट्री के साथ सरकार द्वारा नियुक्त स्टीयरिंग कमीटी जिसे पुन:स्वकृत किया जाना है से अनापति के पश्चात निस्तारित कर दिया जाएगा अत: इन इंवेंट्री का भौतिक सतयापन संभव नहीं है। उत्तरी क्षेत्र में स्क्रैप की गई इंवेंट्री के

द्वारा किया गया। मुख्य स्टोर में पड़ी अन्य मदों के मामले में पश्चिमी क्षेत्र में स्टोर और स्पेयर की ऐसी मदों के लिए तीन वर्षों का सत्यापन कार्यक्रम है और तदनुसार इन मदों की इन्वेंट्रीरी के माल को वर्षांत में सत्यापित किया जाएगा डिटैचमेंट में स्टोरों और स्पेयरों के स्टोक के मामले को मुंबई से किया जाता है और वर्षांत पर डिटैचमेंटों में स्टोरों और स्पेयरों के कलोजिंग स्टॉक का अभिलेख संबंधित डिटैचमेंट द्वारा प्रस्तुत किए गए भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है और इसलिए नियंत्रण अभ्यास सीमित है।

मामले में जिनका विस्तारण नहीं किया गया है। विस्तरण की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न डिटैचमेंट को भेजे जाने वाले और वहां से प्राप्त होने वाले मदों के पूरे विवरण की लेखा पश्चिमी क्षेत्र में की जाती है। इसके अतिरिकत वर्ष के अंत पर इंवेंट्री के रिकार्ड का अंतिम शेष भी सभी डिटैंचमेंट से प्राप्त किया जाता है और पश्चिमी क्षेत्र में लेखावन्द किया जाता है।

(ख) सत्यापित की गई मालसूची के संबंध में कम्पनी के आकार और इसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप प्रबंधतंत्र द्वारा अपनाई जा रही मालसूची के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रियाएं तर्क संगत और उचित हैं। यद्यपि, पश्चिमी क्षेत्र में वर्षो से अनेक मदें हैं जो भौतिक सत्यापन किए जाने के बाद असमाधानकृत है। प्रबंधन द्वारा इंवेंट्रीरी के लिए अपनाई जाने वाली इस प्रक्रिया के आलोक में भौतिक सत्यापन की कंपनी के आकार और इसके कारोबार की प्रकृति के अनुरुप इसे सशक्त किए जाने की आवश्यक्ता है।

अनुपालनार्थ नोट किया गया है।

(ग) कम्पनी मालसूची के समुचित अभिलेख रख रही है और वास्तविक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियाँ, जो महत्वपूर्ण नहीं थी, और इनको लेखाबहियों में समुचित रूप में लेखांकित किया गया है।

यद्यपि डिटैचमेंट को छोड़कर जहाँ कोई स्टोक रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया जाता पश्चिमी क्षेत्र में कंपनी इंवेंटरी के रिकार्ड का अनुरक्षण करती है। वास्तविक स्टोक और अभिलेख वही के बीच सतयापन में पाई विसंगतियाँ एक लंबी अवधि से अब तक अनिर्णित हैं। वही में वास्तविक सत्यापन में कमी के लिए तदर्थ प्रावधान किया गया है।

III. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार कोई ऐसी पार्टी नहीं, जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन बनाई गई पंजिका के अंतर्गत आती है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 4 के खण्ड III (ख), से III (छ) लागू नहीं होते हैं।

कोई टिप्पणी नहीं।

IV. *हमारे मत से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और इसकी प्रकृति के अनुरूप इन्वेन्ट्री और अचल परिसम्पत्तियों के लिए तथा हेलीकॉप्टरों के किराए प्रभारों के लिए कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं उचित रूप से बनाई गई है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण खामियों को दूर करने में हमारे द्वारा कोई महत्वपूर्ण क्रमिक असफलता नहीं पाई गई है।*	कोई टिप्पणी नहीं।
V.(क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी में ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जिसकी प्रविष्टि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर की जाती है।	कोई टिप्पणी नहीं।
(ख) हमें दी गई सूचना और विवरण के अनुसार इस अनुबन्ध या व्यवस्था के अनुसरण में किए गए लेन-देन को प्रासंगिक समय पर प्रचलित बाजार मूल्य के संदर्भ में सुसंगत मूल्य पर किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
VI. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा अभिलेखों की कुल परीक्षा के अनुसार कम्पनी ने पब्लिक से कोई भी जमा राशि नहीं ली और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58 ए तथा 58 ए ए में दिए गए प्रावधान तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम इस पर लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
VII. हमारे मत में कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि कंपनी के आकार और इसके कारोबार की प्रवृति के अनुरुप आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट ससमय प्रस्तुत हो।	अनुपालनार्थ नोट किया गया।
VIII. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (I) (घ) के अनुसार कम्पनी द्वारा अनुरक्षण लागत अभिलेख बनाए जाने की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
IX. (क) कम्पनी भविष्य निधि, आयकर, सम्पत्तिकर, बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क, चुंगी (सेस) सेवा कर तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्विवादित संवैधानिक	इसकी व्याख्या वितीय विवरण पर अतिरिकत टिप्पणिो के नोट सं. 5(ख) में दी गई है।

देयों का भुगतान संबंधित प्राधिकरणों में नियमित रूप से जमा करती रही है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार *पश्चिमी क्षेत्र में ₹ 13,81,000/- की रकम की स्टैम्प ड्यूटी को छोड़कर* 31 मार्च, 2012 तक ऐसे किसी भी निर्विवादित संवैधानिक बकाया राशि का उसकी देय तिथि से छः माह से अधिक अवधि तक के लिए भुगतान किया जाना शेष नहीं था।

(ख) नहीं जमा की गई विवादित संवैधानिक देयताएँ निम्नांकित है

मांग का प्रकार	वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ ₹ में)	फोरम जिसमें विवाद लंबित हैं
सी एस टी, ब्याज एवं दंड	2006-07	81.89	व्यापार एवं कर आयुक्त, दिल्ली
सी एस टी, ब्याज एवं दंड	2007-08	78.48	व्यापार एवं कर आयुक्त, दिल्ली
सी एस टी, ब्याज एवं दंड	2008-09	85.36	व्यापार एवं कर आयुक्त, दिल्ली
सी एस टी, ब्याज एवं दंड	2009-10	73.54	व्यापार एवं कर आयुक्त, दिल्ली
गैर-पंजीकरण हेतु दंड	-	0.01	व्यापार एवं कर आयुक्त, दिल्ली
	कुल	319.28	

इसकी व्याख्या वितीय विवरण पर अतिरिकत टिप्पणो के नोट सं. (ii) (3) में आकस्मिक देयता शीर्ष क अंतर्गति दी गई है।

X. 31 मार्च 2011 तक कंपनी का कोई संचयी हानि नहीं है। कंपनी को इस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष में तथा इसके पहले वर्ष में नकदी का नुकसान नहीं हुआ है। *लेखा परीक्षा रिपोर्ट के पैरा 5 में बताए गये परिगुण अनुमान्य नहीं है। तदनुसार, ऐसे परिगुणों की गैर-अनुमान्यता के प्रभाव को इस खंड के संबंध में टिप्पणी करने को उद्देश्य से नहीं विचार किया गया है।*

इसकी व्याख्या लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद 5 में की गई है।

XI. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई रिकार्ड की जाँच के अनुसार कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक के देयों की अदायगी में चूक नहीं की है।

कोई टिप्पणी नहीं।

XII. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार कम्पनी ने शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण स्वीकृत नहीं किए है।

कोई टिप्पणी नहीं।

XIII. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार चिट फंड अथवा निधि/ म्युचुअल बेनिफिट फंड/सोसायटी से संबंधित खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XIV. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार कम्पनी ने इस वर्ष के दौरान शेयरों, सेक्युरिटी, डिबेंचरों का सौदा या ट्रेडिंग नहीं की है, बैंको में आवधिक जमा और राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, गोन्दिया, महाराष्ट्र में इक्विटी शेयर (गैर-सूचीबद्ध) में निवेश के संबध में कंपनी ने लेन-देन का समुचित रिकार्ड रखा है और इस संबध में यथासमय प्रविष्टियाँ की है। ये सभी निवेश कंपनी के नाम में हैं।	कोई टिप्पणी नहीं।
XV. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार कम्पनी ने अन्य व्यक्तियों द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए प्रत्याभूति (गांरटी) नहीं दी है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XVI. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार, कंपनी ने मेसर्स ओएनजीसी लि. मेसर्स एन टी पीसी लि. और मेसर्स एक्सिम बैंक से जिस उद्देश्य के लिए टर्म ऋण लिया था, उसी के लिए उपयोग किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XVII. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार कम्पनी ने अल्पावधि आधार पर ली गई निधी को दीर्घावधि निवेश पर नहीं लगाया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XVIII. वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिनियम के अनुच्छेद 301 के अंतगति अनुरक्षित पुंजी में कवर किए गए पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंरन नहीं किया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 4 (xviii) प्रयोज्य नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

XIX. डिबेंचरों के निर्गम से संबंधित खंड लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XX. पब्लिक इश्यू द्वारा धन एकत्र करने से संबंधित खंड के प्रावधान लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
XXI. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार इस वर्ष के दौरान कम्पनी पर या इसके द्वारा कोई धोखा नहीं देखा गया है अथवा रिपोर्ट किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

कृते एस चतुर्वेदी एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या आरएन सं. 004550एन

(पुनीत सचदेव)
पार्टनर
एम.सं. 097897

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 25.09.2012

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के खातों की समीक्षा।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेम वर्क के अनुसार वर्षान्त 31 मार्च, 2012 हेतु पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधतंत्र का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित एश्यूरेन्स मानकों तथा कम्पनी अधिनियम 1956, धारा 227 के अधीन इन वित्तीय ब्यौरों पर राय देने के लिए उत्तरदायी है। उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 25 सितम्बर, 2012 द्वारा उन्होंने इसे किया है, बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 (3) (ख) के अधीन 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपरों को देखे बिना तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों की सीमित प्रारंभिक जांच-पड़ताल तथा कुछ लेखांकित रिकार्डों की चयनित जांच पर स्वतन्त्र रूप से कार्रवाई की गई है। मेरे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं आया है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन संवैधिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक पर कोई प्रश्न उठाता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(ईला सिंह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा व पदेन सदस्य लेखापरीक्षा,
बोर्ड-I, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 20 दिसंबर, 2012

अनुसूची

स्पष्टीकरण विवरण

(कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 173 (2) के अनुरूप)

कंपनी के नाम में परिवर्तन "पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड" के स्थान पर "पवन हंस लिमिटेड"

कंपनी की स्थापना अक्टूबर 1985 में एक सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन हेलीकॉप्टर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के नाम से निम्नांकित मुख्य उदेद्श्य से की गई थी:-

1. तेल क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु हेलीकाप्टर सहायता सेवा।
2. पहाड़ी और दूरस्थ भू-भाग में प्रचालन द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में संपर्कता और
3. यात्रा व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को चार्टर सेवा उपलब्ध कराना।

सरकार के निर्देशानुसार कंपनी का नाम हिन्दी में पुर्वनामित करने के लिए कोध्यान में रखकर सामान्य बैठक में अंशधारकों के अनुमोदन से एक विशेष संकल्प द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारीकृत निगमीकरण के नए प्रमाण-पत्र के अनुसार कंपनी का नाम परिवर्तित करके पवन हंस लिमिटेड किया गया।

दिनांक 02.05.1996 को हुई निदेशक मंडल की 60वीं बैठक में मुख्य क्रियाकलाप हेलीकॉप्टर का कारोबार को प्रतिबिंबित करने हेतु "हेलीकॉप्टर्स" शब्द जोड़ने का निर्णय लिया गया। तदनुसार सामान्य बैठक में अंशधारकों के अनुमोदन के पश्चात "हेलीकॉप्टर्स" शब्द को जोड़ा गया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा दिनांक 28.06.1996 को नया प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

23.12.2009 को हुई 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक में कंपनी में इसके मुख्य उद्देश्य में 3 और उद्देश्य जोड़ा नामत : एएमई व पायलटों के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, सी प्लेन और फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट का प्रचालन और संरक्षा ऑडिट एवं उत्कृष्टता विशेषीकृत संस्थान की स्थापना और हेलीपोर्ट का निर्माण।

समय के साथ कंपनी ने अपने आकार को बढ़ाया है, जिसमें 35 डॉफिन एन/ एन3 हेलीकॉप्टर, 07 बेल 206 एल 4/407 हेलीकॉप्टर, 03 एमआई-172 हेलीकॉप्टर और 02 एएस 350 बी3 हेलीकॉप्टर हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी के पास सीमा सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय) के स्वामित्व वाले 06 ध्रुव हेलीकॉप्टरों का प्रचालन व अनुरक्षण संविदा है।

रोहिणी में हेलीपोर्ट निर्माण करने हेतु भारत सरकार ने पवन हंस में राजसहायता में वृद्धि की है। इस प्रकार और अधिक हेलीकॉप्टरों के अर्जन हेतु ओएनजीसी ने भी पवन हंस में इक्विटि में वृद्धि की है। दिनांक 03.12.2012 को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 120 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए की गई है। अब कंपनी का प्रदत्त शेयर पूंजी 245.616 करोड़ रुपए हैं, जिसमें 125.266 करोड़ रुपए भारत के राष्ट्रपति के नाम और 120.35 करोड़ रुपए ओएनजीसी लिमिटेड के नाम पर हैं।

हेलीपोर्ट, सी प्लेन तथा छोटे फिक्स्ज विंग एयरक्राफ्टों का नया कारोबार।

कंपनी को वर्ष 2009 में डीडीए से रोहिणी में हेलीपोर्ट की स्थापना करने हेतु 29 एकड़ भूमि मिली है। पवन हंस ने राष्ट्रमंडल खेल गाँव (अक्षरधाम) में उत्कृष्ट सुविधायुक्त हेलीपैड का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने मुम्बई में सितम्बर, 2009 में पवन हंस हेलीकॉप्टर्स प्रशिक्षण संस्थान (पीएचटीआई) नाम से एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है, जो तकनीशियनों और इंजीनियरों के लिए हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थान है तथा डीजीसीए द्वारा अनुमोदित है। कंपनी ने देश में संरक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा संरक्षा जागरूकता हेतु जुन, 2010 में दिल्ली में राष्ट्रीय विमानन संरक्षा एवं सेवा संस्थान की स्थापना की है। अंडमान एवं

निकोबार द्वीप समूह में हेली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पवन हंस ने भारत में पहली बार 50:50 लाभ/हानि भागीदारी के आधार पर सी प्लेन परियोजना आरम्भ किया था। सी प्लेन सेवाएँ जनवरी 2011 से मई 2011 की अवधि में उपलब्ध कराया गया था।

पवन हंस द्वारा केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप आदि में सी प्लेनों की कारोबार की सम्भावनाओं की व्यवहार्यता अध्ययन को अपने 12वीं पंच वर्षीय योजना प्रक्षेपण में पर्यटन तथा अन्य उद्देश्य हेतु 10 अदद सी प्लेन खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत की निधि के आबंटन हेतु नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त पवन हंस की अपने 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2 अदद सी प्लेन के अर्जन हेतु योजना है (निधियन का माध्यम पवन हंस आईईबीआर)।

पवन हंस छोटे फिक्स्ड विंग एयर क्राफ्टों को लीज पर लेकर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सम्पर्कता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। कोलकाता से कूचबिहार वाया बागडोगरा तक फिक्स्ड विंग सेवाएँ आरम्भ करने हेतु पवन हंस को पश्चिम बंगाल सरकार ने दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 को एलओआई जारी किया है (प्रारम्भ में 3 माह की अवधि के लिए कुल 18 सीटों में से 8 रिक्त सीटों की राजसहायता प्रावधान के साथ) तदनुसार, राज्य सरकार और पवन हंस के बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया।

आर्थिक परिवेश में परिवर्तन, भारत सरकार की मुक्त आकाश नीति और परिणामस्वरूप विमान क्षेत्र में कारोबार परिदृश्य विशेषकर हेलीकॉप्टर प्रचालन में आई परिणामी परिवर्तनों के कारण संगठन को केन्द्रीय विजन और कार्यनीति पर पुर्णविचार करने हेतु प्रेरित किया है। तदनुसार पवन हंस देश में हेलीपोर्ट की स्थापना और विकास के लिए प्रयास कर रहा है, साथ ही हेलीकॉप्टर सेवा के कारोबार के विस्तारण के अतिरिक्त सी प्लेन और छोटे फिक्स्ड विंग विमान प्रचालन के नए क्षेत्र में उद्यम कर रहा है।

नाम परिवर्तन कर "पवन हंस लिमिटेड" करने की आवश्यकता

1986 से अब तक इस 25 वर्षों की अवधि के दौरान पवन हंस का ब्रांड नाम स्थापित हो चुका है तथा इसके केन्द्रीय (कोर) क्षमता को और बदलती बाजार परिस्थितियों साथ ही विविधता के लिए उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखकर हेलीपोर्ट, प्रशिक्षण संस्थान, संरक्षा ऑडिट संस्थान, सी प्लेन तथा संभावित क्षेत्रों में छोटे फिक्स्ड विंग सेवाओं जैसे अन्य संबंधित क्षेत्रों में उद्यम का प्रयास कर रहा है। अत: "हेलीकॉप्टर्स" शब्द को छोड़ कर "पवन हंस लिमिटेड" नाम का प्रत्यानयन करना आवश्यक है। इसलिए शेयरधारकों से कंपनी नाम 'पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड' से परिवर्तन करके 'पवन हंस लिमिटेड' करने हेतु तथा कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 21 के अनुसार नाम परिवर्तन करने हेतु विशेष संकल्प पारित करने और संगम ज्ञापन के खंड 1 में संशोधन और इस कंपनी के संगम अनुच्छेद में समाविष्ट व्याख्या खंड के लिए अनुमोदन देने हेतु अनुरोध है, "पवन हंस" हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड" शब्द को "पवन हंस लिमिटेड" से प्रतिस्थापित करना।

उपर्युक्त संकल्प के सम्बन्ध में कोई भी निदेशक व्यक्तिगत क्षमता में स्वार्थबद्ध नहीं है। तदनुसार उपर्युक्त संकल्प की अनुमोदन के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है।